

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## प्रश्नोत्तर-सूची

जुलाई, 2016 सत्र

सोमवार, दिनांक 11 जुलाई, 2016

## तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र बस्तर में स्थापित सौर ऊर्जा पंपों की स्थिति

1. (\*क्र. 248) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 15-06-2016 तिथि तक किन-किन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना की गई है ? क्या स्थापित सभी पंप चालू हालत में हैं ? विकासखण्डवार, ग्राम पंचायतवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप स्थापित किये जाने का प्रावधान है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में दिनांक 15-06-2016 तक 12 स्थलों में स्थापित सौर ऊर्जा पंप तथा पंप के चालू होने की विकासखण्डवार, ग्रामवार एवं ग्राम पंचायतवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) उक्त विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 67 ग्रामों में सौर ऊर्जा पंप की स्थापना प्रस्तावित है. विकासखण्डवार, ग्रामवार एवं पंचायतवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

प्रदेश में विद्युत की मांग आपूर्ति

2. (\*क्र. 256) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य में जनवरी 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि में प्रत्येक माह विद्युत की अधिकतम मांग कितने मेगावाट थी ? उक्त मांग की आपूर्ति कैसे की गई ? (ख) विद्युत उत्पादन के विरुद्ध खपत की पूर्ति हेतु आवश्यकता अनुसार किस-किस एजेन्सी से किस दर पर विद्युत क्रय किया गया है ? माहवार जानकारी देवें ? (ग) प्रदेश में किन-किन स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की जाती है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रश्नाधीन अवधि के प्रत्येक माह में बिजली की अधिकतम मांग एवं उक्त मांग की आपूर्ति की माहवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जनवरी 2016 से जून 2016 तक प्रत्येक माह की अधिकतम मांग की पूर्ति हेतु एजेंसीवार क्रय की गई बिजली की औसत क्रय दर की माहवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में विद्युत आपूर्ति के माहवार स्रोतवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

जिला कोण्डागांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत हुए विवाहों में व्यय राशि

3. (\*क्र. 64) **श्री संतराम नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री कन्या विवाह के अंतर्गत जिला कोण्डागांव में माह जनवरी, 2015 से माह दिसम्बर, 2015 तक कितनी कन्याओं का विवाह कराया गया एवं जनवरी, 2016 से 15 जून, 2016 तक कितनी कन्याओं का विवाह विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कराया गया ? पृथक-पृथक जानकारी देवें ? (ख) इस हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? कार्यक्रम अनुसार जानकारी देवें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनान्तर्गत जिला कोण्डागांव में माह जनवरी, 2015 से माह दिसम्बर, 2015 तक कुल 788 कन्याओं का एवं जनवरी, 2016 से 15 जून, 2016 तक कुल 564 कन्याओं का विवाह विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में कराया गया है. कार्यक्रम अनुसार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) इस हेतु मुख्यमंत्री

कन्या विवाह योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2015 से माह दिसम्बर, 2015 तक कुल राशि रुपये 1,17,35,638/- (अक्षरी राशि एक करोड़ सत्रह लाख पैंतीस हजार छः सौ अड़तीस रुपये) का तथा जनवरी, 2016 से जून, 2016 तक में कुल राशि 81,56,975/- (अक्षरी राशि इक्कासी लाख छप्पन हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये) का व्यय हुआ. कार्यक्रम अनुसार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

#### सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गौण खनिज मद से प्राप्त राशि

4. (\*क्र. 425) **श्रीमती केराबाई मनहर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 2013 से 15 जून, 2016 तक गौण खनिज मद से कितनी राशि जनपद पंचायत सारंगढ़ व जनपद पंचायत बरमकेला को प्राप्त हुई ? (ख) जनपद पंचायत सारंगढ़ व जनपद पंचायत बरमकेला द्वारा गौण खनिज मद से किस-किस ग्राम व ग्राम पंचायत में कौन-कौन सा निर्माण/विकास कार्य कराये गये हैं ? वर्षवार 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की जानकारी प्रदान करें ? (ग) क्या गौण खनिज मद की राशि व निर्माण कार्य संबंधी शासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अप्रैल, 2013 से 15 जून, 2016 तक गौण खनिज मद से जनपद पंचायत सारंगढ़ को रुपये 1202.71 लाख तथा जनपद पंचायत बरमकेला को रुपये 05.04 लाख राशि प्राप्त हुई है. (ख) वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में जनपद पंचायत बरमकेला एवं सारंगढ़ द्वारा कराये गये निर्माण/विकास कार्यों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) जी हां. रायगढ़ जिले के विकासखण्ड सारंगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत टिमरलगा, गुड़ेली के द्वारा गौण खनिज मद राशि में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत वर्ष 2013-14 में प्राप्त हुई थी. जिस पर संयुक्त जांच समिति के जांच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित ग्रामों के सरपंचों तथा सहायक आंतरिक लेखा परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी, गुड़ेली के विरुद्ध दोष सिद्ध पाये जाने पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सारंगढ़ द्वारा थाना, सारंगढ़ में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है. वर्ष 2015-16 में गौण खनिज मद से निर्माण कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत टिमरलगा, गुड़ेली एवं धौराभांटा के द्वारा गौण खनिज की राशि के बंदरबाट के संबंध में प्राप्त शिकायत संयुक्त जांच समिति द्वारा किया गया. समिति के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में दो उप अभियन्ता, जनपद पंचायत, सारंगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

#### मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत मीठा दूध का वितरण

5. (\*क्र. 207) **श्री केशव चंद्रा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मीठा दूध पिलाने का योजना प्रदेश में कब से शुरू की गयी है ? (ख) क्या उक्त योजना में शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो प्रदेश में कितने बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मृत्यु या बीमार होने की जानकारी है ? आंगनबाड़ीवार, तिथिवार जानकारी देवें ? (ग) मीठा दूध प्रदाय करने की जिम्मेदारी किसे दी गयी है एवं क्या दर निर्धारित की गई है ? आंगनबाड़ी केन्द्र में दूध के रखरखाव की व्यवस्था कैसे की जा रही है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मीठा दूध पिलाने की योजना प्रदेश में 29 अप्रैल, 2016 से शुरू की गयी है. (ख) शिकायत प्राप्त हुई है किन्तु मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत प्रदायित दूध से बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मृत्यु या बीमार होने संबंधी कोई घटना नहीं हुई है. अतएव शेष प्रश्नांश की जानकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) योजनान्तर्गत मीठा दूध प्रदाय करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला, बी.एम.वाय. जिला-दुर्ग (छ.ग.) को दी गई है. प्रति लीटर दूध की दर समस्त कर सहित 52.50 रु. निर्धारित की गई है. आंगनबाड़ी केन्द्र में दूध के सुरक्षित रखरखाव हेतु समुचित निर्देश एवं प्रशिक्षण आदि दिया गया है. साथ ही जन जागरूकता के लिए पोस्टर्स, विज्ञापन आदि वितरित व प्रकाशित किए गए हैं.

#### प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत वितरित दूध की गुणवत्ता की जांच

6. (\*क्र. 25) **श्री उमेश पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत तीन से छः वर्ष के बच्चों को सप्ताह में एक दिन 100 एम.एल. मीठा दूध वितरण किये जाने की योजना किन-किन जिलों में किस-किस तिथि से प्रारंभ की गयी है ? (ख) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को वितरित किये जाने वाले दूध की गुणवत्ता की जांच की जाती है ? यदि हां तो, किस संस्था अथवा इकाई द्वारा गुणवत्ता जांच की जाती है ? (ग) क्या जगदलपुर जिला मुख्यालय से

30 कि.मी. दूर कुटरू के तुलनार स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत सहकारी संस्था देवभोग द्वारा आपूर्ति किये गये दूध के पीने से दो बच्चों की मौत एवं कई बच्चों के बीमार होने की घटना हुई है ? (घ) क्या पत्थलगांव जिला जशपुर के ग्राम पंचायत बालाझर के घोघरा आंगनबाड़ी केन्द्र में मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत बट्टे गए दूध पीने से 2 बच्चों, 3 महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की घटना हुई है ? (ङ) प्रश्नांक “ग” एवं “घ” के तहत हुई गंभीर घटनाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार माना गया ? दुग्ध उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां. दूध की गुणवत्ता की जांच छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला, पो.ऑ. बी.एम.वाई. जिला-दुर्ग (छ.ग.) एवं सी.जी. सोया प्रोडक्ट्स प्रा.लि. ग्राम बुडेरा पो.ऑ. खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.) की प्रयोगशाला से की जाती है. रैंडम आधार पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से भी जांच कराई जाती है. (ग) एवं (घ) जी नहीं. (ङ) प्रश्नांक “ग” एवं “घ” के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

#### दंतेवाड़ा जिले की आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार आपूर्ति

7. (\*क्र. 275) **श्रीमती देवती कर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दंतेवाड़ा जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति किया जाने वाला पूरक पोषण आहार कौन-कौन सा है तथा क्या-क्या है ? मात्रा इकाई सहित बतावें ? (ख) संपूर्ण जिले की आंगनबाड़ी केन्द्रों को किन-किन आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कौन-कौन सा व कितनी-कितनी मात्रा में पूरक पोषण आहार तैयार कर आपूर्ति किया जाता है ? (ग) क्या पूरक पोषण आहार के निर्माण व पैकिंग के दौरान कोई विभागीय अधिकारी निगरानी व नियंत्रण हेतु निर्माण स्थल पर होते हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार आपूर्तिकर्ताओं की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. प्रदायकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों की संख्या अनुसार प्रतिमाह आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मात्रा में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है. (ग) जी हां.

#### डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में ईट भट्टों का संचालन

8. (\*क्र. 40) **श्रीमती अनिला भेड़िया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में कितने वैध एवं कितने अवैध ईट भट्टा संचालित है ? (ख) अवैध ईट भट्टा के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) डौणडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम टटेंगा में फिक्स चिमनी भट्टा द्वारा ईट निर्माण हेतु मिट्टी खनिज का एक उत्खनिपट्टा स्वीकृत है. ग्राम गिधाली में बिना अनुमति एक पंजा ईट भट्टा संचालित होना पाया गया था जो कि बंद है. (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवैध रूप से संचालित ईट भट्टा के प्रकरण में अवैध उत्खनन कर, 130 घनमीटर मिट्टी से ईट निर्माण किया जाना पाये जाने पर अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर, रुपये 33800 समझौता राशि वसूल किया गया.

#### बस्तर संभाग में लगाये गये सौर ऊर्जा पैनल की स्थिति

9. (\*क्र. 01) **श्री कवासी लखमा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में वर्ष 2012 से मई 2016 तक कितने स्थानों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाया गया. वर्षवार, जिलेवार, स्थलवार, लागत सहित जानकारी दें ? (ख) इनमें से कितने स्थानों पर चालू स्थिति में हैं तथा कितने स्थानों पर बंद की स्थिति है, स्थलवार जानकारी यदि बंद है तो क्यों ? बंद पड़े पैनल का कब तक सुधार किया जाएगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर संभाग में वर्ष 2012 से मई 2016 तक 1965 स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये गये हैं. वर्षवार, जिलेवार, स्थलवार, लागत सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) इनमें से 1929 स्थानों पर चालू स्थिति में हैं तथा 36 स्थानों पर बंद की स्थिति है. स्थलवार जानकारी एवं संयंत्र बन्द होने का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. बन्द संयंत्रों को आगामी तीन माह के भीतर सुधारने की कार्यवाही की जा रही है.

कोटा, गौरैला एवं पेण्ड्रा वि.ख. में अधिकृत रेत, गिट्टी एवं मुरम की खदानें

10. (\*क्र. 333) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा, गौरैला एवं पेण्ड्रा विकासखण्ड में किन-किन स्थानों में रेत, गिट्टी और मुरम की अधिकृत खदानें हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : बिलासपुर जिले के कोटा एवं पेण्ड्रा विकासखण्ड में रेत एवं पत्थर (गिट्टी) हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं कृषि भूमि निर्माण, समतलीकरण व तालाबों के गहरीकरण से निकलने वाले मुरूम के परिवहन हेतु दी गई अनुमति की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. गौरैला विकासखण्ड में इन खनिजों की कोई खदान स्वीकृत नहीं है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या

11. (\*क्र. 355) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने ग्रामों में कितने-कितने आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? उक्त आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने में विद्युतीकरण, बच्चों के बैठने हेतु दरी, गरम भोजन पकाने/खिलाने हेतु पर्याप्त बर्तन उपलब्ध कराया जा चुका है एवं कितने शेष हैं ? (ख) शेष आंगनबाड़ी केन्द्रों में कब तक सुविधा प्रदान कर दी जायेगी ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 200 ग्रामों में 363 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं. संचालित 363 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 34 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्युतीकृत है, शेष 329 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्युतीकृत नहीं हैं. 192 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के बैठने हेतु दरी एवं शेष 171 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बैच, प्लास्टिक कुर्सी, जूट बोरी व प्लास्टिक बोरी की चटाई आदि उपलब्ध है. सभी 363 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम भोजन पकाने/खिलाने हेतु बर्तन उपलब्ध है. (ख) विद्युतीकृत विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतीकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

कोण्डागांव जिले में मल्टीपरपज इंडोर हॉल, जिला स्टेडियम, स्वीमिंग पुल निर्माण हेतु प्राप्त एन.ओ.सी.

12. (\*क्र. 53) **श्री मोहन मरकाम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोण्डागांव जिले में स्वीकृत मल्टीपरपज इंडोर हॉल, जिला स्टेडियम तथा स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य के लिए भूमि आवंटन हेतु एनओसी भारत सरकार से प्राप्त हो गई ? (ख) यदि नहीं, तो उक्त प्रयोजन हेतु कब-कब क्या कार्यवाही की गई ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) जी नहीं. (ख) नवगठित जिला कोण्डागांव में इण्डोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल निर्माण हेतु दक्षिण कोण्डागांव वन मंडल अंतर्गत दहीकोंगा परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-794 में से 8.00 हेक्टेयर वन भूमि, गैर वानिकी कार्य हेतु, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक-6-CHC-06/2015-BHO/271, dated 31-08-2015 द्वारा अधिरोपित शर्तों के साथ प्रथम चरण की स्वीकृति जारी किया गया है. शासन द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने हेतु वचन पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव से प्राप्त कर वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि/315, दिनांक 01-03-2015 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर को प्रेषित किया गया था. भूमि प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के परिपालन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कोण्डागांव द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 5840000/- दिनांक 19-02-2016 को एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रु. 7936832/- दिनांक 22-02-2016 को ई-पेमेंट के माध्यम से वन विभाग के बैंक खाते में जमा किया गया है. अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-353/802 दिनांक 30-03-2016 द्वारा भूमि प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय-वेस्ट सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न विंग-भूतल न्यू सेक्रेटेरिएट भवन, वी.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन नागपुर को प्रेषित किया गया है. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल कोण्डागांव ने अपने पत्र क्र. 8549 दिनांक 08-06-2016 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद को सूचित किया है कि, वर्ष 2016-17 में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित नवीन दर के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा की जानी है एवं इस हेतु अतिरिक्त राशि रु. 793664/- जमा किए जाने हेतु लेख किया गया है, जिसके संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कोण्डागांव में अपने पत्र क्र. 377/न.प./लो.नि.शा./2016 दिनांक 24-06-2016 द्वारा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन नया रायपुर, छ.ग. से राशि रु. 793664/- के आवंटन की मांग की है. भारत सरकार से द्वितीय चरण की स्वीकृति अपेक्षित है.

प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत योजना का संचालन

13. (\*क्र. 240) **श्री दीपक बैज** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री अमृत योजना (मीठा दूध)” को किन-किन जिलों में प्रारंभ किया गया है ? (ख) प्रश्नांश “क” के तहत संचालित “मुख्यमंत्री अमृत योजना” के अंतर्गत क्या किसी जिले में मीठा दूध पीने के कारण आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव या बच्चों की मौत जैसी घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो कहां और किस जिले में हुई है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) छ.ग. प्रदेश के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित “मुख्यमंत्री अमृत योजना (मीठा दूध)” को प्रदेश के सभी 27 जिलों में प्रारंभ किया गया है. (ख) प्रश्नांश “क” के तहत संचालित “मुख्यमंत्री अमृत योजना” के अंतर्गत प्रदेश के किसी जिले में मीठा दूध पीने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिकूल प्रभाव या बच्चों की मौत जैसी घटना नहीं हुई है.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कार्यवाही

14. (\*क्र. 252) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग में सेवारत कितने अधिकारियों-कर्मचारियों के जाति प्रमाण फर्जी पाये गये हैं ? समिति ने अपनी रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की अनुशंसा कब-कब की है ? (ख) उच्च स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा किन-किन दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना, मंत्रालयीन सेवा) में सेवारत 09 अधिकारियों-कर्मचारियों के जाति प्रमाण फर्जी पाये गये हैं. जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

महासमुंद जिला अंतर्गत संचालित खदाने

15. (\*क्र. 268) **श्री रामलाल चौहान** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31-04-2016 की स्थिति में महासमुंद जिला अंतर्गत कौन-कौन सी खदाने कहां-कहां संचालित हैं एवं उनमें कौन सा खनिज उत्खनन किया जा रहा है ? (ख) वर्णित उक्त खदानों में से कौन-कौन सी खदाने केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वर्तमान समय में दुर्घटना जन्य पाई गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 30-04-2016 तक की स्थिति में महासमुंद जिला अंतर्गत संचालित खदान, स्थल एवं उत्खनित खनिज की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) केन्द्र शासन के खान सुरक्षा निदेशालय, रायगढ़ द्वारा जिले में संचालित किसी भी खदान को दुर्घटना जन्य पाये जाने अथवा किसी भी खदान को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दिया गया है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

16. (\*क्र. 265) **श्री भोलाराम साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? कृपया विकासखण्डवार बतायें. (ख) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन उपलब्ध है ? कितने भवन विहीन हैं ? (ग) कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं ? (घ) नवीन भवन विभाग कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 422 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. विकासखण्ड चौकी में 136 एवं विकासखण्ड छुरिया में 286 केन्द्र हैं. (ख) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 371 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं के भवन उपलब्ध है. 51 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन हैं. (ग) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 25 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं. (घ) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला कवर्धा एवं राजनांदागांव के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-ईट सप्लाई हेतु स्वसहायता समूहों के चयन की प्रक्रिया

17. (\*क्र. 237) **श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2015-2016 में जिला कवर्धा एवं राजनांदागांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-ईट सप्लाई के लिये किस-किस सेक्टर में किस-किस स्वसहायता समूहों को कार्य दिया गया है एवं स्वसहायता समूहों के चयन की क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? विकासखण्डवार, सेक्टरवार जानकारी दें ? (ख) क्या विकासखण्ड मानपुर, मोहला एवं चौकी विकासखण्ड के चयनित स्वसहायता समूह स्थानीय है एवं किसी भी समूह द्वारा दो स्थानों पर कार्य नहीं किया जा रहा है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार है. रेडी-टू-ईट के निर्माण एवं प्रदाय हेतु सक्षम समूहों के प्रस्ताव आमंत्रित कर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है. (ख) विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत चयनित सभी स्व सहायता समूह स्थानीय है. मोहला विकासखण्ड अंतर्गत चयनित 8 स्व सहायता समूहों में से 7 समूह स्थानीय है एवं एक स्व सहायता समूह स्थानीय नहीं है. मानपुर विकासखण्ड में 9 स्व सहायता समूह कार्यरत है जो स्थानीय है. विकासखण्ड मानपुर में 1 स्व सहायता समूह एवं अंबागढ़ चौकी में 2 स्व सहायता समूहों द्वारा 1 से अधिक सेक्टर में रेडी-टू-ईट प्रदाय किया जा रहा है.

गुरुर एवं बालोद तहसील में फसल क्षतिपूर्ति प्रदाय हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही

18. (\*क्र. 228) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवम्बर 2015 से 15 जून, 2016 तक जिला जनदर्शन कार्यक्रम बालोद में गुरुर एवं बालोद तहसील से कितने आवेदन फसल क्षतिपूर्ति प्रदाय किये जाने हेतु प्राप्त हुए ? (ख) आवेदनों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) प्रश्नावधि में जिला जनदर्शन कार्यक्रम बालोद में फसल क्षतिपूर्ति के कुल 165 आवेदनपत्र, गुरुर एवं बालोद तहसीलों से संबंधित प्राप्त हुए. (ख) प्राप्त सभी आवेदनपत्रों की जांच की गई. जांच में पात्र आवेदकों (कृषकों) को क्षतिपूर्ति की राशि आवंटित की गई.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती पर कार्यवाही

19. (\*क्र. 260) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदागांव जिले के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की रोकथाम हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में क्या विद्युत उपकेन्द्र निर्माण स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो स्वीकृत राशि कितनी है, निर्माण कब प्रारंभ किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदागांव जिले के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती नहीं की जा रही है. विद्यमान लॉइन तथा ट्रांसफार्मर के रखरखाव (मेंटेनेंस) एवं अन्य संगत सुधार कार्यों हेतु लाईन बंद की जाती है, जिसकी सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जाती है. खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या प्रकाश में नहीं आई है. (ख) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लिमो, राहुद, भोरमपुर, पैलीमेटा एवं उदयपुर में राशि रुपये 8.15 करोड़ लागत पर 33/11 के.व्ही. के 05 नये विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृति किया गया है तथा विद्यमान लुईखदान स्थित विद्यमान 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र में रुपये 48.01 लाख लागत पर 05 एम.व्ही.ए. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना की स्वीकृति दी गई है जिनका निर्माण कार्य नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार प्रारंभ करने का लक्ष्य है :-

क्र.	वर्ष	निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विवरण
1.	2016-17	ग्राम लिमो, राहुद एवं पैलीमेटा में 33/11 के.व्ही. नये विद्युत उपकेन्द्र तथा लुईखदान स्थित विद्यमान 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में 05 एम.व्ही.ए. के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य जनवरी 2017 तक प्रारंभ किये जाने का प्रयास है.
2.	2017-18	ग्राम भोरमपुर में नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य जून 2017 तक प्रारंभ किये जाने का प्रयास है.
3.	2018-19	ग्राम उदयपुर नये विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना का कार्य मार्च 2018 तक प्रारंभ किये जाने का प्रयास है.

आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-ईट तथा अमृत दूध का प्रदाय

20. (\*क्र. 178) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ियों में रेडी-टू-ईट तथा अमृत दूध हितग्राहियों को दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो कब से? (ख) जिला कांकेर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने बच्चे/हितग्राही निवासरत है? तथा संबंधितों हेतु वर्ष 2015-16 से माह मई 2016 तक कितनी-कितनी मात्रा में रेडी-टू-ईट तथा अमृत दूध की सप्लाई की गई? हितग्राहियों को कितनी-कितनी मात्रा में उक्त सामग्री के प्रदाय किये जाने के प्रावधान है? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश "ख" के अमृत दूध के प्रदायकर्ता कौन-कौन हैं तथा उक्त की आपूर्ति हेतु क्या नियम बनाये गये हैं? तथा कितना-कितना स्टॉक आंगनबाड़ियों में हितग्राहियों हेतु कितने दिन पूर्व से एकत्रित किया जाता है, तथा उक्त की वैधता अवधि कितनी है एवं हितग्राहियों को वितरण पूर्व चेक करने का क्या प्रावधान है?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जी हां. आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी-टू-ईट प्रदाय करने का निर्णय वर्ष 2009-10 से एवं मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत दूध प्रदाय करने का निर्णय वर्ष 2016-17 से लिया गया है. (ख) कांकेर जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज हितग्राही एवं मात्रा से संबंधित वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ग) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत दूध का प्रदाय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला जिला दुर्ग द्वारा किया जा रहा है. आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध प्रदाय के संबंध में निर्देश † संलग्न प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार है. आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिमाह दूध की आवश्यकता का आंकलन कर उपलब्ध कराए गए मांग पत्र के आधार पर परीक्षण उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को प्रदाय आदेश दिया जाता है. प्रदाय एजेंसी द्वारा आदेश प्राप्त होने के 15 से 20 दिवस की अवधि में बाल विकास परियोजना मुख्यालय तक सुरक्षित रूप से पहुंचाकर दूध का प्रदाय किया जाता है. दूध की वैधता अवधि पैकेजिंग तिथि से 90 दिवस है. बच्चों को दूध देने के पूर्व विश्वास बढ़ाने के तौर पर (As a Confidence Building Measure) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दूध की गुणवत्ता एवं स्वाद को स्वयं चखकर देखती हैं. सही पाये जाने पर ही उसका वितरण बच्चों को किया जाता है.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज से प्राप्त रायल्टी

21. (\*क्र. 125) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड तिल्दा, सिमगा, बलौदाबाजार में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मई 16 तक गौण खनिज उत्खनन किन-किन ग्रामों में किया जा रहा है? इस योजना से शासन को कितनी-कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई है? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ख) गौण खनिज अंतर्गत प्राप्त राशि का व्यय किन-किन कार्यों पर किया गया है? ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी दें?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (मई 2016) तक की अवधि में बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड तिल्दा, सिमगा, बलौदाबाजार के जिन ग्रामों में स्वीकृत गौण खनिज खदानों से खनिज उत्खनन किया गया, उनका नाम एवं प्राप्त रायल्टी राशि की विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 में गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि के वितरण हेतु आवंटन वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जायेगा. अतः रायल्टी राशि से व्यय की जानकारी निरंक है.

मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत वितरित दूध के सेवन से प्रभावित बच्चों का उपचार

22. (\*क्र. 323) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016-17 में 15-06-2016 तक मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुगंधित दूध वितरण किया जा रहा है? उसकी लागत राशि क्या है? इस योजना के तहत सुगंधित दूध को पीने के बाद कितने बच्चों की मृत्यु हुई है? कितने अस्वस्थ हुये? कितने अस्वस्थ बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार किया गया है? संपूर्ण जानकारी जिलेवार विकासखण्डवार दें?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : प्रश्नाधीन अवधि तक 26477 आंगनबाड़ी केन्द्रों में मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत दूध वितरण किया गया है. प्रदायित दूध की लागत राशि रुपये 1,07,94,475/- है. जिलेवार एवं विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. योजनांतर्गत दूध पीने से किसी बच्चे की मौत या बच्चे अस्वस्थ नहीं हुए हैं. अतः जानकारी निरंक है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंप कनेक्शन तथा घरेलू कनेक्शन की प्रदत्त सुविधा

23. (\*क्र. 210) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी योजनाओं (आधार सहित) के अंतर्गत पंप कनेक्शन तथा घरेलू कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है ? (ख) क्या बिलिंग तथा दर निर्धारण, सभी जिलों में समान रूप से किया गया है ? पंप एवं घरेलू कनेक्शन (एपीएल तथा बीपीएल) किस किस दर पर किया जाता है ? (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु ट्रांसफार्मर की सुविधा हेतु क्या मापदंड एवं छूट दिये जाते हैं ? (घ) बेमेतरा जिले में कितने कृषकों को विद्युत कनेक्शन दिया गया है उनमें किस-किस श्रेणी के कितने कृषकों को विद्युत शुल्क माफ है तथा कितने किसानों से कितना-कितना शुल्क लिया जा रहा है ? नवागढ़ एवं बेमेतरा विकासखण्ड के कितने कृषकों से विद्युत शुल्क लिया जा रहा है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा राज्य शासन से प्राप्त अनुदान के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में पंप कनेक्शन तथा घरेलू कनेक्शन देने की सुविधा उपभोक्ताओं को दी जा रही है. योजनावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) जी हां. राज्य के सभी जिलों में विद्युत दर का निर्धारण समान रूप से किया गया है तथा कृषि पम्प तथा ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. उपभोक्ताओं हेतु 01 अप्रैल 2016 से प्रभावशील विद्युत दरों का विवरण † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे राज्य में सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु यदि लाईन के अंतिम छोर पर उपलब्ध वोल्टेज निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप न होने पर अथवा विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त होने पर नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने का प्रावधान है. नये पंप कनेक्शन के लिए लाइन विस्तार/ट्रांसफार्मर स्थापना हेतु प्रति पंप रुपये 75 हजार की छूट की सुविधा है. (घ) बेमेतरा जिले में 39,165 कृषकों को सिंचाई पंप कनेक्शन दिया गया है जिनमें से 35,436 स्थाई तथा 3,729 अस्थायी पंप कनेक्शन है. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 के अनुसार सिंचाई पंप पर खपत पर विद्युत शुल्क देय नहीं है. अतः बेमेतरा जिले सहित नवागढ़ एवं बेमेतरा विकासखण्ड के किसी भी कृषक से विद्युत शुल्क नहीं लिया जा रहा है.

बिलासपुर जिले में रेडी टू ईट निर्माण हेतु अनुबंधित स्व सहायता समूह

24. (\*क्र. 97) **श्री सियाराम कौशिक** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में रेडी टू ईट निर्माण के लिये कितने स्व सहायता समूह को अनुबंधित किया गया है ? स्व सहायता समूह का नाम एवं आवंटित केन्द्रों की संख्या एवं स्थान की सूची उपलब्ध करावें. (ख) नियमानुसार एक समूह को कितने सेक्टर/केन्द्रों को रेडी टू ईट प्रदान करने का प्रावधान है ? (ग) ऐसे कितने समूह हैं जिन्हें एक से अधिक सेक्टर को रेडी टू ईट प्रदाय करने के लिये चयनित किया गया है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बिलासपुर जिले में रेडी टू ईट प्रदाय हेतु 102 महिला स्व सहायता समूहों को अनुबंधित किया गया है. समूहवार सूची † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) एक महिला स्व सहायता समूह द्वारा एक पर्यवेक्षक सेक्टर में रेडी टू ईट प्रदान करने का प्रावधान है. (ग) एक से अधिक सेक्टर में रेडी टू ईट प्रदाय करने हेतु कोई समूह चयनित नहीं है. 05 सेक्टर के लिए समूह चयन की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत 05 समूहों द्वारा एक से अधिक सेक्टर में रेडी टू ईट प्रदाय किया जा रहा है.

जिला महासमुंद में समाधान 36 के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण

25. (\*क्र. 303) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में समाधान 36 योजना कब से प्रारंभ हुई ? (ख) समाधान 36 में प्रारंभ दिनांक से 15-06-16 तक कितने आवेदनों का निपटारा किया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिले में समाधान 36 कार्ययोजना दिनांक 01-11-2014 से प्रारंभ की गई है. (ख) समाधान 36 में प्रारंभ दिनांक से 15-06-2016 तक कुल 34,55,528 आवेदनों का निपटारा किया गया.

## नियम 46 ( 2 ) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

### मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत दूध सेवन से बीमार/मृत बच्चे

1. (क्र. 2) **श्री कवासी लखमा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री अमृत योजना का दूध पीने से कितने बच्चे बीमार हुए तथा कितने बच्चे मर गये ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री अमृत योजना का दूध पीने से कोई भी बच्चा बीमार नहीं हुआ है और न ही किसी बच्चे की मृत्यु हुई है. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता.

### रायगढ़ जिला में गौण खनिज मद से निर्माण कार्यों पर व्यय राशि

2. (क्र. 26) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 में रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों में खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज मद अंतर्गत कुल कितनी-कितनी राशि किन-किन विकास व निर्माण कार्यों पर व्यय की गई ? विकासखण्डवार व्ययित राशि की जानकारी दें ? (ख) क्या प्रश्नांक “क” के तहत रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत टिमरलगा, गुडेली एवं धौराभांठा में गौण खनिज मद की राशि में अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो शिकायत पर जांच एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दें ? (ग) खनिज साधनों के उत्खनन में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु शासन द्वारा उक्त अवधि में क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? एवं इसके लिये की गई व्ययित राशि की जानकारी दें ?

**मुख्यमंत्री** ( डॉ. रमन सिंह ) : (क) खनिज विभाग के द्वारा गौण खनिज मद अंतर्गत राशि व्यय नहीं की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में रायगढ़ जिले के विकासखण्डों में गौण खनिज से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को आवंटित किया गया है जिनके द्वारा विकास व निर्माण कार्यों पर व्ययित राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां. वर्ष 2015-16 में गौण खनिज मद से निर्माण कार्यों के संबंध में ग्राम पंचायत टिमरलगा, गुडेली एवं धौराभांठा के द्वारा गौण खनिज की राशि की अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त जांच समिति द्वारा किया गया. समिति के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर 02 उप अभियन्ता, जनपद पंचायत, सारंगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. (ग) खनिजों के उत्खनन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति की भरपाई हेतु शासन द्वारा पट्टेधारियों के माध्यम से वृक्षारोपण कराया गया है.

### जिला बालोद में जन समस्या निवारण शिविर एवं जनदर्शन में प्राप्त आवेदन का निराकरण

3. (क्र. 50) **श्रीमती अनिला भेड्डिया** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिले के अंतर्गत 2016-17 में जनसमस्या निवारण शिविर एवं जनदर्शन में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ? (ख) उक्त वर्षों में प्राप्त आवेदन पत्रों में कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है कितने आवेदन निराकरण हेतु शेष है ? (ग) निराकरण न होने का क्या कारण है कब तक निराकरण किया जावेगा ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) बालोद जिले में वर्ष 2016-17 में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर एवं कलेक्टर जनदर्शन में कुल 6077 (छः हजार सतहत्तर) आवेदन प्राप्त हुए. (ख) प्रश्नावधि में जनसमस्या निवारण शिविर एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त कुल आवेदनों में से 5294 (पांच हजार दो सौ चौरानबे) आवेदनों का निराकरण हो चुका है. शेष 783 आवेदनों पर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है. (ग) प्रक्रियागत कारणों से निराकरण हेतु शेष रहे आवेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है. समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है.

### कोण्डागांव जिला में लोक सुराज अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण

4. (क्र. 65) **श्री संतराम नेताम** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिला में लोक सुराज अभियान 27 अप्रैल, 2016 से 24 मई, 2016 में कितने आवेदन प्राप्त हुए ? विकासखण्डवार संख्या बतायें. (ख) उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों में से कितने का निराकरण 15 जून, 2016 तक हो चुका है ? एवं कितनी शिकायतें एवं मांगें शेष हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ग) शेष शिकायतों का निराकरण कब तक हो जावेगा ?

**श्रम मंत्री** ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) : (क) प्रश्नावधि में लोक सुराज अभियान में कुल 519 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, विकासखण्डवार कुल प्राप्त आवेदनों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर 5 पर दर्शित है. (ख) प्रश्नावधि में निराकृत शिकायतों एवं मांगों की जानकारी क्रमशः † संलग्न परिशिष्ट के कॉलम नंबर 6 एवं 7 एवं शेष शिकायतों एवं मांगों की जानकारी कॉलम नंबर 9 एवं 10 पर विकासखण्डवार दर्शित है. (ग) शेष शिकायतों पर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है. समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य

5. (क्र. 179) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम/पारा/टोला/मोहल्ला हेतु विगत वर्ष 2014 से विद्युतीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है तथा कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था ? (ख) प्रश्नांक “क” के तहत स्वीकृत कार्यों में से कितने-कितने प्रतिशत कार्य कहां-कहां के पूर्ण हुए तथा कहां-कहां के विद्युतीकरण कार्य स्वीकृति उपरांत (प्रश्नांकित अवधि से पूर्व के भी) पूर्ण नहीं किये गये हैं ? कार्य पूर्ण नहीं होने के संबंध में संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध शर्तों के अनुरूप क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांक “क” के पूर्ण कार्यों में से कितनों के विद्युत की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है एवं कितनों में नहीं ? (घ) क्या भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम कुंआपाली में विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत है ? यदि हां तो उक्त क्षेत्र में कार्य नहीं किये जाने हेतु कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014 से दिनांक 30-06-2016 तक 92 पारा/टोला/मोहल्ला/बसाहटों में विद्युतीकरण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं. स्वीकृत कार्यों की योजनावार, ग्रामवार अद्यतन जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में सम्मिलित स्वीकृत कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण, 2 कार्य प्रगति पर जिन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जायेगा अतः ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता. शेष 84 कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रिया में है. ग्रामवार पूर्ण/कार्य प्रगति पर/निविदा प्रक्रिया की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) उत्तरांश “क” के सभी पूर्ण किये गए 6 ग्रामों में विद्युत की आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई है. (घ) भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम कुंआपाली में सघन विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में पूर्ण किया जा चुका है. मुख्यमंत्री मजराटोला योजना में सम्मिलित ग्राम कुंआपाली के अविद्युतीकृत नयापारा के विद्युतीकरण हेतु कार्यादेश दिनांक 27-06-2016 को जारी किया जा चुका है. कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक 31-12-2016 तक है. अतः कार्य नहीं किये जाने हेतु जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

जिला कबीरधाम में विकलांगों के पुनर्वास हेतु स्वीकृत/व्यय राशि

6. (क्र. 216) **श्री अशोक साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013-14 से 03 मई 2016 तक समाज कल्याण विभाग द्वारा कबीरधाम जिले में निःशुल्क पुनर्वास योजना अंतर्गत कबीरधाम जिले के विकलांगों के पुनर्वास हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं से प्राप्त हुई तथा कितनी-कितनी राशि उक्त योजना में व्यय की गई ? कितनी राशि शेष है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

जिला कबीरधाम के ग्रामों में विद्युत लाईन के केबलीकृत किए जाने संबंधी

7. (क्र. 217) **श्री अशोक साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कबीरधाम जिले में सी.एस.पी.डी.सी.एल. विद्युत विभाग में अधिकारियों एवं सभी वर्ग के कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत व कार्यरत हैं ? कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक पूरा कर लिया जावेगा ? (ख) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में विद्युत तार को केबलीकृत किया गया है ? सभी गांवों को केबलीकृत कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) कबीरधाम जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्युसन कंपनी लिमिटेड ( सी.एस.पी.डी.सी.एल. )

के संवर्गवार स्वीकृत एवं भरे गये पदों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्रमांक	वर्ग	पदों की संख्या		
		स्वीकृत	भरे गये	रिक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रथम श्रेणी	2	2	0
2.	द्वितीय श्रेणी	6	6	0
3.	तृतीय श्रेणी	94	53	41
4.	चतुर्थ श्रेणी	143	101	42
<b>योग</b>		<b>245</b>	<b>162</b>	<b>83</b>

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भरे गये पदों के अतिरिक्त बाह्य स्रोत से 61 कुशल/अकुशल श्रमिक कार्यरत है. परिचारक (संविदा) के पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. (ख) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र के कुल 527 ग्रामों में से 40 ग्रामों में 145.7 किलोमीटर खुले तार के स्थान पर केबल लगाया जा चुका है. खुले विद्युत तारों के स्थान पर केबल लगाने का कार्य लाईन लॉस की अधिकता वाले क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से किया जाता है. अतः सभी ग्रामों में खुले विद्युत तार के स्थान पर केबल लगाने की योजना स्वीकृत नहीं होने से निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.

#### मुख्यमंत्री अमृत दूध योजनांतर्गत दूध सेवन से मृत/पीड़ित बच्चों को दी गई सहायता

8. (क्र. 229) **श्री भैयाराम सिन्हा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री अमृत योजनांतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध प्रदाय किये जाने हेतु किस कंपनी/एजेंसी से अनुबंध किया गया है ? अनुबंध के नियम एवं शर्त की पूर्ण जानकारी देवें ? (ख) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दूध के आपूर्ति एवं भण्डारण की क्या व्यवस्था की गई है ? (ग) उक्त योजनांतर्गत वितरित दूध के सेवन से 15 जून, 2016 तक मृत एवं पीड़ित/बीमार बच्चों की पूर्ण जानकारी प्रदान करें. बच्चों के मृत एवं पीड़ित होने पर कौन जवाबदार है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) दुग्ध सेवन से मृत एवं पीड़ित/बीमार बच्चों के परिजनों को शासन की ओर से क्या सहायता उपलब्ध कराई गई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध के प्रदाय किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला, बी.एम.वाई. जिला दुर्ग से अनुबंध किया गया है. अनुबंध की शर्तें † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) योजना अंतर्गत दूध प्रदाय हेतु प्रदाय आदेश संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ को दिया जाता है. दुग्ध महासंघ द्वारा दूध का प्रदाय संबंधित बाल विकास परियोजना तक किया जाता है. बाल विकास परियोजनाओं से आंगनबाड़ी केन्द्र तक संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ले जाया जाता है. परियोजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर संबंधितों द्वारा उपलब्ध संसाधन अनुसार उचित एवं सुरक्षित रूप से भंडारण किया जाता है. दूध के सुरक्षित भंडारण हेतु सभी स्तर पर आवश्यक निर्देश व प्रशिक्षण दिया गया है. (ग) योजना अंतर्गत प्रदायित दूध से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है. (घ) ऐसा कोई प्रकरण नहीं है.

#### विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में विद्युतीकरण की स्थिति

9. (क्र. 241) **श्री दीपक बैज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्रांतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजनांतर्गत कौन-कौन से ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है ? (योजनावार, विकासखण्डवार जानकारी देवें). (ख) प्रश्नांश “क” के अंतर्गत कहां-कहां कार्य प्रारंभ किया गया है या किया जाना है ? (ग) विद्युतीकरण हेतु कौन-कौन से नवीन ग्रामों को कार्य योजना में शामिल या प्रस्तावित किया गया है ? कार्य कब तक प्रारंभ होगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा चित्रकोट के जिन ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं मुख्यमंत्री मजरा/टोला विद्युतीकरण योजनांतर्गत विद्युतीकरण के कार्य प्रगति पर हैं उनकी योजनावार, विकासखण्डवार

सूची † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में उल्लेखित † संलग्न परिशिष्ट के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है. (ग) विधान सभा चित्रकोट अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 07 नवीन ग्रामों यथा बोदली, कहचेनार, अमलीधर, कोडेनार, पावेल, तोयेनार तथा बागमुण्डीपनेड़ा को शामिल किया गया है. जिनमें से ग्राम कोडेनार का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्राम बोदली एवं पावेल में सौर ऊर्जा से एवं ग्राम तोयेनार में पारंपरिक विद्युत लाईन से विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है. शेष 3 ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा.

#### मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत दूध पीने से बच्चों की मौत की जांच

10. (क्र. 253) **श्री भूपेश बघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बच्चों को अमृत दूध पिलाये जाने की योजना का प्रारंभ प्रदेश में कब किया गया ? इसके क्या निर्धारित मापदण्ड हैं ? (ख) क्या यह सत्य है कि, अमृत दूध पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं ? यदि हां तो क्या इन मामलों की जांच कराई गई ? जांच में क्या पाया गया ? (ग) क्या अमृत दूध के पैकेजिंग से 90 दिनों तक खराब नहीं होने की गारंटी अवधि के पूर्व खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू)** : (क) मुख्यमंत्री अमृत योजना का प्रारम्भ राज्य में 29 अप्रैल, 2016 से किया गया है. आंगनबाड़ी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 1 दिवस 100 मिली लीटर सुगंधित मीठा दूध का वितरण किया जाना है. 100 मिलीलीटर दूध में प्रोटीन 3 ग्राम, कैलोरी 97 किलो कैलोरी, टोटल फैट 3 प्रतिशत, एस.एन.एफ. 8.5 प्रतिशत, कार्बोहाईड्रेट 14 ग्राम एवं ऐडेड शुगर 10 ग्राम होना चाहिए. (ख) मुख्यमंत्री अमृत योजनांतर्गत दूध पीने से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है. बीजापुर जिले में समाचार पत्रों में 2 बच्चों की मौत से संबंधित प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी बीजापुर से जांच कराई जा रही है. वर्तमान में जांच प्रक्रियाधीन है. (ग) दूध के पैकेट फूल जाने, लिकेज होने, पैकेट में गांठे पड़ने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं. ऐसे दूध का हितग्राहियों को वितरण नहीं किया जाता एवं ऐसे दूध/दूध के पैकेट को नष्ट कर दिया जाता है.

#### प्रदेश में अमृत योजना का प्रारंभ एवं संचालन

11. (क्र. 257) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अमृत योजना का प्रारंभ कब किया गया ? योजना के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है ? (ख) अमृत योजना के दूध सेवन से कब-कब, कहां-कहां, कितने बच्चों की मौत हुई है ? क्या इस घटना की जांच कराई गई है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू)** : (क) प्रदेश में अमृत योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ दिनांक 29-04-2016 को किया गया है. योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण दूध प्रदाय की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ की है एवं संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है. (ख) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत दूध सेवन से किसी भी बच्चे की मौत नहीं हुई है. बीजापुर जिले के ग्राम केतुलनार में हुई घटना की जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकारी बीजापुर से जिला प्रशासन द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार कराई जा रही है. जांच प्रक्रियाधीन है.

#### खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

12. (क्र. 261) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ? उनमें से कितने केन्द्र संचालित हैं एवं कितने केन्द्र प्रारंभ नहीं हुये हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने स्वयं के भवन में संचालित हैं ? एवं कितने केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं ? भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र में भवन निर्माण कब तक कर लिया जायेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू)** : (क) राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल 375 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से सभी 375 केन्द्र संचालित हैं. (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत 375 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 293 आं. बा. केन्द्र स्वयं भवन में एवं 37 आं.बा. केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं. स्वयं के भवन विहीन 82 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 51 केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किये जा चुके हैं, 31 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत किया जाना शेष है. वितीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है. निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत निराश्रितों एवं वृद्धाओं को प्रदत्त पेंशन

13. (क्र. 269) **श्री रामलाल चौहान** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने निराश्रित, वृद्ध एवं निराश्रित निःशक्तजन पंजीकृत हैं ? विकासखंडवार पृथक-पृथक जानकारी दें. (ख) निराश्रित वृद्ध एवं निराश्रित निःशक्तजन पेंशनधारियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है ? पृथक-पृथक बतायें. (ग) उपरोक्त पेंशनधारियों को 31-03-2016 तक की स्थिति में क्या पूरी पेंशन राशि प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं तो शेष कितने माह की एवं कब तक प्रदान की जावेगी ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विभाग द्वारा निराश्रितों का पंजीकरण नहीं किया जाता है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धजनों एवं निःशक्तजनों के लिए संचालित पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों को वर्तमान में निम्नानुसार प्रतिमाह पेंशन राशि दिये जाने का प्रावधान है :-

क्र. (1)	योजना का नाम (2)	दी जाने वाली पेंशन राशि (3)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60-79 वर्ष आयु वर्ग हेतु 350/- प्रतिमाह 80 वर्ष या अधिक आयु हेतु 650/- प्रतिमाह
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	500/- प्रतिमाह
3.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	350/- प्रतिमाह

(ग) हां, दिनांक 31-03-2016 की स्थिति में पूरी पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला महासमुंद में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन

14. (क्र. 306) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में असंगठित कर्मकार के कितने पंजीयन वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में हुए हैं ? विकासखंडवार संख्या बताएं. (ख) इन श्रमिकों को उक्त वर्ष में कितनी राशि की सहायता दी गई ? योजनावार एवं वर्षवार बताएं.

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) महासमुंद जिले में असंगठित कर्मकार के वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में कुल 35,447 पंजीयन हुए हैं, विकासखंडवार एवं वर्षवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाई गई है. (ख) श्रमिकों को प्रदाय सहायता राशि की जानकारी योजनावार एवं वर्षवार † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाई गई है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने एवं ट्रांसफार्मर खराब होने की प्राप्त शिकायतें

15. (क्र. 354) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने एवं ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरण खराब होने संबंधी कितनी शिकायतें वर्ष 2015-16 से माह 15 जून, 2016 तक में प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांकित अवधि में प्राप्त शिकायतों में से कितने ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरणों को शिकायत प्राप्त के कितने दिवसों के भीतर परिवर्तन/सुधार कर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ग) क्या क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति होने वाले सब स्टेशनों को संधारण का कार्य निजी संस्थान को दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर उक्त की मानिट्रिंग की जवाबदेही किसकी है ? एवं निजी संस्थान द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण त्वरित नहीं किये जाने हेतु कौन जवाबदेह है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 15 जून 2016 तक विद्युत आपूर्ति बाधित होने संबंधी 301 शिकायतें एवं ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरण खराब होने संबंधी 338 शिकायतें प्राप्त हुईं. (ख) उत्तरांश “क” में सम्मिलित 338 शिकायतों में से 331 शिकायतों का निराकरण 7 दिवस की सीमा में तथा शेष 7 शिकायतों का निराकरण 15 दिवस में, ट्रांसफार्मर बदल कर अथवा सुधार कर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई. ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरणों के खराब होने की शिकायत तथा उनके निराकरण की विकासखंडवार

जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने वाले 12 सब-स्टेशनों के संधारण का कार्य निजी संस्थान को नहीं दिया गया है. अपितु उक्त 12 सब-स्टेशन के संचालन का कार्य निजी संस्थान को ठेके पर सौंपा गया है, जिसकी मानिट्रिंग की जवाबदेही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के संबंधित कार्यपालन यंत्री पर है. उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की जवाबदेही भी संबंधित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं कनिष्ठ यंत्री की है.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में प्राप्त आवेदन/पंजीयन

16. (क्र. 411) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम कल्याण विभाग निधि से वर्ष 2013-14 से 15 जून, 2016 की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये और कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया ? (ख) उक्त असंगठित कर्मकारों को कुशल बनाने हेतु क्या-क्या प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई ? तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कब-कब, कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी अवधि के लिये किसके माध्यम से आयोजित किया गया तथा इसमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) क्या पंजीकृत व्यक्तियों को उक्त अवधि में वितरित सामग्री में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है.

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम कल्याण निधि से वर्ष 2013-14 से 15 जून, 2016 की स्थिति में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत कुल 11557 आवेदन प्राप्त हुए और 10950 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” में दर्शाई गई है. (ग) जी नहीं. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

सक्ती विधान सभा क्षेत्र में खनिज उत्खनन से प्राप्त रायल्टी

17. (क्र. 412) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 01 जनवरी, 2013 से 15 जून, 2016 तक गौण खनिज उत्खनन किन-किन ग्रामों में किया जा रहा है ? इस योजना से शासन को कितनी-कितनी राशि रायल्टी के रूप में प्राप्त हो रही है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहाँ-कहाँ किये हैं ? विकासखण्डवार ग्रामवार जानकारी दें ? (ग) उल्लेखित अवधि में कितने मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हुये तथा उन्हें कितना-कितना मुआवजा प्रदान किया गया है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2013 से 15 जून, 2016 तक स्वीकृत जिन ग्राम के खदानों में गौण खनिज का उत्खनन हुआ है, उसकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट-एक के कॉलम-3 पर दर्शित है. उक्त खदानों से शासन को प्राप्त रायल्टी की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” के कॉलम-6 पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) उक्त उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र के खदानों में किसी मजदूर की दुर्घटना नहीं हुई है.

विकासखण्ड सारंगढ़ के ग्राम खजरी के आंगनबाड़ी केन्द्र में रिक्त सहायिका के पद की नियुक्ति

18. (क्र. 426) **श्रीमती केराबाई मनहर** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकासखण्ड सारंगढ़ के ग्राम खजरी के आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका का पद कब से रिक्त है ? (ख) रिक्त पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब निकाला गया है ? (ग) सहायिका पद हेतु संबंधित ग्राम पंचायत में कितने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ? (घ) आंगनबाड़ी केन्द्र खजरी विकासखण्ड सारंगढ़ में रिक्त सहायिका पद पर नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) विकासखण्ड सारंगढ़ के ग्राम खजरी के आंगनबाड़ी केन्द्र में सहायिका का पद रिक्त नहीं है. (ख) से (घ) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

-----

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिला के खरसिया विकासखंड में अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

1. (क्र. 31) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड अंतर्गत बरगढ़ खोला आदिवासी अंचल में अलग-अलग खनिज पत्थरों एवं छुही मिट्टी खनन हेतु कितनी-कितनी खदानों के लिए परमिट खनिज विभाग द्वारा जारी किये गये हैं ? स्थल व जमीन के रकबावार जानकारी दें. (ख) जनवरी 2015 से प्रश्नांकित अवधि तक खरसिया विकासखंड में अवैध खनन के कुल कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ग) प्रश्नांक “ख” के तहत दर्ज 03 प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितने राजस्व की वसूली जुर्माना के रूप में की गई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखण्ड अंतर्गत बरगढ़ खोला आदिवासी अंचल में खनिज पत्थरों एवं छुही मिट्टी खनन हेतु कोई खदान/परमिट स्वीकृत नहीं किया गया है. (ख) जनवरी, 2015 से दिनांक 15-06-2016 तक खरसिया विकासखंड अंतर्गत कुल 03 अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ग) उक्त दर्ज 03 प्रकरणों में कुल रुपये 75000/- समझौता राशि वसूल की गई.

जिला रायगढ़ एवं जशपुर में खनिज न्यास मद राशि से विकास कार्यों हेतु प्रदत्त राशि

2. (क्र. 32) **श्री उमेश पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नांकित अवधि तक खनिज न्यास मद के तहत रायगढ़ एवं जशपुर जिले के विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों के लिए कुल कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है ? जिलेवार प्राप्त राशि की जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक “क” के तहत प्राप्त राशि की कुल कितनी-कितनी रकम किन-किन विकास कार्यों पर व्यय की गई है ? (ग) खनिज न्यास मद के तहत निर्माण कार्य हेतु किन-किन स्थानों से कुल कितने-कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत कार्यों को किन-किन मापदण्डों पर व्यय हेतु स्वीकृति दी गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 24 जून 2016 तक जिला खनिज संस्थान न्यास मद में रायगढ़ जिले में रुपये 13,65,19,839 एवं जशपुर जिले में रुपये 7,85,74,179 प्राप्त हुए हैं. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त राशि का व्यय किसी भी विकास कार्यों में नहीं किया गया है. जिलों में निर्माण एवं विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. (ग) रायगढ़ खनिज संस्थान न्यास से व्यय हेतु जन प्रतिनिधियों एवं विभागों से प्राप्त प्रस्ताव का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है. जशपुर खनिज संस्थान न्यास को उक्त वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं. प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृत कार्यों के मापदण्ड एवं व्यय हेतु स्वीकृति की जानकारी निरंक है.

जिला कोण्डागांव में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री का किट क्रय

3. (क्र. 58) **श्री मोहन मरकाम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले अंतर्गत वर्ष 15-16 में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री किट क्रय/सप्लाय हेतु कितनी-कितनी राशि परियोजनाओं को प्राप्त हुई ? मदवार जानकारी दी जाए. (ख) कंडिका “क” के अनुसार उक्त अवधि में किन-किन संस्थाओं द्वारा सामग्री प्रदायित की गयी ? कितनी राशि का भुगतान किया गया ? सामग्री प्रदायित संस्था का टीन नंबर दिया जाए.

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) कोण्डागांव जिले अंतर्गत वर्ष 2015-16 में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री-स्कूल किट क्रय हेतु परियोजनाओं को आवंटन प्रदाय नहीं किया गया है. वर्ष 2015-16 में जिला कार्यक्रम अधिकारी कोण्डागांव को राशि रुपये 26,73,250/- का आवंटन मांग संख्या 41-2235-02-102-0702-9044#25-006 अंतर्गत जारी किया गया. (ख) छ. ग. सेल्स एण्ड सप्लायर रायपुर द्वारा प्री-स्कूल किट सामग्री प्रदाय की गई है. राशि का भुगतान नहीं किया गया है. सामग्री प्रदायकर्ता संस्था छ. ग. सेल्स एण्ड सप्लायर रायपुर का टीन नंबर 22571309508 है.

कोण्डागांव जिले के गांवों, मजरां, टोलों का विद्युतीकरण

4. (क्र. 59) **श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत

गावों, मजरों टोलों के विद्युतीकरण हेतु पुनः निविदा जारी किए जाने उपरांत विभिन्न योजनाओं अंतर्गत किन-किन गावों, मजरों टोलों का विद्युतीकरण प्रारंभ किया गया ? कार्य की भौतिक प्रगति क्या है ? (ख) कंडिका “क” के अनुसार विद्युतीकरण हेतु कौन-कौन से नवीन ग्राम, मजरे टोलों को किस योजना अंतर्गत कार्य योजना में शामिल या प्रस्तावित किया गया ? कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कोण्डगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों, मजरों टोलों के विद्युतीकरण हेतु केवल आर. जी. जी. व्ही. वाय. में पुनः निविदा जारी की गई. उक्त क्षेत्र में विभिन्न योजना में सम्मिलित ग्राम/मजरा-टोला विद्युतीकरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	ग्राम की संख्या	मजरा-टोला की संख्या	कार्य पूर्ण		कार्य प्रगति पर	
				ग्राम	मजराटोला	ग्राम	मजराटोला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (पुनः निविदा में सम्मिलित)	42	196	11	50	31	146
2.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	5	11	4	8	1	3
3.	मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना	1	4	-	-	-	-
4.	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	1	3	1	3	-	-

ग्रामों/मजरा-टोला में विद्युतीकरण कार्य की अद्यतन जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) उत्तरांश “क” में सम्मिलित 05 नवीन ग्रामों के 11 मजरा-टोला का विद्युतीकरण कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में एवं 1 नवीन ग्राम के 4 मजरा टोला को मुख्य मंत्री मजरा/टोला विद्युतीकरण योजना में शामिल किया गया है. ग्राम/मजरा-टोलावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

#### केशकाल विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण

5. (क्र. 78) **श्री संतराम नेताम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केशकाल विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कितने ग्राम, पारा, टोलों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है ? (ख) कितने ग्राम, पारा, टोले शेष हैं ? उक्त ग्राम/बसाहटों में कब तक विद्युतीकरण का कार्य किया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) केशकाल विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 09 ग्रामों में सौर ऊर्जा से तथा 172 ग्रामों के 1,319 पारों/टोलों में पारम्परिक लाइन बिछाकर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. (ख) केशकाल विधानसभा क्षेत्र के 85 ग्रामों के 560 पारों/टोलों में विद्युतीकरण का कार्य शेष है जिसे मार्च 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है.

#### जिला कोण्डगांव में रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

6. (क्र. 79) **श्री संतराम नेताम** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोण्डगांव में वर्ष 2015-16 में रेडी-टू-ईट सप्लाय अथवा खरीदी किस-किस समूह अथवा फर्म से की जा रही है ? (ख) रेडी-टू-ईट की गुणवत्ता हेतु शासन द्वारा क्या मापदंड तय किया गया है ? (ग) रेडी-टू-ईट के गुणवत्ताहीन होने संबंधी कितनी शिकायतें उक्त अवधि में प्राप्त हुई हैं ? तथा प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विकासखंडवार जानकारी दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) कोण्डागांव जिले में प्रश्नाधीन अवधि में रेडी-टू-ईट का प्रदाय कर रहे 56 महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार 100 ग्राम रेडी-टू-ईट में प्रोटीन की न्यूनतम मात्रा 10.65 ग्राम एवं कैलोरी की न्यूनतम मात्रा 361.86 किलो कैलोरी होनी चाहिए. (ग) कोण्डागांव जिले से प्रश्नाधीन अवधि में रेडी-टू-ईट के गुणवत्ताहीन होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता.

जिला राजनांदगांव में औद्योगिक इकाइयों एवं सिंचाई हेतु कृषि पंप की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुदान

7. (क्र. 95) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदगांव में वर्ष 2015-16 से माह मई, 2016 तक औद्योगिक इकाइयों को 25 हॉर्स पावर तक के विद्युत विस्तार एवं कनेक्शन की स्थापना हेतु एवं कृषकों को सिंचाई पंप के स्थापना हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने स्वीकृत किए गए एवं कितने का निराकरण किया जाना शेष है ? (ख) प्रश्नांश “क” के विद्युत विस्तार एवं कनेक्शनों हेतु शासन की नीति के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों को एवं कृषकों को कितना-कितना अनुदान उक्त विस्तार एवं कनेक्शनों हेतु दिया जाता है एवं प्रश्नांश “क” के प्रकरणों में कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला राजनांदगांव में 01-04-2015 से माह मई, 2016 तक 25 हॉर्स पावर तक औद्योगिक इकाइयों के कनेक्शनों हेतु कुल 97 आवेदन प्राप्त हुए. सभी 97 आवेदकों को कनेक्शन हेतु प्रॉक्कलन स्वीकृत किए जा चुके हैं. इसी प्रकार कृषकों के सिंचाई पम्पों के लिए 3,913 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,615 कृषकों के सिंचाई पम्प कनेक्शन हेतु प्रॉक्कलन स्वीकृत किये जा चुके हैं. शेष 298 सिंचाई पम्प आवेदनों में कार्यवाही प्रचलित है. (ख) औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुदान का प्रावधान नहीं है. सिंचाई पंप कनेक्शन में लाइन विस्तार आवश्यक होने पर प्रति कृषक रुपये 75000/- लाइन विस्तार हेतु अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है. वर्ष 2015-16 से माह मई 2016 तक 2,257 कृषकों के पंप कनेक्शन हेतु कुल रुपये 18.20 करोड़ का अनुदान दिया गया है.

बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में सोलर पैनल से ऊर्जाकरण संबंधी

8. (क्र. 126) **श्री जनकराम वर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा, सिमगा, बलौदाबाजार में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मई 16 तक क्रेडा विभाग द्वारा कहां-कहां (सार्वजनिक एवं निजी) सोलर पैनल लगाकर ऊर्जाकृत किया गया है ? कृपया पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ख) उपरोक्त वर्ष में क्रेडा विभाग द्वारा लगाये गये कितने सोलर पैनल वर्तमान में बंद हैं. यदि बंद हैं तो कारण बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तिल्दा, सिमगा, बलौदाबाजार में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में मई 16 तक क्रेडा द्वारा जिन सार्वजनिक एवं निजी स्थलों को सोलर पैनल लगाकर ऊर्जाकृत किया गया है, उनकी पृथक-पृथक जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) वर्तमान में सभी सोलर पैनल कार्यशील हैं.

विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में गौण खनिज उत्खनन हेतु जारी अनुज्ञा

9. (क्र. 157) **श्री चिन्तामणी महाराज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा में बालू, मुरुम, गिट्टी खनन हेतु कितने अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार कितने अनुज्ञा पत्र जारी कर खनन कार्य कर रहे हैं. और इनसे कितनी राशि विगत 3 वर्षों में शासन को प्राप्त हुई ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र लुण्ड्रा के अंतर्गत रेत, मुरुम तथा गिट्टी खनन हेतु अनुज्ञा स्वीकृत नहीं किया गया है. पत्थर एवं चूनापत्थर के 42 उत्खनिपट्टे स्वीकृत हैं. (ख) विगत 03 वर्षों में उक्त पत्थर एवं चूनापत्थर के स्वीकृत खदानों से शासन को रायल्टी राशि रुपये 3,34,88,206 प्राप्त हुआ है.

भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में बाल श्रमिक संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

10. (क्र. 193) **श्री मनोज सिंह मंडावी** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सत्र 2015-16 एवं 2016-17 में दिनांक 15 जून, 2016 की स्थिति में कौन-कौन से व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्यमों में बाल मजदूरों से कार्य लिये जाने की शिकायत विभाग को कब-कब प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश "क" के तहत प्राप्त शिकायतों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सत्र 2015-16 एवं 2016-17 में दिनांक 15 जून 2016 की स्थिति में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्यमों में बाल मजदूरों से कार्य लिये जाने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर-चांपा में लोक सुराज अभियान 2016 के तहत आयोजित शिविर

11. (क्र. 208) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा लोक सुराज अभियान 2016 के कार्यक्रम में जिला जांजगीर-चांपा में जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय कितने शिविर का आयोजन किया गया ? स्थलवार, तिथिवार जानकारी दें ? (ख) उक्त शिविरों में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए. शिविरवार प्राप्त आवेदन के साथ निराकृत आवेदन एवं लंबित आवेदन की जानकारी दें ? (ग) उक्त शिविर के आयोजन का खर्च किस मद से किया गया. शिविरवार खर्च की जानकारी बतावें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लोक सुराज अभियान वर्ष 2016 में जिला जांजगीर-चांपा में जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय कुल 67 शिविरों का आयोजन किया गया है. शिविरों के आयोजन की स्थलवार एवं तिथिवार जानकारी + संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) शिविरों में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदन पत्रों की जानकारी + संलग्न परिशिष्ट दर्शित है. (ग) शिविरों के आयोजन का मद पृथक से नहीं है. संबंधित विभाग प्रचलित मद से करते हैं.

विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में विद्युतीकरण के स्वीकृत कार्य

12. (क्र. 209) **श्री केशव चन्द्रा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेस II, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना एवं मुख्यमंत्री यांत्रिकी विद्युतीकरण योजना अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत हैं. ग्रामवार बतायें ? (ख) उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने कार्य पूर्ण हो गये हैं एवं कितने कार्य प्रगतिरत या अप्रारंभ हैं ? एवं कब तक कार्य पूर्ण किया जाना है ? (ग) क्या जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को एल. ई. डी. बल्ब प्रदाय करने की योजना है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर के लिए विधान सभा क्षेत्र जैजैपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 175 ग्रामों के 437 बसाहटों में विद्युत विस्तार के कार्य स्वीकृत किये गये हैं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं. ग्रामवार जानकारी + संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. उक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के तहत 18 ग्रामों में विद्युत विस्तार के कार्य स्वीकृत किये गये हैं. ग्रामवार जानकारी + संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ख) उत्तरांश "क" के तहत उल्लेखित कार्यों में से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों की ग्रामवार अद्यतन जानकारी + संलग्न प्रपत्र "अ" परिशिष्ट-एक में तथा मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण कार्यों की ग्रामवार अद्यतन जानकारी + संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. उक्त सभी स्वीकृत कार्यों को मार्च 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है. (ग) जी हां. जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक बी. पी. एल. कनेक्शनधारी उपभोक्ता को 03 एल. ई. डी. लैम्प निःशुल्क प्रदाय करने की योजना है.

कवर्धा विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल, विद्युत तथा भवन व्यवस्था संबंधी

13. (क्र. 223) **श्री अशोक साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कवर्धा विधान सभा क्षेत्र के कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन है ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपंप नहीं है ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में

विद्युत व्यवस्था नहीं है ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद रिक्त है ? इन रिक्त पदों को कब तक पूरा कर लिया जावेगा ? कृपया जानकारी विकासखंडवार दें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री ( श्रीमती रमशीला साहू ) :** (क) कवर्धा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 148 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र से 50 मीटर के भीतर 236 आंगनबाड़ी केन्द्र में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपंप नहीं है एवं 660 आंगनबाड़ी केन्द्र विद्युत विहीन है तथा 9 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं 12 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद रिक्त हैं. रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. विकासखंडवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला बालोद को विभिन्न मद में प्राप्त एवं व्यय राशि

14. (क्र. 232) **श्री भैयाराम सिन्हा :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में विभाग द्वारा बालोद जिले को किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? वर्षवार, मदवार जानकारी दें ? (ख) कण्डिका “क” में स्वीकृत राशि को किन-किन मदों में कितना व्यय किया गया ? वर्षवार, मदवार जानकारी दें ? (ग) कण्डिका “क” की अवधि में विभाग द्वारा कब-कब, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से आयोजन किये गये एवं इसमें कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार विवरण दें ?

**श्रम मंत्री ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) :** (क) एवं (ख) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ग) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

जिला बस्तर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं

15. (क्र. 242) **श्री दीपक बैज :** क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा वर्तमान में खेल एवं युवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलन में हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में प्रचलित योजनाओं हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 (मई, 2016) तक कौन-कौन से मद में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ग) प्रश्नांश “ख” में प्राप्त राशि को किन-किन मदों में व्यय किया गया है ? मदवार जानकारी दें ?

**श्रम मंत्री ( श्री भईयालाल राजवाड़े ) :** (क) बस्तर जिले के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा वर्तमान में खेल एवं युवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से-मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना, युवक कल्याण गतिविधियाँ, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, महिला खेलकूद प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय संघ एवं संस्थाओं को अनुदान, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार, सिविल सर्विसेस खेल एवं मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि योजनाएं प्रचलन में हैं. (ख) एवं (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में है.

विद्युत चोरी/लाईन चोरी लॉस को कम करने के लिए केबल तार लगाने में व्यय राशि

16. (क्र. 245) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विद्युत चोरी/लाईन लॉस को नियंत्रित करने के लिए केबल तार लगाए जाने का निर्णय कब लिया गया और उस पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई ? (ख) कंडिका “क” के क्रियान्वयन से लाईन लॉस/विद्युत चोरी के मामले में औसतन कितनी कमी आई ? इसकी समीक्षा कब, किसके द्वारा की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) कंडिका “क” के तहत 31 मार्च 2016 तक कितने किलोमीटर लाइन को केबल तार में परिवर्तित करने का कार्य किया गया है ? क्या कार्य एजेंसियों द्वारा लगाए गए केबलों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें मिली हैं ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

**मुख्यमंत्री ( डॉ. रमन सिंह ) :** (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदेश में लाईन लॉस का कम करने एवं बिजली की चोरी को नियंत्रित करने के प्रयोजन से खुले तार के स्थान पर केबल लगाये जाने का कार्य वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है. केबल लगाने के लिए इस कार्य हेतु दिनांक 31 मार्च 2016 तक राशि रुपये 228.30 करोड़ खर्च किया गया है. (ख) केबल लगाने के कारण कितने प्रतिशत लाईन लॉस की हानि कम हुई है की जानकारी संधारित नहीं होने से बताया जाना संभव नहीं है. लेकिन केबल लगाने के कार्य के साथ-साथ नवीन 33/11 उपकेन्द्रों की स्थापना सहित अधिक लोड वाली विद्युत वितरण लाइन की लम्बाई को कम करने हेतु अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना से प्रदेश में वर्ष 2009-10 में लाईन लॉस 31.50 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2015-16 में 21.53 प्रतिशत हो गया है. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी † परिशिष्ट “इक्तीस” † † परिशिष्ट “बत्तीस” † परिशिष्ट “तैतीस”

द्वारा लाइन लॉस की समीक्षा प्रत्येक मासिक बैठक में की जाती है। (ग) उत्तरांश “क” के तहत दिनांक 31 मार्च 2016 तक 7,528 किलोमीटर खुले तार के स्थान पर केबल में परिवर्तित करने का कार्य किया गया है। जी हां। कार्य एजेंसियों के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अम्बिकापुर संचालन/संधारण संभाग में क्रमशः मेसर्स राहुल एजेंसी, मायापुर, अम्बिकापुर, ज्योति कन्सट्रक्शन कंपनी, घुटरापारा, अम्बिकापुर एवं आर. पी. जायसवाल, केदारपुर अम्बिकापुर द्वारा सप्लाई किये गये केबल की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत उक्त केबल की गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाये जाने की शिकायतों की जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सक्ती संचालन/संधारण संभाग के अंतर्गत ग्राम भोथीडीह एवं कांसीगढ़ में केबल की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कराये जाने पर शिकायत सही नहीं पायी गयी, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। रायगढ़ जिले में (संचा/संधा) संभाग रायगढ़-2 के अंतर्गत ग्राम गोबरसिंधा (बरमकेला) में गुणवत्ताहीन केबल तार लगाने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच में 200 मीटर केबल मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाया गया जिसे ठेकेदार द्वारा बदल दिया गया है।

### जिला रायपुर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

17. (क्र. 246) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के कितने केन्द्र भवन विहीन हैं ? वर्तमान में भवन की क्या व्यवस्था है ? (ग) कंडिका “ख” के केन्द्रों के लिए भवन कब तक उपलब्ध होगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) रायपुर जिले में विधानसभा क्षेत्रवार संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) स्वयं के भवन विहीन केन्द्रों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। ऐसे केन्द्र जिनके लिए स्वयं के भवन नहीं हैं उन आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये के भवन, सामुदायिक भवन एवं अन्य शासकीय भवनों में किया जाता है, जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्रतिवर्ष वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

### विद्युत उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि के निर्धारण संबंधी

18. (क्र. 247) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विद्युत उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले सुरक्षा निधि राशि का निर्धारण/मापदण्ड का आधार क्या है ? उपभोक्ता श्रेणीवार ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि लिए जाने का निर्णय कब और किन कारणों से किया गया ? (ग) कंडिका “ख” की निधि में जमा राशि का समायोजन कब और किन परिस्थितियों में किए जाने का प्रावधान है ? वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कितने प्रकरणों पर समायोजन की कार्यवाही की गई ? राशि सहित ब्यौरा दें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) नये विद्युत उपभोक्ताओं से कनेक्शन जारी करते समय सुरक्षा निधि तथा विद्यमान उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में केवल एक बार प्राप्त करने का नियम है। तदनुसार वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 की संगत कंडिकाओं के अंतर्गत की जाती है। सुरक्षा निधि तथा अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना का विवरण † † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं “ब” में दर्शित है। (ख) उत्तरांश “क” के उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि लिए जाने का निर्णय अविभाजित म. प्र. वि. मं. के समय लिया गया है। उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि लिये जाने का आधार यह है कि उपभोक्ताओं को वितरण कम्पनी द्वारा प्रदाय की गई बिजली की खपत एवं जारी बिजली बिल में भुगतान हेतु निर्धारित अवधि में 02 माह का अंतराल रहता है, अतः बिल भुगतान प्राप्त करने में होने वाले उक्त अंतराल के परिपेक्ष्य में उपभोक्ताओं से सुरक्षा निधि की मांग की जाती है। (ग) उत्तरांश “ख” में ली जाने वाली सुरक्षा निधि को उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिल के भुगतान हेतु निर्धारित अंतिम तारीख तक भुगतान न करने की स्थिति में अथवा विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेद करने पर, समस्त बकाया राशि में समायोजित करने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में 2,19,070 उपभोक्ताओं से प्राप्त सुरक्षा निधि में से राशि रुपये 80.57 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में 1,87,106 उपभोक्ताओं से प्राप्त सुरक्षा निधि में से राशि रुपये 85.57 करोड़ का समायोजन किया गया है।

बस्तर संभाग में सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना

19. (क्र. 250) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 15-06-2016 के मध्य कितने सौर ऊर्जा के प्लांट लगाये गये हैं ? उसकी लागत क्या है ? (ख) प्रश्नांश “क” में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के मरम्मत व रखरखाव हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 15-06-2016 के मध्य क्रेडा द्वारा 461 सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाये गये हैं. उनकी कुल लागत रुपए 3117.36 लाख है. (ख) प्रश्नांश “क” में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के मरम्मत व रखरखाव हेतु वर्ष 2015-16 में कुल रुपये 10,30,657/- एवं वर्ष 2016-17 में रुपये 88,988/- की राशि प्रदाय की गई है.

बस्तर संभाग में श्रमिक दुर्घटना के प्रकरणों का मुआवजा

20. (क्र. 251) **श्री लखेश्वर बघेल** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 15-06-2016 तिथि के मध्य कितने श्रमिकों की दुर्घटना के प्रकरण प्रकाश में आये ? विकासखण्डवार ब्यौरा उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश “क” में दुर्घटनाग्रस्त कितने श्रमिकों को किस-किस प्रकार का मुआवजा दिया गया ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) बस्तर संभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 15-06-2016 तिथि के मध्य 6 श्रमिकों की दुर्घटना के प्रकरण प्रकाश में आये. विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाई गई है. (ख) प्रश्नांश “क” में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों को प्रदत्त मुआवजा की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाई गई है.

प्रदेश में संचालित शासकीय विद्युत संयंत्र

21. (क्र. 254) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने शासकीय विद्युत संयंत्र संचालित हैं? क्षमतावार जानकारी देवें ? (ख) वर्ष 2012-13 से 15-16 में प्रदेश में कितना बिजली उत्पादन हुआ ? वर्षवार जानकारी देवें ? (ग) क्या उक्तावधि में विद्युत की मांग की तुलना में उत्पादन कम होने की स्थिति में निजी कंपनियों से बिजली खरीदी गई है ? यदि हाँ तो वर्षवार खरीदी की दर सहित जानकारी देवें ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रदेश में 15 शासकीय विद्युत संयंत्र संचालित है. उक्त संयंत्रों की क्षमतावार जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है. (ख) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में 2,20,704.85 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ. संस्थावार, वर्षवार जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है. (ग) जी हाँ. प्रश्नाधीन अवधि में निजी कंपनियों से खरीदी गई बिजली की मात्रा एवं दर नीचे तालिका में दर्शित है :-

वर्ष	मात्रा (मिलियन यूनिट में)	औसत दर (रु. प्रति यूनिट)
2012-13	2575.11	2.31
2013-14	1911.14	2.70
2014-15	566.15	2.46
2015-16	138.62	2.95

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन संबंधी

22. (क्र. 255) **श्री भूपेश बघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अखिल भारतीय सेवा के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु तथा विभागीय जांच पूर्ण होने के पश्चात् निर्णय/कार्यवाही हेतु कितने प्रकरण राज्य सरकार के पास कब-कब से लंबित हैं ? (ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में निर्णय लेने में विलंब होने के क्या कारण हैं ? (ग) उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब” एवं “स” पर दर्शित है. (ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर लंबित प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. (ग) उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त शिकायतें

23. (क्र. 258) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 में लोक सुराज अभियान के दौरान प्रदेश में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? कितने का निराकरण किया गया है ? कितनी लंबित है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” के अनुसार शेष बची शिकायतों के निराकरण की समय सीमा क्या है ? (ग) लोक सुराज अभियान के तहत सुराज दल को बंधक बनाये जाने अथवा बहिष्कार किये जाने की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) वर्ष 2016 में लोक सुराज अभियान अंतर्गत प्रदेश स्तर पर कुल 6746 शिकायतें प्राप्त हुईं. जिलेवार जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) प्रक्रियागत कारणों से निराकरण हेतु शेष रहे आवेदनों पर कार्यवाही प्रचलित है. समयसीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) केवल उत्तर बस्तर कांकेर जिले में एक दल को बंधक बनाया गया तथा 20 दल का बहिष्कार किया गया.

प्रदेश में संचालित विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

24. (क्र. 259) **श्री टी. एस. सिंहदेव** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में ऐसे कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो विद्युत विहीन हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है ? (ग) प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र अपने स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) प्रदेश में कुल 34365 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो विद्युत विहीन हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रदेश में 17913 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है. (ग) प्रदेश में 13109 आंगनबाड़ी केन्द्र अपने स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में जनसमस्या निवारण के प्राप्त आवेदनों का निराकरण

25. (क्र. 262) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सुराज अभियान वर्ष 2015 एवं 2016 अंतर्गत राजनांदगांव में खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने जनसमस्या के आवेदन/शिकायतें दर्ज की गई हैं ? दर्ज शिकायतों में से कितने का निराकरण कर दिया गया है ? कितनी शिकायतें शेष हैं ? (ख) शेष शिकायतों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) लोक सुराज अभियान वर्ष 2015 में कुल 381 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निराकरण हो चुका है तथा वर्ष 2016 में आयोजित अभियान में प्राप्त 1717 आवेदनों पत्रों में से 945 का निराकरण हो चुका है. निराकरण हेतु 772 आवेदन पत्र शेष हैं. (ख) शेष आवेदन पत्रों का निराकरण शीघ्र किया जायेगा.

प्रदेश के कुपोषित बच्चों की संख्या

26. (क्र. 263) **श्री गिरवर जंघेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जून 2016 की स्थिति में प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है ? जिलेवार बतावें. (ख) कुपोषण से मुक्ति हेतु राजनांदगांव जिले को वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा कितनी राशि व्यय की गई ? विधानसभावार बतावें ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के बीमा का प्रावधान

27. (क्र. 266) **श्री भोलाराम साहू** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य की पंजीकृत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अनुसार बीमा सुविधा दिये जाने के क्या-क्या प्रावधान हैं ? श्रमिकों की सामान्य मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु एवं स्थायी अपंगता पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है ? (ख) 15-06-2016 की स्थिति में राजनांदगांव जिले के कितने श्रमिकों की बीमा किया गया है ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) राज्य की पंजीकृत कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए छ. ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में बीमा सुविधा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 25,000, दुर्घटना मृत्यु होने पर रुपये 01 लाख एवं स्थायी अपंगता होने पर रुपये 75 हजार राशि का भुगतान किया जाना प्रावधानित है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित निर्माण श्रमिक एवं असंगठित श्रमिकों के दुर्घटना मृत्यु व स्थायी अपंगता पर रुपये 2 लाख तथा जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर रुपये 2 लाख संबंधित बैंक द्वारा दिये जाने का प्रावधान है. (ख) दिनांक 15-06-2016 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 54,263 निर्माण श्रमिकों एवं 27,321 असंगठित श्रमिकों का तथा जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 201 निर्माण श्रमिकों का बीमा किया गया है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विद्युत कनेक्शन के प्राप्त आवेदन

28. (क्र. 267) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 15 जून, 2016 की स्थिति में सिंचाई पम्पों के विद्युत कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदकों को कनेक्शन दिये गये हैं ? कृपया विकासखंडवार बतावें.

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : प्रश्नाधीन अवधि में खुज्जी विधान सभा क्षेत्रांतर्गत विकासखंड छुरिया एवं चौकी में क्रमशः 895 तथा 250 सिंचाई पम्पों के आवेदन प्राप्त हुए तथा क्रमशः 506 एवं 137 कनेक्शन दिए गए हैं.

जिला महासमुंद में खेल एवं युवा कल्याण मद में स्वीकृत राशि

29. (क्र. 270) **श्री रामलाल चौहान** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में खेल एवं युवा कल्याण मद से वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में दिनांक 31-03-2016 की अवधि तक कितनी-कितनी राशि खेलकूद, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृत की गई ? विकासखंडवार वर्षवार बतायें. (ख) उक्तावधि में स्वीकृत राशि का व्यय किस-किस मद से किया गया है ? वर्षवार, विकासखंडवार आयोजन स्तरवार बतायें ? (ग) उक्तावधि में महासमुंद जिले में कितने खिलाड़ियों को किन-किन खेलों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु चयन हुआ ? वर्षवार, खेलवार बतावें.

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में स्टेडियम एवं मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु राशि स्वीकृत नहीं की गई है. वर्ष 2013-14 में जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये खेलकूद हेतु रुपये 72000/- एवं वर्ष 2015-16 में जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये खेल कूद हेतु रुपये 264200/- स्वीकृत किये गये हैं. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय खेल आयोजन हेतु वर्ष 2013-14 के लिए रुपये 433900/- एवं वर्ष 2015-16 के लिये रुपये 506000/- स्वीकृत किये गए हैं. (ख) स्वीकृत राशि का व्यय वर्ष 2013-14 में जिले के प्रत्येक विकासखंड के लिये विकासखंड स्तरीय मैराथन दौड़, विकासखंड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, विकासखंड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिये आयोजन मदों में तथा वर्ष 2015-16 में विकासखंड स्तरीय मैराथन दौड़, विकासखंड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, विकासखंड स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिये आयोजन मदों में किया गया है. उपरोक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय आयोजन हेतु स्वीकृत राशि का व्यय खेल प्रशिक्षण शिविर, स्वतंत्रता दौड़, खेल दिवस आयोजन, जिला स्तरीय मैराथन, जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता, जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, सिविल सेवा प्रतियोगिता के आयोजन के लिये आयोजन मदों में किया गया है. (ग) वर्ष 2013-14 में कबड्डी के 04, हैण्डबॉल के 09, बेसबॉल का 01, भारोत्तोलन के 03 रस्साकसी के 02, बॉल बैडमिंटन के 02, वॉलीबाल का 01, खो-खो का 01 तथा वर्ष 2015-16 में हैण्डबॉल के 16, हॉकी के 07, बॉल बैडमिंटन के 03, टेनिस बाल क्रिकेट का 01, फुटबाल का 01, कबड्डी के 04, बालीबाल के 03, फ्लोरबॉल

के 02, सिलम्बम का 01, फुटबॉल टेनिस का 01, वेटलिफ्टिंग का 01, योग के 01 खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर खेलने हेतु हुआ है।

पायका योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण

30. (क्र. 271) **श्री रामलाल चौहान** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14, 2014-15 से 31-03-2016 तक केन्द्र सरकार के पायका योजना अंतर्गत प्रदेश में किन-किन जिलों में क्रीडाश्री नियुक्त कर युवा बेरोजगारों को ट्रेनिंग एवं मानदेय प्रदान किया गया है ? (ख) 15-06-16 अवधि में पायका योजना के तहत युवाओं को क्रीडाश्री नियुक्त एवं प्रशिक्षण तथा मानदेय प्रदान करने हेतु कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ? वर्षवार राशि एवं व्यय की जानकारी दें ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) वर्ष 2013-14 में केन्द्र सरकार द्वारा पायका योजना को बदल दिया गया है. अतः प्रश्नाधीन अवधि में पायका योजना के अंतर्गत किसी भी जिले में क्रीडा श्री नियुक्त कर युवा बेरोजगारों को ट्रेनिंग एवं मानदेय प्रदान नहीं किया गया है. (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में संचालित शासकीय/अशासकीय वृद्धाआश्रम

31. (क्र. 284) **श्रीमती देवती कर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय/अशासकीय वृद्धा आश्रम कहां-कहां पर संचालित है ? एवं उनमें कितने-कितने वृद्ध निवास कर रहे हैं ? (ख) वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्धों को शासन द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ? और इन सुविधाओं की मॉनिटरिंग की शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) प्रदेश में शासकीय वृद्धाश्रम संचालित नहीं है. अशासकीय वृद्धाश्रम की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है.

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में श्रमिकों का पंजीयन

32. (क्र. 287) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में कितने मजदूरों का “कुशल अकुशल” पंजीयन हो चुका है तथा उनको क्या-क्या सुविधा दी गयी ? (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में श्रमिकों के मृत्यु दुर्घटना स्थायी विकलांगता के कितने प्रकरण विभाग के पास आये हैं ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें. (ग) भाटापारा और सिमगा विकासखंड में कितने मजदूरों का पंजीयन हुआ है और कितने कुशल-अकुशल पंजीकृत श्रमिकों को लाभ प्राप्त हुआ है ? कितने अभी बाकी हैं ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में श्रम विभाग में कुशल-अकुशल श्रमिकों के पंजीयन का प्रावधान नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के दुर्घटना से मृत्यु के 04, सामान्य मृत्यु के 3004 प्रकरण एवं स्थायी विकलांगता के कोई प्रकरण विभाग को प्राप्त नहीं हुये हैं. विकासखंडवार जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ग) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में 6442 निर्माण श्रमिकों का एवं 5479 असंगठित श्रमिकों का तथा सिमगा विकासखंड में 2149 निर्माण श्रमिक एवं 1372 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन हुआ है. कुशल अकुशल श्रमिकों को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा लाभ दिये जाने का प्रावधान नहीं होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत घरेलू/कृषि कार्य हेतु सोलर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्वीकृति

33. (क्र. 299) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के दौरान क्रेडा के माध्यम से कुल कितने व्यक्तियों द्वारा घरेलू/कृषि कार्य हेतु सोलर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ? (ख) इनमें से कितने प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गयी ? प्रति यूनिट कितना अनुदान हितग्राही को प्रदान किया जाता है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के दौरान क्रेडा के माध्यम से कुल 20 व्यक्तियों द्वारा घरेलू/कृषि कार्य हेतु सोलर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) उत्तरांश (क) में उल्लेखित सभी 20 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त 20 प्रकरणों में 19 सोलर विद्युत उत्पादन यूनिट स्थापित किए जा चुके हैं शेष एक यूनिट की स्थापना प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में घरेलू/कृषि कार्य हेतु प्रति यूनिट अनुदान की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुदान
1.	घरेलू सोलर पॉवर प्लांट	रुपये 85/- प्रति वॉट के मान से
2.	03 एचपी के सोलर सिंचाई पंप हेतु	रुपये 2,47,200/- प्रति पंप के मान से
3.	05 एचपी के सोलर सिंचाई पंप हेतु	रुपये 3,62,000/- प्रति पंप के मान से

#### आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत विद्युत विस्तार कार्यों की स्थिति

34. (क्र. 300) **श्री नवीन मारकंडेय** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत आरंग विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने बस्तियों/मजरा टोला का विद्युतीकरण वर्ष 2014-15 व 2015-16 में स्वीकृत किया गया ? (ख) इनमें से कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा आरंग विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनांतर्गत कोई भी कार्य वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में स्वीकृत नहीं किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 21 बस्तियों/मजरा टोला के विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ख) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में स्वीकृत विद्युतीकरण के कार्यों के लिए निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्यों को मार्च 2018 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

#### जिला महासमुंद में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में छात्रवृत्ति के लंबित प्रकरण

35. (क्र. 307) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि महासमुंद जिले में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की छात्रवृत्ति के कितने प्रकरण वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015-16 से लंबित है ? लंबित रहने का क्या कारण है एवं कुल राशि बताएं ?

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत छात्रवृत्ति के वर्ष 2013-14 के 2,818 प्रकरण लंबित तथा वर्ष 2014-15, 2015-16 में छात्रवृत्ति के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। आवेदन में बैंक पासबुक नहीं होने के कारण लंबित एवं कुल राशि रुपये 56,35,000/- व्यय होना संभावित है।

#### जिला महासमुंद में स्थापित सोलर प्लांट द्वारा बिजली सप्लाई

36. (क्र. 308) **डॉ. विमल चोपड़ा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले में कितने सोलर प्लांट है ? इनके द्वारा किन सब स्टेशनों में बिजली सप्लाई की जा रही है ? (ख) क्या इनके द्वारा निजी व शासकीय जमीन में लगाए गए टावरों एवं तारों के मुआवजे का भुगतान किया गया ? यदि हां, तो सूची व राशि सहित बताएं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुंद जिले में निजी क्षेत्र में संचालित सोलर पॉवर प्लांट के संस्थान का नाम, क्षमता तथा बिजली सप्लाई हेतु जुड़े हुए सब स्टेशन की जानकारी नीचे तालिका अनुसार है :-

संस्थान का नाम	क्षमता	सब स्टेशन का नाम जहां पॉवर इन्जेक्ट हो रही है
मेसर्स एक्मे रायपुर सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	30 मेगावाट	132 केव्ही सब स्टेशन झलप
मेसर्स विपुल विद्युत प्राइवेट लिमिटेड	04 मेगावाट	33/11 केव्ही सब स्टेशन तेन्दुकोना
मेसर्स सिंघल फारेस्टरी प्राइवेट लिमिटेड	02 मेगावाट	33/11 केव्ही सब स्टेशन सरायपाली

(ख) जी हां. उत्तरांश (क) में सम्मिलित केवल मेसर्स एक्मे रायपुर सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 178 भू-स्वामियों को भुगतान किए गए मुआवजों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. शेष दो संस्थानों द्वारा निजी भूमि पर स्थापित विद्युत लाइन हेतु मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है.

#### रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन

37. (क्र. 314) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर (ग्रामीण) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? (ख) उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के पास भवन नहीं है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) रायपुर (ग्रामीण) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 233 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं. (ख) रायपुर (ग्रामीण) विधान सभा क्षेत्र के 147 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवनों में संचालित नहीं हैं.

#### आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान के तहत प्रावधानित राशि

38. (क्र. 328) **श्री अमरजीत भगत** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान के तहत छ. ग. राज्य में कुल कितने कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान हेतु वर्ष 2016-17 हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) कुपोषित बच्चों हेतु पोषण आहार/दूध का आपूर्ति किस-किस कम्पनी/संस्था से किया जा रहा है ? दर सहित जानकारी दें.

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 3,25,961 कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया है. जिलेवार जानकारी † † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ख) आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में कुल राशि रु. 1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिलेवार बजट प्रावधान नहीं किया गया है. (ग) जानकारी † † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

#### सरगुजा संभाग में खेल मैदानों के संरक्षण/अतिक्रमण से बचाने संबंधी प्राप्त आवेदन

39. (क्र. 329) **श्री अमरजीत भगत** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा संभाग क्षेत्र के कौन-कौन से खेल मैदानों के संरक्षण/अतिक्रमण से बचाने हेतु वर्ष 2013 से मई, 2016 तक कितने आवेदन शासन को प्राप्त हुए एवं मैदानों के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की गई ? (ख) सरगुजा संभाग क्षेत्र के कौन-कौन से खेल मैदानों को वर्ष 2013 से मई, 16 तक क्रीड़ा प्रतियोगिता के अतिरिक्त किन-किन उद्देश्यों से किस-किस संस्था/व्यक्तियों को कब-कब, कितनी-कितनी अवधि के लिए आवंटित किया गया ? (ग) प्रश्नांश "ख" के आवंटन से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ एवं उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिए किस विभाग द्वारा किया गया ? जिलेवार जानकारी दें.

**श्रम मंत्री** (श्री भईयालाल राजवाड़े) : (क) ग्राम पंचायत करी, विकासखंड-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा के खेल मैदान में अतिक्रमण संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था. उस पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवाकर खेल मैदान, ग्राम पंचायत के अधिपत्य में सौंप दिया गया है. (ख) एवं (ग) जानकारी निरंक है.

कोटा विधा. स. क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

40. (क्र. 335) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ? कितने आंगनबाड़ी केन्द्र अधूरे या जर्जर हैं ? वे कब तक निर्मित हो जाएंगे ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू)** : कोटा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 131 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन विहीन हैं. इनमें से 121 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन स्वीकृत हैं, जिसमें से 32 भवन अप्रारंभ एवं 89 भवन निर्माणाधीन हैं. कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की संख्या निरंक हैं. आंगनबाड़ी भवनों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है, निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राज्य महिला आयोग में वर्ष 2015 में प्राप्त शिकायतें

41. (क्र. 346) **श्री अमित अजीत जोगी** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य महिला आयोग में वर्ष 2015 में महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? इनमें से कितने मामले अभी लंबित है ? कृपया जिलेवार वर्णन दें. (ख) राज्य महिला आयोग में कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने सदस्य कार्यरत हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू)** : (क) छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में वर्ष 2015 में कुल 624 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 249 मामले दिनांक 20-06-2016 की स्थिति में लंबित हैं. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य के पद प्रावधानित हैं. वर्तमान में अध्यक्ष एवं एक सदस्य कार्यरत हैं.

प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार के रूप में प्रदायित सामग्रियां

42. (क्र. 356) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किन-किन को पूरक पोषण आहार के रूप में कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामग्रियां दी जा रही हैं ? (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाती है ? (ग) वर्ष 2014 से जून, 2016 तक बेमेतरा जिले में किन-किन के द्वारा कब-कब जांच की गई एवं जांच में क्या पाया ? क्या स्व सहायता समूहों द्वारा स्वयं पूरक पोषण आहार निर्मित न करते हुए मार्केट से खरीदे गये रेडीमेड या अमानक पूरक पोषण आहार की आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों में की जा रही है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती रमशीला साहू)** : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है. (ख) आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदायित रेडी टू ईट की जांच भारत सरकार, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की मुंबई स्थित प्रयोगशाला एवं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला डाक्टर्स एनालिटिकल लेबोरेटरीज प्रा. लि. मुंबई के द्वारा की जाती है. (ग) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदायित रेडी टू ईट के प्रयोगशाला जांच से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है. रेडी टू ईट का निर्माण एवं प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा ही किया जा रहा है, मार्केट से रेडीमेड या अमानक पोषण आहार का क्रय नहीं किया जा रहा है. अतः कार्यवाही की जानकारी निरंक है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजना अंतर्गत हितग्राहियों का चयन

43. (क्र. 357) **श्री अवधेश सिंह चंदेल** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013 से 15 जून, 2016 तक सुखद सहारा, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन के तहत कुल कितने-कितने हितग्राहियों का चयन किया गया ? (ख) उक्त अवधि तक कितने हितग्राहियों को पेंशन वितरित की जा रही है ? अलग-अलग पेंशनवार जानकारी दें ? (ग) जून, 2016 की स्थिति में कुल कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित होने के क्या कारण हैं ? लंबित आवेदनों का निपटारा कब तक कर लिया जावेगा ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013 से 15 जून, 2016 तक सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के लिए चयनित हितग्राहियों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	चयनित हितग्राही
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2,211
2.	सुखद सहारा योजना	711
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,748
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	529
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	41
<b>योग</b>		<b>5,240</b>

(ख) वर्ष 2013 से 15 जून, 2016 तक बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में वितरित पेंशन राशि के हितग्राहियों की योजनावार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित हितग्राही
1.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	6,123
2.	सुखद सहारा योजना	3,040
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	7,208
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1,773
5.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	427
<b>योग</b>		<b>18,571</b>

(ग) जून, 2016 की स्थिति में कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

#### दुर्ग जिले में खनिज विभाग में मुरुम उत्खनन की प्रदत्त अनुमति

44. (क्र. 383) **श्री अरूण चोरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में खनिज विभाग द्वारा मुरुम उत्खनन के लिये कुल कितने स्थानों में अनुमति प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) पिछले तीन वर्षों में अवैध मुरुम उत्खनन के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ग) दुर्ग जिले में खनिज के अवैध परिवहन पर नजर रखने के लिये कुल कितनी खनिज चौकियां हैं ? और इन चौकियों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में वर्ष 2016-17 (20 जून 2016 तक) में मुरुम उत्खनन हेतु कोई अनुमति जारी नहीं की गई है. उक्त अवधि में तालाब गहरीकरण एवं खेत निर्माण से प्राप्त मुरुम के परिवहन हेतु धमधा विकासखण्ड में 18, पाटन विकासखण्ड में 11 एवं दुर्ग विकासखण्ड में 11 कुल 40 स्थानों पर अनुमति दी गई है. (ख) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक मुरुम के अवैध उत्खनन के कुल 50 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ग) दुर्ग जिले में खनिज के अवैध परिवहन की जांच हेतु कुल 07 खनिज जांच चौकियां स्थापित की गई हैं. जिनमें कुल 19 कर्मचारी कार्यरत हैं.

#### जिला जशपुर में बाक्साइड एवं लाईन स्टोन की उपलब्धता संबंधी

45. (क्र. 400) **श्री युद्धवीर सिंह जुदेव** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जशपुर जिले में बाक्साइड एवं लाईन स्टोन होने की जानकारी मिली है ? (ख) यदि हां, तो बाक्साइड एवं लाईन स्टोन किन-किन गांवों में पाई गई है ? विकासखण्डवार जानकारी दी जावे ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) जशपुर जिले में बाक्साइट खनिज पाया जाता है। लाईम स्टोन खनिज के उपलब्ध होने के संकेत नहीं मिले हैं। (ख) बाक्साइट खनिज भण्डार विकासखण्ड बगीचा के ग्राम कदमपाट, भिमलिया, सरजुला, नैना, चंपा, हराडीपा, पंसाला, देव, कर्दाना-चघरा, डुमरकोना, सारडीह, दातुनपानी, कवईघाट, नवापारा, पड़पाट, रौनी, सुलेसा, शारधापाट, जमुनिया-सुकमा, बीजाघाट, धनापाट, छीछली, पकरीटोला, कुरकुरिया, भरिया, चुंदापाट, गायबुड़ा, केरापाट, रोकरापाट एवं मारंगी तथा विकासखण्ड मनोरा के ग्राम ओरडीह, पटेया, गिधा, धौरापाट, करदाना-चगरा, बलादरपाट, सोनकियारी एवं कोरवाडीह में पाई गई है।

#### जिला जांजगीर-चांपा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर

46. (क्र. 417) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या श्रम मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा में वर्ष 2013-14, 2014-15 व 2015 से 15 जून, 2016 तक कितने शिविर आयोजित किये गये हैं ? (ख) कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? कितने का निराकरण किया गया है ? (ग) शिविर में किस स्तर के कितने अधिकारी अनुपस्थित रहें ? कितने अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**श्रम मंत्री** ( भईयालाल राजवाड़े ) : (क) प्रश्नावधि में जिला जांजगीर-चांपा में कुल 111 जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। (ख) आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में कुल 22132 आवेदनपत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 19448 का निराकरण हो चुका है। (ग) शिविरों से संबंधित कोई भी अधिकारी अनुपस्थित नहीं रहे, अतएव कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

#### सक्ती विधान सभा क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की जानकारी

47. (क्र. 418) **डॉ. खिलावन साहू** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में 15 जून, 2016 की स्थिति में कितने बच्चे कुपोषित हैं ? आंगनबाड़ी केन्द्रवार जानकारी दें ? (ख) कुपोषण का कारण क्या है ? कुपोषित बच्चों का लिंगानुपात क्या है ? (ग) कुपोषण ठीक करने के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** ( श्रीमती रमशीला साहू ) : (क) सक्ती विधान सभा क्षेत्र में 15 जून, 2016 की स्थिति में ( माह मई 2016 के मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार ) 4393 बच्चे कुपोषित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) कुपोषण के प्रत्यक्ष, अंतर्निहित एवं आधारभूत कारण होते हैं। प्रत्यक्ष कारण व्यक्तिगत स्तर के कारण जैसे-कम मात्रा में आहार लेना, संक्रामक रोगों की चपेट में आना, अंतर्निहित कारण घरेलू एवं सामुदायिक स्तर के कारण जैसे-घर में खाने की कमी, माताओं और बच्चों की देखभाल ठीक से न होना, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता व सुरक्षित पेयजल सुविधाओं का अभाव, आधारभूत कारण सामाजिक-सांस्कृतिक कारण जैसे-शीघ्र विवाह, गरीबी, लिंग के आधार पर भेदभाव आदि हैं। सक्ती विधान सभा क्षेत्र में मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार 0 से 5 वर्ष के प्रति हजार कुपोषित लड़कों पर कुपोषित लड़कियों की संख्या 1000:926 है। (ग) बच्चों में व्याप्त कुपोषण में कमी लाने हेतु विभाग द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, नवाजतन योजना, दत्तक पुत्री सुपोषण योजना संचालित की जा रही है। साथ ही पोषण पुनर्वास केन्द्र में कुपोषित बच्चों को संदर्भित कर लाभांशित किया जाना एवं आंगनबाड़ी गुणवत्ता उन्नयन अभियान में बाल मित्रों को कुपोषित बच्चों को गोद दिलाकर कुपोषण दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

#### कांकेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर कार्यवाही

48. (क्र. 432) **श्री शंकर धुवा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में 2015-2016 से माह 15 जून, 2016 तक किन-किन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने एवं ट्रांसफार्मर खराब होने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) उक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों में से कितने ट्रांसफार्मर को बदला/सुधार कर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई एवं कितना शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ग) क्या क्षेत्र के विद्युत सब स्टेशनों को संधारण का कार्य हेतु निजी संस्थानों को दिया गया है ? यदि हां तो किस आधार पर कितनी अवधि के लिये कितने के ठेके पर ? उसकी मानिट्रिंग की क्या व्यवस्था है ? एवं प्राप्त शिकायतों का निराकरण नहीं किये जाने हेतु कौन जवाबदेह है ?

**मुख्यमंत्री** (डॉ. रमन सिंह) : (क) कांकेर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 से माह 15 जून, 2016 तक विद्युत लाइनों में व्यवधान उत्पन्न होने की 25 एवं ट्रांसफार्मर खराब होने की 32 शिकायतें प्राप्त हुईं। उक्त शिकायतों की विकासखण्डवार जानकारी क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र “अ” एवं †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है। (ख) उक्त अवधि में ट्रांसफार्मर फेल होने से संबंधित 32 शिकायतों में से सभी ट्रांसफार्मरों

को निर्धारित अवधि में बदलकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी. अतः खराब ट्रांसफार्मरों को नहीं बदले जाने की जानकारी निरंक है. (ग) कांकेर विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने वाले सब-स्टेशनों के संधारण का कार्य निजी संस्थान को नहीं दिया गया है. अपितु सब-स्टेशनों के संचालन का कार्य निजी संस्थान को ठेके पर सौंपा गया है, जिसकी मानिट्रिंग की जवाबदेही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के संबंधित कार्यपालन यंत्रों पर है. उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की जवाबदेही संबंधित कार्यपालन यंत्रों, सहायक यंत्रों एवं कनिष्ठ यंत्रों की है.

अमृत दूध के सेवन से बीमारी होने के प्रकरण

49. (क्र. 433) **डॉ. शंकर ध्रुवा** : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में अमृत दूध के सेवन के पश्चात हितग्राहियों के बीमार होने के कितने प्रकरण माह फरवरी, 2016 से 15 जून, 2016 तक दर्ज किये गये ? व्यस्क एवं अव्यस्कों की जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) उपरोक्त अवधि तक प्राप्त प्रकरणों में से दूध के सेवन पश्चात् बीमार होने का क्या कारण था ? क्या इसकी जांच कराई गई है ? यदि हां तो उसमें क्या पाया गया ? (ग) क्या अमानक स्तर एवं वैधता समाप्त हो चुके दूध की आपूर्ति पाई गई है ? यदि हां तो कहां-कहां एवं तद संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**महिला एवं बाल विकास मंत्री** (श्रीमती रमशीला साहू) : (क) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत दूध के सेवन से कोई बीमार नहीं हुआ है. अतः बीमार होने के प्रकरण दर्ज किये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

-----

## तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 248) के भाग (क) एवं (ख) को जानकारों ]

प्रपत्र "अ"

जानकारी के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में दिनांक 15/06/2016 तक स्थापित किए गए ग्राम एवं उनके संचालन की विकासखण्डवार ग्राम संचालन कार्य-जानकारी

क्रमांक	विकास खण्ड	कार्यस्थल / ग्राम का नाम	ग्राम संचालक	संयंत्र की स्थिति
1	बस्तर	ग्राम-चपका (नदीपारा)	चपका	कार्यशील
2	बस्तर	ग्राम-चपका (छेड़ीपारा)	चपका	कार्यशील
3	बकावण्ड	ग्राम-कोलावाल (मोरगांव आश्रम के पास)	कोलावाल	कार्यशील
4	बकावण्ड	ग्राम-भिरेवण्ड (कोलावाल)	भिरेवण्ड	कार्यशील
5	बकावण्ड	ग्राम-पाथरी (कसबारा, आगनदाड़ी के पास)	पाथरी	कार्यशील
6	बकावण्ड	ग्राम-धनपुर (पुजारीपारा)	धनपुर	कार्यशील
7	बकावण्ड	ग्राम-बदलावण्ड (आवासपारा)	बदलावण्ड	कार्यशील
8	बकावण्ड	ग्राम-जैतगीरी (गुड़ापारा)	जैतगीरी	कार्यशील
9	बकावण्ड	ग्राम-मंगनार (जोनदरी पारा)	मंगनार	कार्यशील
10	बकावण्ड	ग्राम-कोसमी (ढोडाकोटपारा)	कोसमी	कार्यशील
11	बकावण्ड	ग्राम-सोनपुर (बनियागाँव)	सोनपुर	कार्यशील
12	बकावण्ड	ग्राम-कौड़ावण्ड (सालेगुड़ा पारा)	कौड़ावण्ड	कार्यशील

## प्रपत्र "ब"

विधान सभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत निम्नलिखित 67 स्थलों में 900 वॉट/01 एच.पी क्षमता के सौर ऊर्जा पम्प स्थापित किये जाने का प्रावधान है :-

क्रमांक	विकास खण्ड	कार्यस्थल/ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत
1	बस्तर	ग्राम-कावडगांव	कावडगांव
2	बस्तर	ग्राम-मांदलापाल	मांदलापाल
3	बस्तर	ग्राम-भैंसगांव	भैंसगांव
4	बस्तर	ग्राम-बोडनपाल	बोडनपाल
5	बस्तर	ग्राम-फाफनी	फाफनी
6	बस्तर	ग्राम-जाटनपाल	गुनपुर
7	बस्तर	ग्राम-कुंगारपाल	कुंगारपाल
8	बस्तर	ग्राम-नदीसागर	नदीसागर
9	बस्तर	ग्राम-नंदपुरा	नंदपुरा
10	बस्तर	ग्राम-रतेंगा	रतेंगा
11	बस्तर	ग्राम-रतेंगा	रतेंगा
12	बस्तर	ग्राम-रतेंगा	रतेंगा
13	बस्तर	ग्राम-चितलवार	रोतमा
14	बस्तर	ग्राम-रोतमा	रोतमा
15	बस्तर	ग्राम-सुधापाल	सुधापाल
16	बस्तर	ग्राम-सुधापाल	सुधापाल
17	बस्तर	ग्राम-टिकरालोहगा	टिकरालोहगा
18	बस्तर	ग्राम-विश्रामपुरी	विश्रामपुरी
19	बस्तर	ग्राम-विश्रामपुरी	विश्रामपुरी
20	बस्तर	ग्राम-विश्रामपुरी	विश्रामपुरी
21	बस्तर	ग्राम-बडेअलनार	बडेअलनार
22	बस्तर	ग्राम-बनियामाव	बनियामाव
23	बस्तर	ग्राम-बनियामाव	बनियामाव
24	बस्तर	ग्राम-बोडनपाल	बोडनपाल
25	बस्तर	ग्राम-बोडनपाल	बोडनपाल
26	बस्तर	ग्राम-तारागांव	फाफनी
27	बस्तर	ग्राम-तारागांव	फाफनी
28	बस्तर	ग्राम-गुरिया	गुनपुर
29	बस्तर	ग्राम-गुरिया	गुनपुर
29	बस्तर	ग्राम-गुरिया	गुनपुर
30	बस्तर	ग्राम-गुरिया	गुनपुर
31	बस्तर	ग्राम-जाटनपाल	जाटनपाल

क्रमांक	विकास खण्ड	कार्यस्थल/ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत
32	बस्तर	ग्राम-कावडगाव	कावडगाव
33	बस्तर	ग्राम-कावडगाव	कावडगाव
34	बस्तर	ग्राम-नहरनी	केशरपाल
35	बस्तर	ग्राम-खण्डसरा	खण्डसरा
36	बस्तर	ग्राम-खोरखोसा	खोरखोसा
37	बस्तर	ग्राम-कुमारपाल	कुमारपाल
38	बस्तर	ग्राम-कुरुषपाल	कुरुषपाल
39	बस्तर	ग्राम-तिरथा	कुरुषपाल
40	बस्तर	ग्राम-मादलापाल	मादलापाल
41	बस्तर	ग्राम-मावलीगुडा	मावलीगुडा
42	बस्तर	ग्राम-नारायणपाल	नारायणपाल
43	बस्तर	ग्राम-कांटगढ	पखनाकोगेरा
44	बस्तर	ग्राम-पखनाकोगेरा	पखनाकोगेरा
45	बस्तर	ग्राम-गुरियापाल	पाथरी
46	बस्तर	ग्राम-गुरियापाल	पाथरी
47	बस्तर	ग्राम-पाथरी	पाथरी
48	बस्तर	ग्राम-पाथरी	पाथरी
49	बस्तर	ग्राम-पाथरी	पाथरी
50	बस्तर	ग्राम-रतेगा	रतेगा
51	बस्तर	ग्राम-रतेगा	रतेगा
52	बस्तर	ग्राम-चितलवार	रोतमा
53	बस्तर	ग्राम-रोतमा	रोतमा
54	बस्तर	ग्राम-छुरावण्ड	सालेमेटा
55	बस्तर	ग्राम-छुरावण्ड	सालेमेटा
56	बस्तर	ग्राम-सोनारपाल	सोनारपाल
57	बस्तर	ग्राम-सुधापाल	सुधापाल
58	बस्तर	ग्राम-सुधापाल	सुधापाल
59	बस्तर	ग्राम-पल्लीभाटा	तुरपुरा
60	बस्तर	ग्राम-पल्लीभाटा	तुरपुरा
61	बकावण्ड	ग्राम-कोहकापाल	कोहकापाल
62	बकावण्ड	ग्राम-फरसरा	मरेठा
63	बकावण्ड	ग्राम-मरेठा	मरेठा
64	बकावण्ड	ग्राम-मटनार	मटनार
65	बकावण्ड	ग्राम-मसगाव	सरगीपाल
66	बकावण्ड	ग्राम-नारावण्ड	सौतपुर
67	बकावण्ड	ग्राम-सौतपुर	सौतपुर

## परिशिष्ट "दो"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 256) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

बिजली की अधिकतम मांग तथा अधिकतम मांग की आपूर्ति हेतु कय की गई बिजली की माहवार एजेंसीवार जानकारी

क्रमांक	माह	माह की अधिकतम मांग	अधिकतम मांग की आपूर्ति हेतु एजेंसीवार कय की गई बिजली की मेगावाट में मात्रा									माह में कुल आपूर्ति
			स्टेट सेक्टर के पावर प्लांट्स से	केन्द्रीय सेक्टर के पावर प्लांट्स से	राज्य के निजी अपारंपरिक विद्युत उत्पादन संयंत्रों से	उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से	पावर एक्सचेंज से	ग्रिड से ओवर/अण्डर ड्रावल	एमओयू की शर्तों के अधीन निजी विद्युत उत्पादन संयंत्रों से	विविध स्रोत *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	जनवरी-2016	3527	1500	1096	103	2	25	0	117	100	584	3527
02	फरवरी-2016	3762	1738	763	106	2	45	250	117	110	631	3762
03	मार्च-2016	3778	2349	650	100	2	0	125	-130	107	575	3778
04	अप्रैल-2016	3891	2166	1052	107	2	46	0	85	150	283	3891
05	मई-2016	3457	1828	855	102	2	46	300	93	152	79	3457
06	जून-2016	3367	1848	979	105	2	46	43	213	214	-83	3367

नोट : \* विविध स्रोतों में सम्मिलित है,

- बिजली की बैंकिंग के अन्तर्गत प्राप्त बिजली, राज्य की भौगोलिक सीमा के समीप के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हेतु मध्यप्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के वितरण कंपनी से प्राप्त बिजली तथा राज्य के निजी विद्युत उत्पादकों से शार्ट टर्म हेतु कय की गई बिजली ।
- अन्य राज्यों के पावर यूटिलिटी से बिजली की बैंकिंग के तहत प्राप्त/लौटायी गई बिजली ।

प्रपत्र "ब"

आपूर्ति की गई बिजली की एजेंसीवार कय की गई बिजली की औसत कय दर की माहवार जानकारी

क.	एजेंसी का नाम	कय की गई प्रति यूनिट बिजली की प्रति यूनिट औसत दर-रुपये में						रिमार्क
		जनवरी-2016	फरवरी-2016	मार्च-2016	अप्रैल-2016	मई-2016	जून-2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्टेट सेक्टर के पावर प्लांट्स से	2.83	2.80	2.71	3.31	3.47	बिल अप्राप्त	(1) बिजली की औसत कय दर माह में संबंधित एजेंसी से कय की गई कुल बिजली की यूनिट के लिए भुगतान की गई है। राशि के आधार पर आंकलित की गई है। (2) अन्य स्रोतों से कय की गई बिजली के लिये भुगतान की गई कुल राशि के आधार पर आंकलित प्रति यूनिट दर। (3) जून माह में कय की गई बिजली के लिये बिल अप्राप्त होने के कारण प्रति यूनिट दर बताया जाना संभव नहीं है।
02	केन्द्रीय सेक्टर के पावर प्लांट्स से	3.01	2.97	2.99	3.71	2.75	बिल अप्राप्त	
03	अपारंपरिक विद्युत उत्पादन संयंत्रों से	5.77	5.76	5.77	5.81	5.81	बिल अप्राप्त	
04	उडीसा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से	1.50	1.50	1.50	1.96	1.96	बिल अप्राप्त	
05	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से	5.93	3.58	7.12	4.85	4.49	बिल अप्राप्त	
06	पावर एक्सचेंज से	2.83	2.45	2.56	2.94	2.40	बिल अप्राप्त	
07	ग्रिड से इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट	2.37	1.92	2.23	2.70	2.71	बिल अप्राप्त	
08	एमओयू की शर्तों के अधीन निजी विद्युत उत्पादन संयंत्रों से	1.93	1.92	1.92	1.91	1.91	बिल अप्राप्त	
09	अन्य स्रोतों से	2.98	-	-	-	-	-	
	(i) लघु अवधि विद्युत कय							
	(ii) मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य से सीमावर्ती क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति							
	(iii) बैंकिंग से प्राप्त बिजली	-	-	-	-	-	-	

## परिशिष्ट "तीन"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 64) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कार्यक्रमवार लाभान्वित कन्याओं एवं व्यय राशि की जानकारी  
(जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक)

क्र.	विवाह आयोजन की तिथि	विवाह स्थल का नाम	लाभान्वित कन्याओं की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	22/02/2015	कलेक्टर ग्राउण्ड कोण्डागांव	658	9799556
2	01/03/2015	मिनी स्टेडियम केशकाल	130	1936082
		योग:-	788	11735638

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत कार्यक्रमवार लाभान्वित कन्याओं एवं व्यय राशि की  
जानकारी

(जनवरी 2016 से 15 जून 2016 तक)

क्र.	विवाह आयोजन की तिथि	विवाह स्थल का नाम	लाभान्वित कन्याओं की संख्या	कुल व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	04/04/2016	शिव मंदिर प्रांगण विश्रामपुरी	21	315000
2	09/04/2016	माता मंदिर प्रांगण बुनागांव	100	1442895
3	11/04/2016	स्कूल मैदान मर्दापाल	100	1442895
4	11/04/2016	स्कूल मैदान बहीगांव	20	300000
5	16/04/2016	एन.सी.सी. ग्राउण्ड, कोण्डागांव	125	1748100
6	01/05/2016	मंडी प्रांगण माकड़ी	87	1279371
7	17/05/2016	पंचायत भवन परिसर बड़ेडोंगर	111	1628714
		योग:-	564	8156975

## परिशिष्ट "चार"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 425) के भाग (ख) की जानकारी ]

वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा कराये गये निर्माण/विकास कार्यों की जानकारी

वर्ष 2013-14

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
1	जेवरा	जेवरा, ठेलकामोंटा	सी0सी0रोड निर्माण
2	छर्चा	छर्चा	सी0सी0रोड निर्माण
3	हिच्छा	हिच्छा	सी0सी0रोड निर्माण
4	घोठला छोटे	छतौना	सी0सी0रोड, पुलिया निर्माण
5	ग्वालिनडीह	ग्वालिनडीह, बरतुगा	सी0सी0रोड निर्माण
6	पचपेड़ी	पचपेड़ी	सी0सी0रोड निर्माण
7	मौहाढोढा	मौहाढोढा, बरमोंटा	पुलिया, सी0सी0रोड निर्माण
8	ठाकूरदिया	कोसीर छोटे	नाली निर्माण, पानी टंकी बोर खनन
9	मौहाढोढा	मौहाढोढा	सी0सी0रोड निर्माण
10	कौवाताल	कौवाताल	सी0सी0रोड निर्माण
11	घोठला छोटे	छतौना	सी0सी0रोड निर्माण
12	बैगीनडीह	रंगालमुड़ा	सी0सी0रोड निर्माण
13	सालर	सालर	रंगमंच निर्माण
14	मिखमपुरा	खैरा बडे	सी0सी0रोड निर्माण
15	गोड़म	गोड़म	पुलिया निर्माण
16	खुर्सी	बोहारडीह	सी0सी0रोड निर्माण
17	हिरी	सुवाताल	सी0सी0रोड निर्माण
	परसदा छोटे	भालूपानी	पुलिया निर्माण
18	माधोपाली	माधोपाली	सी0सी0रोड निर्माण
19	हरदी	हरदी	पचरी निर्माण
20	रेड़ा	रेड़ा	सी0सी0रोड, रंगमंच निर्माण
21	कुराहा	चुरेला	सी0सी0रोड निर्माण
22	सुलौनी	सुलौनी	सी0सी0रोड निर्माण
23	कोतरी	कोतरी	सोसायटी हाता, सी0सी0रोड निर्माण
24	बासीनबहरा	झरपडीह, बासीनबहरा	सी0सी0रोड भाग-01, 02 निर्माण एवं सुरक्षा दिवाल
25	फर्सवानी	फर्सवानी	सी0सी0रोड निर्माण
26	मौहाढोढा	बरमोंटा	पचरी निर्माण
27	घोठला बडे	घोठला बडे	सी0सी0रोड निर्माण
28	परसदा छोटे	परसकोल	सी0सी0रोड निर्माण
29	गोड़ा	गोड़ा	सी0सी0रोड निर्माण
30	पिण्डरी	पिण्डरी	सी0सी0रोड निर्माण
31	नौरंगपुर	नौरंगपुर, तुलसीडीह नौरंगपुर	सी0सी0रोड निर्माण

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
32	खर्री बड़े	खर्री बड़े	मुक्तिधाम में अहाता निर्माण
33	मुडियाडीह	डोंगिया डीपापारा	सी०सी०रोड
34	माधोपाली	माधोपाली	पुलिया, सी०सी०रोड एवं चबुतरा निर्माण
35	रेड़ा	रेड़ा	सी०सी०रोड निर्माण
36	जिल्दी	जिल्दी	सी०सी०रोड निर्माण
37	कोतरी	डूमरडीह	सी०सी०रोड निर्माण
38	चंवरपुर	भंवरपुर	सी०सी०रोड, मुक्तिधाम निर्माण
39	मुडपार छोटे	साराडीह	सी०सी०रोड निर्माण
40	अमेठी	बेलटिकरी	सी०सी०रोड निर्माण
41	दानसरा	दानसरा	सी०सी०रोड निर्माण
42	बोईरडीह	बोईरडीह, मानिकपुर	स्वागत द्वार, पचरी एवं पुलिया निर्माण
43	खरवानी बड़े	खरवानी बड़े, करदोड़ी, औराचवका	सी०सी०रोड, पुलिया निर्माण
44	अमझर	अमझर	सी०सी०रोड निर्माण
45	कपरतुंगा	रोहिनापाली	सी०सी०रोड निर्माण
46	गोड़ा	गोड़ा	रंगमंच निर्माण
47	अमलीपाली-ब	तेन्दुआ	पुलिया निर्माण
48	दबगॉव	पठारीपाली	सी०सी०रोड निर्माण
49	कनकबीरा	गंधराचुर्वी	सी०सी०रोड निर्माण
50	अचानकपाली	अचानकपाली	सी०सी०रोड निर्माण
51	छातादेई	छातादेई	सी०सी०रोड निर्माण
52	हरदी	हरदी	सी०सी०रोड निर्माण
53	कुराहा	कुराहा	पचरी निर्माण
54	जिल्दी	जिल्दी	पचरी, पुलिया निर्माण
55	मौहाढोढा	मौहाढोढा	स्ट्रीट लाईट निर्माण
56	सुलौनी	सुलौनी	सी०सी०रोड निर्माण
57	बुदेली	बुदेली	सी०सी०रोड, पुलिया निर्माण
58	फर्सवानी	फर्सवानी	पुलिया निर्माण
59	कपिस्ता-ब	कपिस्ता-ब	सी०सी०रोड निर्माण
60	गुडेली	गुडेली	सुरक्षा दिवाल निर्माण
61	अमलीडीपा	कंवरगुड़ा, बेहराचुर्वी, सोनाडूला	पुलिया, सी०सी०रोड निर्माण एवं बोर खनन कार्य
62	धौरामोठा	लालाधुरवा	बोर खनन कार्य
63	अमलीपाली-ब	पाकरडीह	सी०सी०रोड निर्माण
64	खरवानी छोटे	सेन्धमाल	सी०सी०रोड निर्माण
65	खम्हारपाली	गोमडा	पचरी निर्माण
66	डडाईडीह	मधुबन	सी०सी०रोड, पुलिया, हैण्ड पम्प स्थापना सभास्थल जीर्णोद्धार एवं रंगमंच निर्माण
67	छोटे खैरा	भौरादादर, छोटे खैरा, भंवरदादर	सुरक्षा दिवाल, पुलिया, सी०सी०रोड निर्माण, सुरक्षा दिवाल निर्माण डेम में, हैण्ड पम्प स्थापना, सुरक्षा दिवाल निर्माण
68	घोठला छोटे	छत्तीना	रंगमंच निर्माण

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
69	घोटला बडे	सराईपाली, घोटला बडे	हैण्ड पम्प स्थापना
70	बैगीनडीह	बैगीनडीह	हैण्ड पम्प स्थापना
71	अमेठी	झारपाली	हैण्ड पम्प स्थापना
72	मुडपार छोटे	मुडपार छोटे	हैण्ड पम्प स्थापना
73	खरवानी बडे	खरवानी बडे	हैण्ड पम्प स्थापना
74	ठाकूरदिया	कोसीर छोटे, ठाकूरदिया	हैण्ड पम्प स्थापना
75	अमेठी	बेलटिकरी	हैण्ड पम्प स्थापना
76	कौवाताल	खुडूभौडा	हैण्ड पम्प स्थापना
77	बटाउपाली-ब	टाँगर	हैण्ड पम्प स्थापना
78	पिण्डरी	पिण्डरी	हैण्ड पम्प स्थापना
79	मौहाढोढा	मौहाढोढा	हैण्ड पम्प स्थापना
80	गोडम	गोडम	हैण्ड पम्प स्थापना
81	भोथली	भोथली	हैण्ड पम्प स्थापना
82	हरदी	हरदी	हैण्ड पम्प स्थापना
83	बटाउपाली-ब	बटाउपाली-ब	हैण्ड पम्प स्थापना
84	कपिस्ता-ब	कपिस्ता-ब	हैण्ड पम्प स्थापना, सुरक्षा दिवाल निर्माण
85	बासीनबहरा	झरपडीह	हैण्ड पम्प स्थापना
86	दानसरा	दानसरा	स्ट्रीट लाईट निर्माण
87	खमडारपाली	जवाहरनगर	पचरी निर्माण
88	धाउला छोटे	छत्तीना	सी सी रोड
89	कोतरी	कोतरी	सी.सी.रोड निर्माण
90	पचपेडी	पचपेडी, उधरा	सी.सी.रोड सड़क, स्ट्रीट लाईट सह 01 नग पुलिया निर्माण
91	हरदी	हरदी	सी.सी.रोड सड़क
92	जिल्दी	दर्राभांला	नाली निर्माण
93	खरी बडे	खरी बडे	पुलिया निर्माण
94	सिंगारपुर	सिंगारपुर	सी.सी. रोड सड़क
95	बासीनबहरा	झरपडीह	सामुदायिक भवन सह अहाता निर्माण
96	फरवानी	फरवानी	स्कूल के पास नाली निर्माण, रंगमच श्यामसुन्दर घर के पास
97	परसदा छोटे	परसदा छोटे	सी.सी. रोड सड़क
98	सुलौनी	सुलौनी	सी.सी. रोड सड़क
99	कुर्राहा	कुर्राहा	02 नग पुलिया निर्माण (मुख्य सड़क पर)
100	बासीनबहरा	बासीनबहरा	रातरसग भवन, मुक्तिधाम नग, पुलिया निर्माण, नाली निर्माण सी.सी. रोड सड़क, सामुदायिक भवन
101	ग्वालीनडीह	ग्वालीनडीह	पुलिया, पचरी निर्माण
102	पचपेडी	उधरा	सी.सी. रोड सड़क
103	रेडा	रेडा	सी.सी. रोड सड़क
104	सुलौनी	सुलौनी	पुलिया निर्माण नग
105	मौहाढोढा	मौहाढोढा, बरभांठा	सी.सी. रोड सड़क (सुरेश घर से किशोर घर तक), सी.सी. रोड हरिजन मौहल्ला, रंगमच निर्माण कार्य, स्ट्रीट लाईट

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
106	ठाकुरदिया	कोसीर छोटे, ठाकुरदिया (तामनडीह), ठाकुरदिया (केंवटीन ढोढी)	सी.सी.रोड निर्माण, स्ट्रीट लाइट
107	कपिस्ता-ब	कपिस्ता- ब	पुलिया निर्माण सिधी नाला में
108	अचानकपाली	अचानकपाली, नरेशनगर	सी.सी.रोड, पुलिया निर्माण
109	हिच्छा	हिच्छा	सी.सी.रोड निर्माण
110	डडाइडीह	मधुबन	पुलिया निर्माण (डेम के पास) हेण्ड पंप निर्माण डेम के पास 02 नग सिंचाई हेतु मोटर पंप व पाईप विद्युतिकरण
111	डडाइडीह	मधुबन	
112	घौठला छोटे	छतौना	पुलिया निर्माण, हेण्ड पंप निर्माण, रंगमंच
113	छोटे खैरा	भवरादादर	एप्रोच रोड निर्माण, सुरक्षा दिवाल, पुलिया निर्माण डेम के पास, पुलिया निर्माण उलखर सरहद में
114	कनकबीरा	नरगीखोल, गंधराचुवा	पुलिया निर्माण
115	खम्हारपाली	लुरका	सी.सी. रोड निर्माण
116	घठोरा	करगीपाली	सी.सी. रोड
117	छातादेई	झलमला	पुलिया निर्माण
118	कुराहा	चुरेला	पचरी निर्माण
119	माघोपाली	चिखली, माघोपाली	स्वागत गेट, नाली निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण
120	मुड़पार छोटे	मुड़पार छोटे	सी.सी. रोड निर्माण चौहानपारा
121	खरी बडे	खरी बडे	सी.सी. रोड निर्माण, स्ट्रीट लाइट
122	नौरंगपुर	नौरंगपुर	सी.सी. रोड तुलसीडीह राजीव नगर धर्मेश्वर गली
123	मुडियाडीह	मुडियाडीह, नंदेली	सी.सी. रोड निर्माण
124	अमेठी	झारपाली	रंगमंच निर्माण कार्य
125	चवरपुर	भंवरपुर	सी.सी. रोड निर्माण चौहानपारा, सी.सी. रोड (खेमराज पटेल घर के पास), समस्त ग्राम में स्ट्रीटलाइट
126	दानसरा	दानसरा	ठाकुरदिया गली में सी.सी. रोड निर्माण, चौहान पारा में इंटरटाकिंग, पठारपारा में सी.सी. रोड निर्माण
127	जिल्दी	मौहापाली	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
128	घौठला बडे	घौठला बडे	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
129	फर्सवानी	फर्सवानी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
130	हरदी	हरदी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
131	अमलीपाली ब	तेन्दुआ	पुलिया निर्माण कार्य
132	बोईरडीह	बोईरडीह	स्ट्रीट लाइट, रंगमंच निर्माण कार्य
133	बटाउपाली ब	टांगर	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
134	खरवानी बडे	खरवानी बडे, कर्राढोढी	मुक्तिधाम निर्माण कार्य 02 नग
135	पिण्डी	पिण्डी	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
136	दबगांव	पठारीपाली	पुलिया निर्माण कार्य
137	बैगिनडीह	बैगिनडीह	मंदिर के पास समतलीकरण
138	मिखमपुरा	खैरा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
139	अमलीडीपा	कंवरगुडा	मा.शा. में अहाता निर्माण
140	खरी बडे	खरी बडे	हेण्ड पंप निर्माण कार्य

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
141	नौरंगपुर	नौरंगपुर	हेण्ड पंप निर्माण कार्य
142	अमठी	बेलटिकरी	उद्यान में हेण्ड पंप निर्माण कार्य
143	दानसरा	दानसरा	हेण्ड पंप निर्माण कार्य
144	मुडपार छोटे	मुडपार छोटे	हेण्ड पंप निर्माण कार्य
145	पिण्डी	पिण्डी	हेण्ड पंप निर्माण कार्य
146	कपिस्ता-ब	कपिस्ता-ब	हेण्ड पंप निर्माण कार्य
147	सुलौनी	सुलौनी	स्ट्रीट लाइट
148	अमझर	अमझर	सी.सी. रोड निर्माण
149	कपिस्ता-ब	कपिस्ता-ब	पुलिया के पास एप्रोज रोड
150	बुदेली/खरवानी बड़े	बुदेली/खरवानी बड़े	पुलिया निर्माण/सी.सी.रोड निर्माण छवि घर से आगनवाड़ी तक
	गोडा/खरवानी बड़े	गोडा/खरवानी बड़े	सी.सी. रोड निर्माण कार्य
151	टिमरलगा	टिमरलगा	नाथलदाई मंदिर टिमरलगा में दुकान व टायलेट निर्माण नाथलदाई मंदिर में रेस्टोरेंट एव गजबो निर्माण
152	बासीनबहरा	बासीनबहरा	पुलिया निर्माण 02 नग

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
1	कोतरी	डुमरडीह	सी.सी.रोड निर्माण अब्दुलकर चौक से शंभुदास घर तक
2	मौहाढोढा	बरभाठा	सी.सी.रोड निर्माण डीपा फारा में
3	ठाकुरदिया	कवटीनढोटी	सी.सी.रोड रमेश घर से रमारा घर तक
4	डाहाईडीह	मधुवन	पुलिया निर्माण डम के पास, मुडिया निर्माण बाला में
5	छोट खेरा	ठरु खेरा	सी.सी.रोड अनुसूचित जाति के पास में
6	तुली	पारसडीह	सी.सी.रोड जयदीप फा. से रामेश्वर घर तक
7	मुर्खी	कातरडीह	सी.सी.रोड निर्माण जेठे से रामेश्वर
8	बाठवा धारा	छतौना	पुलिया निर्माण दुधराल घर से सम्मन
9	भोखभापुरा	खेरा	सी.सी.रोड चौक दरसी में
10	अमड़ा	भदीडीपा	सी.सी.रोड डोषापुरा में
11	जिल्दी	गांधोपाली	सी.सी.रोड स्कूल के पास
12	बेगीनडीह	घाराघाटी बेगीनडीह	सी.सी.रोड डोषापुरा में, सी.सी.रोड झारापुरा में
13	जोवरा	जोवरा	सी.सी.रोड मंगल भवन गली में
14	छरी	छरी	सी.सी.रोड बन्धू घर से मुला-लाल तक
15	कुराहा	चुरेला	सी.सी.रोड रामलाल घर से धनेश्वर घर तक
16	खरवानी बड़े	खरवानी बड़े	सी.सी.रोड प्रधानमन्त्री रोड से पीपल चौक तक
17	अमलीडीपा	अमलीडीपा	सी.सी.रोड अटलचौक से छुहैपलीहा घर तक
18	कपिस्ता ब	कपिस्ता ब	सी.सी.रोड दिनु घर से टापलाल घर तक
19	धोरगांठा	बंजारी	पानी टंकी चन्द्रसेन साहू घर के पास पानी टंकी मनाज जयसवाल घर के पास
20	मौहाढोढा	मौहाढोढा	बोर खनन एवं पम्प स्थापना योजना में
21	मुडियाडीह	झांगीरा	सी.सी.रोड ताराचंद घर से रस्ताध घर तक
22	नौरगपुर	कटराडीह	सी.सी.रोड बाजीराव गली
23	दानसरा	दानसरा	इन्टरलॉकिंग सी.सी. रोड बन गली
24	माधोपाली	माधोपाली	सी.सी.रोड बरकद पेड़ से देवलास तक, सी.सी.रोड छटो घर से बरगद पेड़ तक
25	फर्सदानी	फर्सदानी	सी.सी.रोड रामजी घर से परमेश्वर घर तक
26	अचानकपाली	अचानकपाली	सी.सी.रोड परमानंद घर से टेकलाल घर तक
27	बासीनबहरा	झरपडीह	मंदिर के पास अहाता निर्माण, सी.सी. रोड अहाता के अंदर
28	घोठला छोटे	छतौना	सी.सी. रोड मुक्तिधाम से आगनबाड़ी तक
29	दबगांव	पठारीपाली	सी.सी. रोड बस्ती में
30	पिण्डरी बा.पा.	पिण्डरी डू.पा.	सी.सी. रोड स्कूल गली
31	पचपेड़ी	उधरा, पचपेड़ी	सामुदायिक भवन, बोर में पम्प एवं पाईप लाईन
32	जिल्दी	मौहापाली	सी.सी.रोड रगमंच से पटवारी घर तक
33	कोतरी	कोतरी	अहाता निर्माण सुसाईटी के पास भाग-1
34	कुराहा	चुरेला	सी.सी. रोड दशरत घर से तुलसी घर तक

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
35	घाउला छोटे	छतौना	सी.सी. रोड दुबराज घर से आनदमणी तक
36	माधोपाली	माधोपाली	सी.सी. रोड मेन राड स डबरी तक
37	ठाकुरदिया	तामनडीह	हेड पम्प खनन एवं स्थापना बुडी माई मंदिर के पास
38	ग्वालिनडीह	ग्वालिनडीह	हेड पम्प खनन एवं स्थापना बस्ती में
39	चंवरपुर	भंवरपुर	हेड पम्प खनन एवं स्थापना ननकु घर के पास
40	अमेठी	बेलटीकरी	हेड पम्प खनन एवं स्थापना सड़क के पास
41	दानसरा	दानसरा	हेड पम्प खनन एवं स्थापना मधु घर के पास
42	धौराभांठा	बंजारी	हेड पम्प खनन एवं स्थापना कन्हार डिपा में

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
	बुदेली	बुदेली	डब्ल्यू0बी0एम0 सड़क निर्माण, बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	माधोपाली	माधोपाली	सी0सी0रोड निर्माण कार्य, पंचरी निर्माण
	अमलीपाली ब	पकिरडीह, अमलीपाली ब	सी0सी0रोड निर्माण कार्य, बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	आमडाडाह	आमडाह	बोर खनन एवं पम्प स्थापना, हरिजन महाकुला में रंगमंच निर्माण कार्य, राम मधुवन भवन तालाब में सुरक्षा दिवाल निर्माण कार्य, विद्युत पंप स्थापना, पुलिया निर्माण मधुवन
	आमडाडाह	आमडाडाह	बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	मुडपार छाट	मुडपार छाट, नाराडीह	सी0सी0रोड निर्माण घरों में अग्निशमन घर से राटिया घर तक, सी0सी0रोड निर्माण बोंच चौक में, बोर खनन एवं पम्प स्थापना, पम्प स्थापना 2 नग, सी.सी.रोड निर्माण राटिया नारा से जुवाडीह तक
	सुवाताल	सुवाताल	पंचरी निर्माण मंदिर तालाब में
	मुडियाडीह	नदली, मुडियाडीह डांगिया	सी0सी0रोड निर्माण परदेशी घर से पुलिया तक, सी.सी. सड़ निर्माण मन राड से बरती तक तथा चन्द्रमणी घर से तालाब तक डांगिया बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	खरवानी बड़े	खरवानी बड़े	पंचरी निर्माण कार्य तालाब में दर्रातालाब में, पंचरी निर्माण लात नाला में
	अमलीडीपा	अमलीडीपा, बेहराचुआ	सी0सी0रोड का विस्तार रंगूघर से चीनी घर तक, पम्प स्थापना
	ठाकुरदिया	ठाकुरदिया	बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	अमझर	अमझर	बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	चवरपुर	भवरपुर	पुलिया निर्माण कार्य
	अमेठी	बेलटिकरी	बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	हरदी	हरदी	सी0सी0रोड निर्माण, तालाब में पंचरी निर्माण कार्य 2 नग
	छोटे खैरा	छोटे खैरा	हेण्ड पम्प खनन एवं स्थापना 2नग
	चवरपुर	बरदरहा	बोर खनन एवं पम्प स्थापना
	कोतरी	कोतरी	सिमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य
	बासीनबहरा	बासीनबहरा	पंचरी निर्माण कार्य
	कपिस्ता ब	ठाकुरपाली	पुलिया निर्माण कार्य
	खरवानी बड़े	खरवानी बड़े, औराचक्का, कर्राढोडी	मुक्तिधाम शंभु निर्माण, बोर खनन/पंप स्थापना एवं पानीटकी औराचक्का, बोर खनन/पंप स्थापना एवं पानीटकी कर्राढोडी, हेण्ड पंप खनन एवं पंप स्थापना
	जिल्दी	मौहापाली, दर्राभांठा, जिल्दी	सी.सी.रोड निर्माण भोको घर से खीकराम घर तक मौहापाली, सी.सी.रोड निर्माण परसु घर से मोहित घर तक दर्राभांठा, हेण्ड पंप खनन एवं पंप स्थापना मौहापाली, हेण्ड पंप खनन एवं पंप स्थापना
	उधरा	डूमरडीह	सी.सी.रोड निर्माण मंगल भवन से राम भरोस गली तक डूमरडीह

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
24	रेड़ा	रेड़ा	सी.सी.रोड निर्माण कहरा पारा में, पचरी निर्माण रक्शा तालाब में
25	अचानकपाली	नरेशनगर, अचानकपाली	बोर खनन नरेशनगर, पुलिया निर्माण नरेशनगर, पंप सह पानी टंकी अचानकपाली
26	छातादेई	झलमला	सांस्कृतिक मंच निर्माण झलमला
27	गोड़म	गोड़म	हेण्ड पंप खनन एवं पंप स्थापना

वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में जनपद पंचायत बरमकेला द्वारा कराये गये निर्माण/विकास कार्यों की जानकारी

वर्ष 2013-14

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
	निरंक	निरंक	निरंक

वर्ष 2014-15

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
1	कंटीपाली	सहजपाली,	बोर खनन एवं पम्प स्थापना, सी0सी0 रोड निर्माण डिपापारा, पहुँच मार्ग निर्माण स्कूल से मुख्य सडक तक
2	साल्हेओना	साल्हेओना	पाईप लाईन बिछाई, बाबाकुटी से शमकुमार के घर तक

वर्ष 2015-16

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम
1	2	3	4
	निरंक	निरंक	निरंक

## परिशिष्ट "पांच"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 25) के भाग (क) की जानकारी ]

मुख्यमंत्री अमृत योजनांतर्गत 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को  
दूध वितरित किए जाने की तिथिवार जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	जिले में दूध का वितरण प्रारंभ किए जाने की तिथि
1	बस्तर	23.05.2016
2	कोण्डागाँव	16.05.2016
3	बीजापुर	23.05.2016
4	बिलासपुर	09.05.2016
5	भुगोली	18.05.2016
6	दन्तेवाडा	23.05.2016
7	सुकमा	29.04.2016
8	धमतरी	23.05.2016
9	दुर्ग	09.05.2016
10	बेमेतरा	05.05.2016
11	बालोद	13.05.2016
12	जॉजगीर	18.05.2016
13	जशपुर	13.06.2016
14	कांकेर	13.05.2016
15	कोरबा	18.05.2016
16	कोरिया	30.05.2016
17	कबीरधाम	20.05.2016
18	महासमुद्र	09.05.2016
19	नारायणपुर	06.06.2016
20	रायगढ़	23.05.2016
21	रायपुर	16.05.2016
22	बलौदाबाजार	23.05.2016
23	गरियाबंद	30.05.2016
24	राजनांदगाँव	23.05.2016
25	सरगुजा	20.06.2016
26	बलरामपुर	13.06.2016
27	सूरजपुर	30.05.2016

परिशिष्ट "छः"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 275) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

दत्तेवाड़ा जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही पूरक पोषण आहार सामग्री की हितग्राहीवार, समशीवार व मात्रावार जानकारी

क्र०	योजना का नाम	हितग्राही वर्ग	हितग्राहियों को प्रदाय की जा रही पूरक पोषण आहार सामग्री का नाम	प्रदाय की जा रही पूरक पोषण आहार सामग्री की मात्रा	रिगार्क
1	2	3	4	5	6
1		6 माह से 3 वर्ष सामान्य व मध्यम कुपोषित बच्चे	रेडी टू ईट फूड	135 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	
			मुरा लड्डू	20 ग्राम का एक लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	
2		06 माह से 3 वर्ष गंभीर कुपोषित बच्चे	रेडी टू ईट फूड	211 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	
			मुरा लड्डू	40 ग्राम का एक लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	
3	पूरक पोषण आहार योजना	3 से 6 वर्ष के सामान्य व मध्यम कुपोषित बच्चे	गर्म भोजन	105 ग्राम प्रतिदिन	चावल 65 ग्राम, मिक्स दाल 15 ग्राम, सोया तेल 5 ग्राम, सब्जी मसाले 20 ग्राम
			नाश्ता		
			रेडी टू ईट फूड	75 ग्राम (प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार)	-
			मुरा लड्डू	20 ग्राम का एक लड्डू (प्रति मंगलवार)	-
			उबला/भीगा घना देशी, गुड़	50 ग्राम (प्रति मंगलवार एवं शनिवार)	उबला भीगा घना देशी 30 ग्राम एवं गुड़ 20 ग्राम
			भुना मूंगफल्ली दाना, गुड़	38 ग्राम (प्रति गुरुवार)	भुना मूंगफल्ली दाना 20 ग्राम एवं गुड़ 18 ग्राम
			गर्म भोजन	105 ग्राम प्रतिदिन	चावल 65 ग्राम, मिक्स दाल 15 ग्राम, सोया तेल 5
4		3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे	नाश्ता		
			रेडी टू ईट फूड	75 ग्राम (प्रति सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार) एवं 85 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) घर ले जाकर खाने हेतु	
			मुरा लड्डू	20 ग्राम के दो लड्डू (प्रति मंगलवार)	
			उबला/भीगा घना देशी, गुड़	50 ग्राम (प्रति मंगलवार एवं शनिवार)	उबला भीगा घना देशी 30 ग्राम एवं गुड़ 20 ग्राम
			भुना मूंगफल्ली दाना, गुड़	38 ग्राम (प्रति गुरुवार)	भुना मूंगफल्ली दाना 20 ग्राम एवं गुड़ 18 ग्राम
			गर्म भोजन	105 ग्राम प्रतिदिन	चावल 65 ग्राम, मिक्स दाल 15 ग्राम, सोया तेल 5
			नाश्ता		

1	2	3	4	5	6
5	पूरक पोषण आहार योजना	शिशुवती माताएं	डी टू ईट फूड	165 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	-
			मुर्गा लड्डू	20 ग्राम के दो लड्डू प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	-
6	महतारी जतन योजना	गर्भवती महिला	डी टू ईट फूड	100 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	-
			गर्म भोजन	250 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु)	चावल 130 ग्राम, मिक्स दाल 30 ग्राम, सोया तेल 10 ग्राम, सब्जी मसाले 80 ग्राम
7	गैर सबला योजना	किशोरी बालिका	डी टू ईट फूड	165 ग्राम प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) टेक होम राशन पद्धति से	-
8	मुख्यमंत्री अमृत योजना	03 से 06 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं	प्राग्धित मीठा दूध	100 मिली लीटर (प्रति सोमवार)	-



संक्षिप्त-१  
विद्यामंत्रां तारकित प्रश्न क्रमांक 275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	दन्तेवाडा	मटेगार	गुलाब स्व सहायता समूह मुरकी	गुलाब स्व सहायता समूह मुरकी	बसती स्व सहायता समूह फूलनार	बसती स्व सहायता समूह फूलनार	गुलाब स्व सहायता समूह मुरकी	बसती स्व सहायता समूह फूलनार		
		नेटापुर	मां दुर्गा स्व सहायता समूह वाई कमाण - 2	मां दुर्गा स्व सहायता समूह वाई कमाण - 2	एकता स्व सहायता समूह नेटापुर	एकता स्व सहायता समूह नेटापुर	दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह चंदेनार ताणोपार	एकता स्व सहायता समूह नेटापुर	एकता स्व सहायता समूह नेटापुर	
					पार्वती स्व सहायता समूह चंदेनार	पार्वती स्व सहायता समूह चंदेनार		पार्वती स्व सहायता समूह चंदेनार		
					जमुना स्वसहायता समूह गदापाल	जमुना स्वसहायता समूह गदापाल		जमुना स्वसहायता समूह गदापाल		
					बलेश्वरी स्व सहायता समूह कुम्हाररास	बलेश्वरी स्व सहायता समूह कुम्हाररास		बलेश्वरी स्व सहायता समूह कुम्हाररास		
		भोगाम	महिला विकास समूह भोगाम	महिला विकास समूह भोगाम	महिला विकास समूह भोगाम स्कूलपारा	महिला विकास समूह भोगाम स्कूलपारा	महिला विकास समूह भोगाम	महिला विकास समूह भोगाम स्कूलपारा	महिला विकास समूह भोगाम स्कूलपारा	
					गुलाब फूल स्व सहायता समूह तुडपारास	गुलाब फूल स्व सहायता समूह तुडपारास		गुलाब फूल स्व सहायता समूह तुडपारास		
					इंदिरा स्व सहायता समूह कवलनार	इंदिरा स्व सहायता समूह कवलनार		इंदिरा स्व सहायता समूह कवलनार		
		2	बघेली	भासी	जगदम्बा स्व सहायता समूह नेरती आयतुपारा	जगदम्बा स्व सहायता समूह नेरती आयतुपारा	कोसी स्व सहायता समूह दूगेली	कोसी स्व सहायता समूह दूगेली	जगदम्बा स्व सहायता समूह नेरती आयतुपारा	कोसी स्व सहायता समूह दूगेली
							जागृती स्व सहायता समूह भासी	जागृती स्व सहायता समूह भासी		जागृती स्व सहायता समूह भासी
बघेली	दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह मुण्डाकैम्प बघेली			दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह मुण्डाकैम्प बघेली	छत्तीसगड स्व सहायता समूह बघेली	छत्तीसगड स्व सहायता समूह बघेली	दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह मुण्डाकैम्प बघेली	छत्तीसगड स्व सहायता समूह बघेली	छत्तीसगड स्व सहायता समूह बघेली	
					दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह मुण्डाकैम्प	दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह मुण्डाकैम्प		दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह मुण्डाकैम्प		
					जागृती स्व सहायता समूह बघेली	जागृती स्व सहायता समूह बघेली		जागृती स्व सहायता समूह बघेली		
	नव जागृती स्व सहायता समूह बघेली			नव जागृती स्व सहायता समूह बघेली	नव जागृती स्व सहायता समूह बघेली					
	दुर्गा स्व सहायता समूह बघेली			दुर्गा स्व सहायता समूह बघेली	दुर्गा स्व सहायता समूह बघेली					
	आदि शक्ति स्व सहायता समूह बघेली			आदि शक्ति स्व सहायता समूह बघेली	आदि शक्ति स्व सहायता समूह बघेली					
आस्था महिला समुदायिक समिति बघेली	आस्था महिला समुदायिक समिति बघेली			जय दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह बघेली	जय दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह बघेली	जय दत्तेश्वरी स्व सहायता समूह बघेली				

प्रोगर राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ अर्थातित सरला पी डी वी एम वाई जिला-दुर्ग (म.प्र.)





परिशिष्ट-3  
विधान सभा-अर्थात्कित्त-अध्याय-अध्याय-278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	बारसूर	हितामेटा	दुर्गा स्व सहायता समूह हितामेटा	दुर्गा स्व सहायता समूह हितामेटा	कुंवर स्व सहायता समूह कोरकोटी	कुंवर स्व सहायता समूह कोरकोटी	दुर्गा स्व सहायता समूह हितामेटा	कुंवर स्व सहायता समूह कोरकोटी		
		घेरपाल	समृद्धि स्व सहायता समूह घेरपाल	समृद्धि स्व सहायता समूह घेरपाल	गायत्री स्व सहायता समूह तुमरीगुण्डा	गायत्री स्व सहायता समूह तुमरीगुण्डा	समृद्धि स्व सहायता समूह घेरपाल	गायत्री स्व सहायता समूह तुमरीगुण्डा		
					लक्ष्मी स्व सहायता समूह कोरगाव	लक्ष्मी स्व सहायता समूह कोरगाव		लक्ष्मी स्व सहायता समूह कोरगाव		
				लक्ष्मी स्व सहायता समूह पाहुर्नार	लक्ष्मी स्व सहायता समूह पाहुर्नार		लक्ष्मी स्व सहायता समूह पाहुर्नार			
5	कटेकल्याण	कटेकल्याण 1	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	माहालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण अस्पतालपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	छठगण राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरता पो ओ की राम बाई जिता-तुा (छ ग.)	
					ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा					
		कटेकल्याण 2	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	माहालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा		ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा
		परधेली	माहालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	सहैली स्व-सहायता समूह छोटेलखपाल स्कूलपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा	माहालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण		ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंझारपारा
					धनलक्ष्मी स्व-सहायता समूह प्रतापगिरी डोंगरीपारा					
					धनलक्ष्मी स्व-सहायता समूह प्रतापगिरी पटेलपारा					
					जय गायत्री माता स्व-सहायता समूह परधेल राजतपारा					
					राधा स्व-सहायता समूह जंगमपाल स्कूलपारा					
					दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह छोटेलखपाल पटेलपारा					
जय गायत्री माता स्व-सहायता समूह जंगमपाल पटेलपारा										
पुजारी स्व-सहायता समूह जंगमपाल पुजारीपारा										

परिशिष्ट-४  
विधानसभा तस्मिन्काले १९७१-७२-७३-७४-७५

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	घाटकल्याण	परभोली	महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	
		भरवार 1	महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	महालक्ष्मी स्व-सहायता समूह कटेकल्याण	ओम साई राम स्व-सहायता समूह कटेकल्याण मंगरपारा	
6	बडेगुडरा	बडेगुडरा 01	जय मां तुलसी स्व-सहायता समूह बडेगुडरा कवासीपारा	जय मां तुलसी स्व-सहायता समूह बडेगुडरा कवासीपारा	मां बलेश्वरी स्व-सहायता समूह छोटेगुडरा कोटवारपारा	मां बलेश्वरी स्व-सहायता समूह छोटेगुडरा कोटवारपारा		जय मां तुलसी स्व-सहायता समूह बडेगुडरा कवासीपारा	जय मां तुलसी स्व-सहायता समूह बडेगुडरा कवासीपारा
					साईनाथ समूह बडेगुडरा तोठापारा	साईनाथ समूह बडेगुडरा तोठापारा			
					सुमन समूह बडेगुडरा पदईपारा	सुमन समूह बडेगुडरा पदईपारा			
					गृध्री स्व-सहायता समूह बडेगुडरा ईतापारा	गृध्री स्व-सहायता समूह बडेगुडरा ईतापारा			
					मेन्दाफुल स्व-सहायता समूह जिहाकोडता	मेन्दाफुल स्व-सहायता समूह जिहाकोडता			
		उन्नती स्व-सहायता समूह देटेपाल ओमरीपारा	उन्नती स्व-सहायता समूह देटेपाल ओमरीपारा						
बडेगुडरा 02	सरस्वती स्व-सहायता समूह बडेगुडरा बाबुपारा	सरस्वती स्व-सहायता समूह बडेगुडरा बाबुपारा	सेवा स्व-सहायता समूह पोखपाल जादापारा	सेवा स्व-सहायता समूह पोखपाल जादापारा		सरस्वती स्व-सहायता समूह बडेगुडरा बाबुपारा	सरस्वती स्व-सहायता समूह बडेगुडरा बाबुपारा		
			भा स्व-सहायता समूह भूसारास कलारपारा	भा स्व-सहायता समूह भूसारास कलारपारा					
			सेवा स्व-सहायता समूह पोखपाल आंदापारा	सेवा स्व-सहायता समूह पोखपाल आंदापारा					
सुरनार 02	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा	हिंगलाजीन स्व-सहायता समूह धनीकरका खालेपारा		
7	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा क०1	सरस्वती स्व-सहायता समूह कुआकोण्डा बैदीपारा	सरस्वती स्व-सहायता समूह कुआकोण्डा बैदीपारा	सीतला माता स्व-सहायता समूह गडगिरी	सीतला माता स्व-सहायता समूह गडगिरी	सरस्वती स्व-सहायता समूह कुआकोण्डा बैदीपारा	सीतला माता स्व-सहायता समूह गडगिरी	
		कुआकोण्डा क०2	महामाया स्व-सहायता समूह नकुलनार ठाकुरपारा	महामाया स्व-सहायता समूह नकुलनार ठाकुरपारा	दुर्गा स्व-सहायता समूह हितावर	दुर्गा स्व-सहायता समूह हितावर	महामाया स्व-सहायता समूह नकुलनार ठाकुरपारा	दुर्गा स्व-सहायता समूह हितावर	

उपरोक्त तालिका  
संशोधित करिता  
उत्तरांचल विधानसभा  
परभोली जिल्हा  
(१)



## परिशिष्ट "सात"

( तार्गीकन प्रश्न संख्यम 10 (क्र. 333) की जानकारी )

## प्रपत्र "अ"

बिलासपुर जिले के विकासखण्ड कोटा एवं पेण्ड्रा में रेत एवं  
गिट्टी के स्वीकृत उत्खनिपट्टों/खदानों की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1	कोटा	तेंदुवा	धूनापत्थर	4.000
		तेंदुवा	धूनापत्थर	1.863
		खरगहनी	धूनापत्थर	1.790
		कोटा	सा.पत्थर	2.024
		अमाली	सा.पत्थर	1.820
		कोटा	सा.पत्थर	2.032
		मानिकपुर	सा.पत्थर	1.000
		सिलदहा	रेत	6.728
		रतखण्डी	रेत	5.100
		सोढाखुर्द	रेत	5.500
		पोड़ी (स)	रेत	6.072
2	पेण्ड्रा	करंगरा	सा.पत्थर	0.800
		विशषरा	रेत	2.369

बिलासपुर जिले के विकासखण्ड कोटा एवं पेण्ड्रा के अन्तर्गत कृषि भूमि निर्माण एवं तालाब गहरीकरण से निकलने वाले मुरुम के परिवहन हेतु दी गई अनुमति की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	खण्ड का भाग	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में)	सिमांक
1	2	3	4	5	6
1	कोटा	कवराडीह	मुरुम	5.590 हे.	कृषि भूमि निर्माण/समतलीकरण से प्राप्त मुरुम परिवहन हेतु तालाब गहरीकरण से प्राप्त मुरुम परिवहन हेतु
		पीपरतराई	मुरुम	4.694 हे.	
2	पेण्ड्रा	निरफ			

[ तारकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 252) के भाग (क) एवं (ख) को जानकलन ]

प्रश्न "अ"

उच्च स्तरीय छानबीन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शांताय प्रसारण विभाग (अ) का प्रसारण (के) सेवा) केवाले विभाग अधिकारियों-कर्मचारियों के जाति प्रमाण फर्जी पाये गये हैं:-

क्र.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अनुशासा (आदेश) दिनांक	उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा कार्यवाही किये हेतु की गई अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पुरुषोत्तम पतवार, स्टेनो टायपिस्ट	03.04.2002	गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
2	श्री प्रवीण कुमार निमजे, सहायक ग्रेड-2	11.12.2006	अनुशुचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
3	श्री राजेन्द्र कुमार सोनकसले, सहायक ग्रेड-1	27.08.2007	नियमानुसार कार्यवाही की।
4	श्री राजेश लिविंगस्टन, सहायक ग्रेड-1	16.11.2009	सहायक ग्रेड-3 के पद पर प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
5	श्रीमती हेमलता एक्का, सहायक ग्रेड-1	18.01.2010	अनुशुचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
6	श्री जगदीश नारायण कोष्टा, निज सचिव	15.07.2015	सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अनुशुचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
7	श्री पुरुषोत्तम कोष्टा, निज सहायक	17.08.2015	गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
8	श्री धनू दास बुरडे, निज सहायक	08.01.2007 16.04.2015	अनुशुचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।
9	श्री भुवन डेवटा, निज सहायक	06.11.2006 02.04.2015	अनुशुचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही के अंतर्गत प्रो. 252 के अंतर्गत कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।

उच्च स्तरीय छानबीन समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण

- (1) विभागीय आदेश दिनांक 23.08.2008 द्वारा श्री पुरुषोत्तम पतवार, स्टेनो टायरिस्ट को सेवा से हटाया गया था।
- (2) विभागीय आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा श्री राजेश लिविंगस्टन, सहायक ग्रेड- 1 को सेवा से हटाया गया था। मानसिक स्वास्थ्य, उमर, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7348/2009 में प्राथमिक आदेश दिनांक 21.03.2012 के पालन में विभागीय आदेश दिनांक 23.07.2015 द्वारा श्री लिविंगस्टन को पूर्व धरित पद पर इस धर्त के साथ पुनः शरणांकन सेवा में बहाल किया गया कि समिति द्वारा पुनः जांच में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त/फर्जी पाये जाने पर बिना किसी अन्य सुनवाई को अग्रसर दिये उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

रीय 37 अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के आदेशों के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य, उमर, बिलासपुर में दायर की गई याचिकाओं मानसिक स्वास्थ्य में विकारधीन/सबिद एन.ए.ए. प्रकरणों में मानसिकीयालय के निर्णय अनुसार तत्समय कार्यवाही की जायेगी।

## परिशिष्ट "नौ"

[ कार्यांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 268) के भाग (क) की जानकारी ]

दिनांक 30.04.2016 तक की स्थिति में महासमुद्र अंतर्गत संचालित खदान स्थल एवं उत्खनित खनिज की जानकारी

क्र.	पट्टेदार/संचालनकर्ता का नाम	संचालित खदान स्थल (ग्राम/ग्राम पंचायत)	उत्खनित खनिज का नाम
1	2	5	4
1	श्रीमती आर. गुप्ता पति श्री विजय गुप्त	घोडारी	फर्शीपत्थर
2	श्री अजय चंद्राकर आ श्री मनहरण लाल चंद्राकर	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
3	श्री राजेश चंद्राकर आ श्री वमन लाल चंद्राकर	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
4	श्री राजमोहन तिवारी आ श्री मोहनराज तिवारी	घोडारी	फर्शीपत्थर
5	श्री रामकुंद चंद्राकर आ श्री वमन लाल चंद्राकर	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
6	आयुक्त श्री शक्ति निपाय शंकर खड्गनाथ शर्मा आ श्री मंगल मुलेना	मुडेना	फर्शीपत्थर
7	श्री सतन परमार आ श्री गोलाम परमार	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
8	श्री मोहन राम चंद्राकर आ श्री मोहन लाल चंद्राकर	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
9	मे.बी.एस.सी.पी.एल. लि. प्रो. श्री जी.एस.के.राव	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
10	श्री भूषण मारकण्डे आ श्री विजय मारकण्डे	लोकेशखुर्दे	फर्शीपत्थर
11	अध्यक्ष श्री सुखराम बजारे आ श्री एकलु बजारे इंदिरा कामगार सह.समि. घोडारी	घोडारी	फर्शीपत्थर
12	श्री शांतिचंद कोडारी	मुडेना	फर्शीपत्थर
13	मे. आनंद स्टोन इंड. प्रा. सपना सिघानिया	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
14	श्री आर. के. जोशी आ. श्री एस. एन. जोशी	बेलसोडा	फर्शीपत्थर
15	श्री यशवंत कुमार साहू आ श्री टोहल राम साहू	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
16	श्री कुंदन परमार आ श्री बिजेलाल परमार	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
17	श्री सोमेश दवे आ श्री जी.एस. दवे	घोडारी	फर्शीपत्थर
18	श्री सोमेश दवे आ श्री जी.एस. दवे	घोडारी	फर्शीपत्थर
19	श्री विकास सिंह ठाकुर आ श्री नकूल सिंह ठाकुर	मुडेना	फर्शीपत्थर
20	श्री अनुपम अग्रवाल	बेलसोडा	फर्शीपत्थर
21	श्रीमती रत्ना तिवारी पति श्री ससीम तिवारी	बेलसोडा	फर्शीपत्थर
22	श्री अमित कुमार वासनिक आ. श्री रामचन्द्र वासनिक	घोडारी	फर्शीपत्थर
23	श्री कुंदन परमार आ श्री बिजेलाल परमार	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
24	मे.बी.एस.सी.पी.एल. लि. प्रो. श्री जी.एस.के.राव	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
25	श्री लक्ष्मण रात्रे आ स्व. श्री सुखदास रात्रे	बम्हनी	फर्शीपत्थर
26	श्री फिरतू राम साहू आ श्री गुलाल साहू	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
27	श्रीमती जयश्री बाई पति श्री सतन परमार	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
28	श्री संदीप साहू आ श्री हरख राम साहू	घोडारी	फर्शीपत्थर
29	श्रीमती सरोज चंद्राकर पति श्री कमलनारायण चंद्राकर	नांदगांव	फर्शीपत्थर
30	श्री बालमुकुंद चंद्राकर आ श्री मोहन लाल चंद्राकर	बरबसपुर	फर्शीपत्थर
31	श्री अनुपम अग्रवाल आ. स्व. श्री रामकृष्ण अग्रवाल	अछोली	फर्शीपत्थर
32	श्री अनुपम अग्रवाल आ. स्व. श्री रामकृष्ण अग्रवाल	अछोली	फर्शीपत्थर
33	श्रीमती निर्मला बजारे पति श्री नारायण बजारे	घोडारी	फर्शीपत्थर

क्र.सं.	पट्टेदार/संचालनकर्ता का नाम	संचालित खदान स्थल (ग्राम/ग्राम पंचायत)	उत्पन्न खनिज का नाम
1	2	3	4
32	श्री समीता चंद्राकर पति स्व.श्री नरेश चंद्राकर	नाडरगाव	फशीपत्थर
33	श्री अनुपम अग्रवाल आ. स्व. श्री रामकृष्ण अग्रवाल	वास्कोडो	फशीपत्थर
34	म.दा.एस.सी.पो.एच. लि. प्रो. श्री जोएस करव	वसवपुर	फशीपत्थर
35	श्री हजयकुमार कुरे आ. श्री हजयकर कुरे	अछोली	फशीपत्थर
36	श्री रामधरण टंडन आ. श्री सिवाजी राम टंडन	वरवसपुर	फशीपत्थर
37	श्री अमित चंद्राकर आ. श्री नारायण चंद्राकर	नाडरगाव	फशीपत्थर
38	श्री अजयनाथ साहू आ. श्री बिरगलाल साहू	अछोली	फशीपत्थर
39	श्री अनुपम अग्रवाल	अछोली	फशीपत्थर
40	श्री अमर सिंह आ. स्व. श्री भारती सिंह	घोडारी	फशीपत्थर
41	श्री बन्धुहास चंद्राकर आ. स्व. श्री रामखिलाजन	घोडारी	फशीपत्थर
42	श्री राकेश कुमार कोसले आ. श्री महेशकु कोसले	घोडारी	फशीपत्थर
43	श्री इंदरान मालिक आ. श्री नंदराम मालिक	वास्कोडो	फशीपत्थर
44	श्री अरुण कुमार आ. श्री पंडुधाम	घोडारी	फशीपत्थर
45	श्री दिनेश्वर चंद्राकर आ. श्री नमन लाल चंद्राकर	घोडारी	फशीपत्थर
46	नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी	अछोली	फशीपत्थर
47	श्री दीप कुमार अग्रवाल आ. स्व. श्री रामनिधरण अग्रवाल	वास्कोडो	फशीपत्थर
48	श्री विजय चंद्राकर आ. श्री नारायण चंद्राकर	वास्कोडो	फशीपत्थर
49	श्री अनुपम अग्रवाल आ. स्व. श्री रामकृष्ण अग्रवाल	वसवपुर	फशीपत्थर
50	श्री बलदास चंद्राकर आ. श्री नारायण चंद्राकर	वसवपुर	फशीपत्थर
51	श्री विजय चंद्राकर आ. श्री मोहन लाल चंद्राकर	वरवसपुर	फशीपत्थर
52	श्री किशोर सचदेव आ. श्री मुरलीधर सचदेव	अछोली	फशीपत्थर
53	श्रीमती चित्रलेखा चंद्राकर पति श्री विष्णु राम चंद्राकर	अछोली	फशीपत्थर
54	श्री रोशन देवांगन आ. श्री खंडराम देवांगन	अछोली	फशीपत्थर
55	खदान कामगार सह. समिति घोडारी	घोडारी	फशीपत्थर
56	श्री धीरज कोहली आ. श्री नरेश कोहली	घोडारी	फशीपत्थर
57	श्री अनुपम अग्रवाल	अछोली	फशीपत्थर
58	श्री भागवत हरित आ. स्व. श्री सुखलाल	अछोली	फशीपत्थर
59	श्रीमती इन्द्राणी बाई गुप्ता पति श्री संतोष गुप्ता	अछोली	फशीपत्थर
60	श्री सोमेश दवे आ. श्री जी.एस. दवे	घोडारी	फशीपत्थर
61	श्री भोलाराम यादव आ. श्री बृजलाल यादव	अछोली	फशीपत्थर
62	श्री हेमंत चंद्राकर आ. श्री उत्तम चंद्राकर	वरवसपुर	फशीपत्थर
63	श्री नरेंद्र सूर्यवंशी आ. श्री रामलाल सूर्यवंशी	अछोली	फशीपत्थर
64	श्री सुरेश चंद्राकर आ. श्री मोहन चंद्राकर	वरवसपुर	फशीपत्थर
65	श्री रोशन अग्रवाल आ. श्री पवन अग्रवाल	मुढना	फशीपत्थर
<b>पत्थर केशर खदान</b>			
68	श्री ब्रिजेश मिश्रा आ. श्री शंकर मिश्रा	तखनपुर	पत्थर
69	श्री तारिक मुबीन कुरैशी आ. श्री मुबीन अमहद कुरैशी	वासकूडा	पत्थर
70	श्री आशीष अग्रवाल आ. श्री गोविंद अग्रवाल	किशनपुर	पत्थर
71	श्री सुनील अग्रवाल आ. श्री रामअवतार अग्रवाल	धामनघुटकुरी	पत्थर
72	श्री विजय अग्रवाल आ. श्री रामअवतार अग्रवाल	धामनघुटकुरी	पत्थर
73	मे. रतना खनिज अद्योग प्रो. श्री सुनील अग्रवाल आ. श्री रामअवतार अग्रवाल	तरेकेल	पत्थर
74	श्री राजेन्द्र शर्मा आ. श्री धर्मवीर शर्मा	बम्हनीडीह	पत्थर



स.क्र.	पट्टेदार/संचालनकर्ता का नाम	संचालित खदान स्थल (ग्राम/ग्राम पंचायत)	उत्खनित खनिज का नाम
1	2	5	4
<b>क्वार्ट्ज खनिज खदान</b>			
109	श्री पंकज अग्रवाल आ श्री ब्रजराज अग्रवाल	चंडेला	क्वार्ट्ज
110	श्री दिनेश शर्मा आ श्री पूरन चंद शर्मा	खुशीमहाल	क्वार्ट्ज
111	श्री दिनेश शर्मा आ श्री पूरन चंद शर्मा	सांखेतशरद	क्वार्ट्ज
112	श्री राजेश शर्मा आ श्री पूरनचंद	कालिकापुरी, शिव	क्वार्ट्ज
113	श्री ललित अग्रवाल आ श्री राजेन्द्र अग्रवाल श्री रवि जैन	पतलपुराहा, खुर्द	क्वार्ट्ज
114	आ श्री नीलमचंद जैन	विशाल	क्वार्ट्ज
<b>पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर संचालित रेत खदान</b>			
115	ग्राम पंचायत बरबतपुर	बरबतपुर, ख	रेत
116	ग्राम पंचायत बरबतपुर	बरबतपुर, ख	रेत
117	ग्राम पंचायत घोडारी	घोडारी, ख	रेत
118	ग्राम पंचायत खडला	खडला, ख	रेत
119	ग्राम पंचायत माहकम	माहकम, ख	रेत
120	ग्राम पंचायत नादगाव	नादगाव, ख	रेत

परिशिष्ट "दम"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 237) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

जिला कबीरधाम अंतर्गत वर्ष 2015-16 में रेडी टू ईट फूड प्रदायकर्ता महिला स्व सहायता समूह एवं उनके सचिवों की शक्ति की विवरण सखण्डवार तारियों का विवरण  
जानकारी

क.	जिला का नाम	कबीरधाम जिला अंतर्गत शामिल राज विकास परियोजना का नाम	बाल विकास परियोजना अंतर्गत शामिल परियोजना का नाम	परियोजना में आरपीएस अंतर्गत रेडी टू ईट प्रदान करने वाली महिला स्व सहायता समूह का नाम	परियोजना क्षेत्र का नाम	सहायता प्रदायकर्ता महिला का नाम	सहायता प्रदायकर्ता का पता	सहायता प्रदायकर्ता का नाम	सहायता प्रदायकर्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कबीरधाम	थोडला	खडौदाकला	जागृति महिला समूह गारगपुरकला	माता काली महिला स्व सहायता समूह खडौदाकला				
			पोण्डी	सना महिला समूह पोण्डी	जय गुरु महिला स्व सहायता समूह कुंवार				
			राजानवागांव	जय भोरमदेव स्व सहायता समूह चिखली	जय भोरमदेव स्व सहायता समूह चिखली				
			बोडला 2	जय मां शक्ति समूह बोडला	जय मां काली समूह बोडला				
			मिनमिनीया मैदान	आदर्श महिला स्व सहायता समूह घोघा	भूमिमा महिला समूह लक्ष्मारा				
			बोडला 1	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह लेजाखार	जय मा वैष्णवदेवी महिला स्व सहायता समूह लेजाखार				
			लालपुर	मां भवानी महिला स्व सहायता समूह चिमरा	जय गुरु महिला स्व सहायता समूह चिमरा				
			महराजपुर	महामाया स्व सहायता समूह खैरवनाकला	जय बुद्धा देव समूह जीलाटोला				
2	कबीरधाम	चिल्फी	धानीखुटा	मां बंजारी समूह मिनमिनीया जगल	मिनी माता समूह जुनवानी जगल				
			चिल्फी	भारत माता महिला समूह चिल्फी	जय मां सत्यामा समूह चिल्फी				
			झलमला	मिनी माता स्व सहायता समूह तिलईभाठ	जागृति महिला समूह शीतलवना				
			रेगाखार	मा गंगा महिला स्व सहायता समूह जामुनपानी	जय मा सतीमा समूह रेगाखारकला				
			खारा	जय लक्ष्मी मा समूह खारा	जय लक्ष्मी मा समूह खारा				
3	कबीरधाम	तरेगांव जगल	तरेगांव जगल	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह धुवाछाप	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह धुवाछाप				
			बैजलपुर	महामाया स्व सहायता समूह बैजलपुर	महामाया स्व सहायता समूह बैजलपुर				
			दलदली	मा वैष्णवदेवी महिला स्व सहायता समूह पाडातराई	मा वैष्णवदेवी महिला स्व सहायता समूह पाडातराई				
			मडमडा	भारत माता समूह मडमडा	मा गायत्री महिला समूह मडमडा				

परिशिष्ट - 3:  
विधानसभा प्रश्न क्रमांक - 237 की जानकारी।

1	2	3	4	5	6		
4		कवठी	खंडी	बजरग महिला समूह खंडी	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			नवारी	जय मा सरस्वती समूह धुकरा	जय मा सतीश समूह खंडी		
			भगुटीला	जय मा महिला समूह जालाटीला	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			समनापुर	कृष्णा महिला समूह समाया	श्री सतीश महिला समूह खंडी		
			कवठी 2	सतनाम महिला एवं सहयोग समूह कवठी	माधव महिला समूह कवठी		माधव महिला समूह कवठी
			कवठी 1	सुमन महिला एवं सहयोग समूह कवठी	दिव्या महिला समूह कवठी		
			धुधरीकला	जय सतीश मा एवं सहयोग समूह धुधरीकला	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			मानवारा	समवेद एवं सहायता समूह मानवारा	जय मा सतीश एवं सहयोग समूह खंडी		
			कवठी	तजाकणी एवं सहयोग समूह कवठी	कवठी महिला समूह खंडी		
			दुखामपुर	मा सतीश महिला एवं सहयोग समूह दुखामपुर	जय मा सतीश महिला एवं सहयोग समूह खंडी		माधव महिला समूह कवठी
5		दशरामपुर	इदौरी	मा दुर्गा एवं सहयोग समूह इदौरी	जय मा सतीश समूह खंडी		
			धरमपुरा	मा महिला एवं सहयोग समूह धरमपुरा	जय मा सतीश समूह खंडी		
			झलमला	मा मा महिला एवं सहयोग समूह झलमला	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			सरका	जय मा सतीश महिला समूह खंडी	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			दशरामपुर	जय मा सतीश समूह खंडी	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			सदरपुरा	जय मा सतीश महिला समूह खंडी	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		
			श्री मंदिरा	श्री मंदिरा महिला समूह खंडी	जय मा सतीश महिला समूह खंडी		

परिशिष्ट --अ  
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 237 की जायजत

1	2	3	4	5	6
6	कबीरधाम	कुण्डा	कुण्डा	जय मा लक्ष्मी समूह कुण्डा	कुण्डा का लक्ष्मी समूह कुण्डा
			महली	लक्ष्मी स्व सहायता समूह लोअन	महली का लक्ष्मी स्व सहायता समूह लोअन
			रुसे	जय मा दुर्गे वरी स्व सहायता समूह भगवतपुर	रुसे का जय मा दुर्गे वरी स्व सहायता समूह भगवतपुर
			मोहगाव	कल्याणी स्व सहायता समूह विद्यापति	मोहगाव का कल्याणी स्व सहायता समूह विद्यापति
			वामापुर -1	गुरुकृपा महिला स्व सहायता समूह जामायावाल्दा	वामापुर का गुरुकृपा महिला स्व सहायता समूह जामायावाल्दा
			दामापुर -2	जय महागया स्व सहायता समूह भगवतपुर	दामापुर का जय महागया स्व सहायता समूह भगवतपुर
7		कुकदुर	नेसर	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह नेसर	नेसर का लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह नेसर
			छीरपानी	जय मा अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह दामापुर	छीरपानी का जय मा अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह दामापुर
			कामटी	जय मा बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कडमा	कामटी का जय मा बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कडमा
			मुनगुना	जय अन्नपूर्णा मा समूह वाधवा	मुनगुना का जय अन्नपूर्णा मा समूह वाधवा
			पोलमी	जय मा बजारी समूह पालमी	पोलमी का जय मा बजारी समूह पालमी
			कुकदुर	महागरीद स्व सहायता समूह दिपनपुर	कुकदुर का महागरीद स्व सहायता समूह दिपनपुर
8	पण्डरिया	पण्डरिया 1	संत रविदास स्व सहायता समूह पण्डरिया	पण्डरिया का संत रविदास स्व सहायता समूह पण्डरिया	
		पण्डरिया 2	ज्योति महिला स्व सहायता समूह पण्डरिया	पण्डरिया का ज्योति महिला स्व सहायता समूह पण्डरिया	
		पाण्डातराई	जय जले वर महिला स्व सहायता समूह जामायावाल्दा	पाण्डातराई का जय जले वर महिला स्व सहायता समूह जामायावाल्दा	
		परसवारा	स्वयं प्रभा स्व सहायता समूह कुन्दी	परसवारा का स्वयं प्रभा स्व सहायता समूह कुन्दी	
		दुल्हनापुर	जय बोलव जा स्व सहायता समूह दुल्हनापुर	दुल्हनापुर का जय बोलव जा स्व सहायता समूह दुल्हनापुर	

परिशिष्ट -अ  
विधानसभा प्रश्न क्रमांक - 237 की जानकारी

1	2	3	4	5	6	8
8		पण्डरिया	कायादाह	जय दुर्गा स्व सहायता समूह बिपतपुर	ज्योति महिला समूह रोगनापुर	
			रमतला	जय मां वैश्वदेवी स्व सहायता समूह खरहट्टा	महादेव महिला स्व सहायता समूह पेन्ड्रीखुर्द	
9	कबीरधाम	स.लोहारा	स0लोहारा 1	जय संतोशी स्व सहायता समूह स0लोहारा	जय मां चंडी महिला समूह कारेसरा	
			स0 लोहारा 2	जय मां शाकम्भरी समूह बांधाटोला	जय मां शीतला महिला समूह राम्हेपुर	
			सिंघनपुरी जंगल	जय मां वैष्णवदेवी समूह कटोरी	शारदा महिला स्व सहायता समूह रेन्दा	
			रामपुर	जय अम्बे स्व सहायता समूह ढोरली	जय मा लक्ष्मी समूह गैदपुर	
			गोछिया	जय मा संतोषी महिला समूह धरमगढ	ज्ञान गंगा महिला समूह गोछिया	
			सिल्हाटी	महिला शक्ति स्व सहायता समूह कल्याणपुर	सुतियापाट महिला स्व सहायता समूह कोयलारी	
			बिडोरा	जय जगदम्बा स्व सहायता समूह बबई	हरिशरण महिला स्व सहायता समूह जंगलपुर	हरिशरण महिला स्व सहायता समूह जंगलपुर दिनांक 11.03.2016 को कार्य से बर्खास्त किया गया है। अतिरिक्त कार्य जय जगदम्बा स्व सहायता समूह बबई को दिया गया है।
			उडियाखुर्द	महिला भाक्ति स्व सहायता समूह बडौदाकला	आजाद महिला स्व सहायता समूह चिलमखोदरा	
			रणवीरपुर	मां भीतला स्व सहायता समूह बनिया	जय अंबे महिला समूह कोसमंदा	
			बी. नगर	महिला जागरण स्व सहायता समूह सुरजपुरा	जय महिला स्व सहायता समूह भीखमपुर	

परिशिष्ट - 3  
विद्युत्समा तारांकित प्रश्न क्रमांक 297-की जानकारी

जिला राजनादगांव अंतर्गत वर्ष 2015-16 रेडी टू ईट प्रदायकर्ता महिला स्व सहायता समूह एवं उनके घयन की प्रक्रिया की विकासखंडवार, परियोजनावार एवं सेक्टरवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	राजनादगांव जिला अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र में आईसीडीएस अंतर्गत रेडी टू ईट फूड आपूर्तिकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	परिक्षेत्र में सबला / गैर सबला अंतर्गत रेडी टू ईट फूड आपूर्तिकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	रिमांक
1	2	3	4	5	6	8
1		छुईखदान	सालहेवारा	मां गायत्री स्व सहायता समूह कोपरो, धरती मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह खादी	मां गायत्री स्व सहायता समूह कोपरो, धरती मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह खादी	
			लक्ष्मणपुर	जय अम्बे स्व सहायता समूह लक्ष्मणपुर	जय अम्बे स्व सहायता समूह लक्ष्मणपुर	
			लालपुर	शीतला मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह नादिया	शीतला मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह नादिया	
			गण्डई	सुमति स्व सहायता समूह जगमडवा	सुमति स्व सहायता समूह जगमडवा	
			ठठार			
			पैलीमेटा	वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह घुचरुंगपुर	वैभव लक्ष्मी स्व सहायता समूह घुचरुंगपुर	
			धिरधोली	उजाला मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह बिघारपुर	उजाला मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह बिघारपुर	
			उदयपुर	जय मां बम्लेश्वरी विद्याचल स्व सहायता समूह गोपालपुर	जय मां बम्लेश्वरी विद्याचल स्व सहायता समूह गोपालपुर	
			छुईखदान	प्रेरणा मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह छुईखदान	प्रेरणा मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह छुईखदान	
2	राजनादगांव	छुरिया 01	छुरिया खोभा	मां गायत्री स्व सहायता समूह खोभा	मां गायत्री स्व सहायता समूह खोभा	
			बम्हनी	मां कर्मा स्व सहायता समूह बखरुटोला	मां कर्मा स्व सहायता समूह बखरुटोला	
			कल्लुबंजारी	जय मां भीतला स्व सहायता समूह कल्लुबंजारी	जय मां भीतला स्व सहायता समूह कल्लुबंजारी	
			गैदाटोला	मां शीतला स्व सहायता समूह कुहीकला	मां शीतला स्व सहायता समूह कुहीकला	
			मोलापुर	मां वैष्णवी देवी महिला स्व सहायता समूह पाण्डेटोला	मां वैष्णवी देवी महिला स्व सहायता समूह पाण्डेटोला	
3		छुरिया 02	जोशीलमती	मां बम्लेश्वरी गंगा स्व सहायता समूह कैसाल	मां बम्लेश्वरी गंगा स्व सहायता समूह कैसाल	
			खुर्सीटिकुल	मां बम्लेश्वरी सरस्यती महिला स्व सहायता समूह खुर्सीटिकुल	मां बम्लेश्वरी सरस्यती महिला स्व सहायता समूह खुर्सीटिकुल	समूह द्वारा रेडी टू ईट फूड का प्रदाय नहीं करने के कारण फरवरी 2016 में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रेडी टू ईट फूड का प्रदाय लक्ष्मी स्व. शक्ति स्व सहायता समूह बिघारपुर द्वारा किया जा रहा है।

परिशिष्ट - 2

विधानसभे तारकित धरन क्रमांक 237 की जानकारी

1	2	3	4	5	6	8			
3		धुरिया 02	कुमदा	लक्ष्मी मां शक्ति स्व सहायता समूह बंधार	लक्ष्मी स्व शक्ति स्व सहायता समूह बंधार				
			करमरी	मां बम्लेश्वरी गंगा महिला स्व सहायता समूह रतनमाठ	मां बम्लेश्वरी गंगा महिला स्व सहायता समूह रतनमाठ				
			उमरवाही	जय अम्बे स्व सहायता समूह मनदास	जय अम्बे स्व सहायता समूह मनदास				
4	राजनांदगांव	खैरागढ	जालबाधा	ओम साईं किरण स्व सहायता समूह जालबाधा	ओम साईं किरण स्व सहायता समूह जालबाधा				
			सलोनी	शिव साईं महिला स्व सहायता समूह खैरागढ	शिव साईं महिला स्व सहायता समूह खैरागढ				
			ढेलकाडीह	मां शारदा स्व सहायता समूह जुरलाकला	मां शारदा स्व सहायता समूह जुरलाकला				
			पाडादाह	वैभव लक्ष्मी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह पाडादाह	वैभव लक्ष्मी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह पाडादाह				
			भूलाटोला	ज्ञान गंगा स्व सहायता समूह मुहडबरी	ज्ञान गंगा स्व सहायता समूह मुहडबरी				
			मंडला	सरस्वती स्व सहायता समूह भरदाकला	सरस्वती स्व सहायता समूह भरदाकला				
			खैरागढ ग्रामीण	दुर्गा मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह खैरागढ	दुर्गा मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह खैरागढ				
			खैरागढ शहरी	जय शक्ति स्व सहायता समूह दाऊचौरा खैरागढ	जय शक्ति स्व सहायता समूह दाऊचौरा खैरागढ				
			मुढीपार	जय नर्मदा स्व सहायता समूह अकरजन	जय नर्मदा स्व सहायता समूह अकरजन				
			टोलागांव	आस्था महिला स्व सहायता समूह साकरा	आस्था महिला स्व सहायता समूह साकरा				
			अतरिया	महिला मंडल समिति सरांगोदी	महिला मंडल समिति सरांगोदी				
			5		डोंगरगढ	अछोली	जय मां वैष्णव देवी स्व सहायता समूह अछोली	जय मां वैष्णव देवी स्व सहायता समूह अछोली	
						बिल्हरी	जय साईं बाबा महिला स्व सहायता समूह शिवपुरी	जय साईं बाबा महिला स्व सहायता समूह शिवपुरी	
बागरेकसा	दिव्य ज्योती स्व सहायता समूह पिपरखार, डोंगरगढ	दिव्य ज्योती स्व सहायता समूह पिपरखार, डोंगरगढ							
पनियाजोब	समता मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह चौधना, डोंगरगढ	समता मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह चौधना, डोंगरगढ							
कनेरी									
मुसराकला	इंदिरा स्व सहायता समूह मुसरा, डोंगरगढ	इंदिरा स्व सहायता समूह मुसरा, डोंगरगढ							
एल बी नगर	जय ज्वाला मां स्व सहायता समूह एल.बी.नगर	जय ज्वाला मां स्व सहायता समूह एल.बी.नगर							
रानाटोला	रमा बाई स्व सहायता समूह कल्याणपुर, डोंगरगढ	रमा बाई स्व सहायता समूह कल्याणपुर, डोंगरगढ							
मोहारा	महिला बचत साख स्व सहायता समूह कातलवाही, डोंगरगढ	महिला बचत साख स्व सहायता समूह कातलवाही, डोंगरगढ							
डोंगरगढ	मां बम्लेश्वरी महामाया स्व सहा समूह वार्ड नं. 2 डोंगरगढ	मां बम्लेश्वरी महामाया स्व सहा समूह वार्ड नं. 2 डोंगरगढ							

परिशिष्ट - ब  
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 237 की जानकारी

2	3	4	5	6	7
6	डोंगरगाड	भेडा	जागृति स्व सहायता समूह पटपर, डोंगरगाड	जागृति स्व सहायता समूह पटपर, डोंगरगाड	
	डोंगरगाव	डोंगरगाव	दुर्गा स्व सहायता समूह, डोंगरगाव	दुर्गा स्व सहायता समूह, डोंगरगाव	
		दिवानभोडी	जगदंबा स्व सहायता समूह, डोंगरगाव	जगदंबा स्व सहायता समूह, डोंगरगाव	
		अर्जुनी	सरस्वती स्व सहायता समूह, बुद्धभरदा	सरस्वती स्व सहायता समूह, बुद्धभरदा	
		कोंकपुर			
		खुर्सीपर	इन्दा जय भवानी स्व सहायता समूह, खुर्सीपर	इन्दा जय भवानी स्व सहायता समूह, खुर्सीपर	
		तुमडीबोड	जय दुर्गा स्व सहायता समूह, बोदेल	जय दुर्गा स्व सहायता समूह, बोदेल	
		अखरा	इन्दा महिला समिति, खम्हेरा	इन्दा महिला समिति, खम्हेरा	
		रामपुर	पद्म जय मां भारदा स्व सहायता समूह, छुईखदान	पद्म जय मां भारदा स्व सहायता समूह, छुईखदान	
		आरे	जय नंदनी स्व सहायता समूह, गुंरी नवागाव	जय नंदनी स्व सहायता समूह, गुंरी नवागाव	
7	राजनांदगांव	अम्बागढ चौकी	कौडीकसा	सरस्वती मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - गरीटोला	सरस्वती मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - गरीटोला
			आमाटोला	महिला स्व सहायता समूह, ग्राम - रेंगाकटेरा	महिला स्व सहायता समूह, ग्राम - रेंगाकटेरा
			रेंगाकटेरा		
			बिहरीकला	भावना स्व शक्ति स्व सहायता समूह, ग्राम - बिहरीकला	भावना स्व शक्ति स्व सहायता समूह, ग्राम - बिहरीकला
			आतरगाव	संतोषी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - आतरगाव	संतोषी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - आतरगाव
			बाधाबाजार	तुलसी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - कौडुटोला	तुलसी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - कौडुटोला
			अम्बागढ चौकी	निधि मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, अम्बागढ चौकी	निधि मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, अम्बागढ चौकी
			धिल्हाटी	जय मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - मुडपार	जय मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, ग्राम - मुडपार
8	मोहला	मोहला	श्रद्धा स्व सहायता समूह, कुंवारदल्ली	श्रद्धा स्व सहायता समूह, कुंवारदल्ली	
		वासडी	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, पाटनखास	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह, पाटनखास	
		रेंगाकटेरा	मां सरस्वती स्व सहायता समूह, डुण्डेरा	मां सरस्वती स्व सहायता समूह, डुण्डेरा	
		एकटकन्हार	मां दुर्गा स्व सहायता समूह, पाण्डरवानी	मां दुर्गा स्व सहायता समूह, पाण्डरवानी	
		सोमाटोला	दीप स्व सहायता समूह, पुरुरगोटा	दीप स्व सहायता समूह, पुरुरगोटा	

परिशिष्ट - ब  
विधानसभा सार्वजनिक प्रश्न क्रमांक 237 की जानकारी

1	2	3	4	5	6	7
8		मोहला	गोटाडोला	गरिमा नारि संबल स्व सहायता समूह गोटाडोला	गरिमा नारि संबल स्व सहायता समूह गोटाडोला	
			मोहमट्टा	मा बम्लेश्वरी बिसनी स्व सहायता समूह मुकादह	मा बम्लेश्वरी बिसनी स्व सहायता समूह मुकादह	
			मोजडोला	लक्ष्मी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह धिलाडबरी	लक्ष्मी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह धिलाडबरी	
9	राजनांदगांव	मानपुर	मानपुर	गणपति स्व सहायता समूह मानपुर	गणपति स्व सहायता समूह मानपुर	
			खडगांव	मां बम्लेश्वरी गंगा स्व सहायता समूह खडगांव	मां बम्लेश्वरी गंगा स्व सहायता समूह खडगांव	
			सीतागांव			
			दिघवाड़ी	जय अम्बे मा स्व सहायता समूह डोकला	जय अम्बे मां स्व सहायता समूह डोकला	
			कोन्द्राबोडी	मां बम्लेश्वरी संतोषी स्व सहायता समूह मदनटोला	मां बम्लेश्वरी संतोषी स्व सहायता समूह मदनटोला	
			कोहका	मां बम्लेश्वरी नोहरी स्व सहायता समूह खुर्सेखुर्द	मां बम्लेश्वरी नोहरी स्व सहायता समूह खुर्सेखुर्द	
			पालेमट्टी	सरस्वती स्व सहायता समूह नेवरगांव	सरस्वती स्व सहायता समूह नेवरगांव	
			सात्हेमट्टी	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह बडगांव	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह बडगांव	
			मरीटोला	मां बम्लेश्वरी दुर्गा स्व सहायता समूह घोटिया	मां बम्लेश्वरी दुर्गा स्व सहायता समूह घोटिया	
			कहडबरी	मां दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह अडजाल	मां दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह अडजाल	
10	राजनांदगांव (शहर)		चिखली	मां भवानी महिला स्व सहायता समूह मोतीपुर रामनगर राजनांदगांव	मां भवानी महिला स्व सहायता समूह मोतीपुर रामनगर राजनांदगांव	
			महावीर	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह भरकापारा राजनांदगांव	संजीवनी महिला स्व सहायता समूह भरकापारा राजनांदगांव	
			शीतलामाता			
			गौरीनगर	मां शीतला महिला स्व सहायता समूह ममतानगर राजनांदगांव	मां शीतला महिला स्व सहायता समूह ममतानगर राजनांदगांव	
			कौरिनभाठा	ओम सिद्धी महिला स्व सहायता समूह बसंतपुर राजनांदगांव	ओम सिद्धी महिला स्व सहायता समूह बसंतपुर राजनांदगांव	
			बसंतपुर			
11	राजनांदगांव ग्रामीण 01		बोरी	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह बोरी	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह बोरी	
			सुकुलदेहान	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह लिटिया	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह लिटिया	
			डिलापहरी	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह रैगाकटेरा	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह रैगाकटेरा	

1	2	3	4	5	6	8
11		राजनांदगांव ग्रामीण 01	सोमनी	जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह खुटेरी	जय मां दुर्गा स्व सहायता समूह खुटेरी	
			अजोरा	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह टेडेसरा	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह टेडेसरा	
			सुरगी	मां बम्लेश्वरी सुलम स्व सहायता समूह आरला	मां बम्लेश्वरी सुलम स्व सहायता समूह आरला	
			सिघोला	बिहान मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह सिघोला	बिहान मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह सिघोला	
			सुंदरा	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह ठाकुरटोला	मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह ठाकुरटोला	
12	राजनांदगांव	राजनांदगांव ग्रामीण 02	धुमका	जय मां बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह खैरा	जय मां बम्लेश्वरी महिला स्व सहायता समूह खैरा	
			उपरयाह	दीदी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह सलीनी	दीदी मां बम्लेश्वरी स्व सहायता समूह सलीनी	
			डुमरडीहखुर्द	जय मां शीतला स्व सहायता समूह बिहावबोड	जय मां शीतला स्व सहायता समूह बिहावबोड	
			बघेरा	मिनी माता स्व सहायता समूह बनबघेरा	मिनी माता स्व सहायता समूह बनबघेरा	
			सहसपुरदल्ली	जय बम्लेश्वरी जय सतनाम स्व सहायता समूह डुमरडीहकला	जय बम्लेश्वरी जय सतनाम स्व सहायता समूह डुमरडीहकला	
			पटेया	जय मां भवानी महिला स्व सहायता समूह इरईकला	जय मां भवानी महिला स्व सहायता समूह इरईकला	





प्रपत्र "ब"

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

दूरभाष क 0771-2510838 फ़ैक्स- 0771-2510839 ई-मेल - secy.wcd-cg@nic.in

क्रमांक एफ 3-76/2015/मवावि/50

दिनांक 11/7/16

प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला - समस्त (छ.ग.)
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी/  
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,  
जिला - समस्त (छ.ग.)

विषय :- आंगनबाड़ी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन गीठा सुगंधित दूध उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अमृत योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन विषयक।

---00---

विषयांतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र के 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में वर्तमान में नाश्ता तथा गर्म भोजन का वितरण किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण राज्य में इन बच्चों को सप्ताह में 01 दिवस मीठा सुगंधित दूध उपलब्ध कराने हेतु राज्य निधि से मुख्यमंत्री अमृत योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना अन्तर्गत दूध प्रदाय के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं -

1. मुख्यमंत्री अमृत योजना के हितग्राही :-

एकीकृत बाल विकास सेवाएं अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के 3 से 6 वर्ष आयु के समस्त बच्चे इस योजना के हितग्राही होंगे। इन हितग्राहियों को सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को आंगनबाड़ी केन्द्र में दूध का वितरण किया जावेगा।

2. बच्चों को वितरित की जाने वाली दूध की मात्रा :-

इस योजना अंतर्गत बच्चों को सप्ताह में एक दिन 100 मि.ली. मीठा सुगंधित दूध का वितरण किया जाना है। बच्चों को दूध, आंगनबाड़ी केन्द्र में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा समक्ष में सुरक्षित तरीके से पिलाया जाना है।

3. मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत मीठा सुगंधित दूध प्रदाय हेतु एजेंसी :-

आंगनबाड़ी केन्द्रों में योजना अन्तर्गत मीठा सुगंधित दूध का प्रदाय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा किया जावेगा। एजेंसी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए 1 लीटर पैक में (10 पैकेट का 01 कार्टून) अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर (UHT) सुगंधित मीठा दूध (जो सामान्य तापमान पर 90 दिनों तक सुरक्षित रहेगा) का प्रदाय किया जावेगा। एजेंसी द्वारा सुरक्षित पैकिंग में दूध, संबंधित बाल विकास परियोजना के लिए मांग अनुसार बाल विकास परियोजना के निर्धारित गोदाम तक पहुंचाकर दिया जायेगा। बाल विकास परियोजना के गोदाम से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र की आवश्यकतानुसार दूध प्राप्त किया जावेगा। परियोजना के गोदाम से आंगनबाड़ी केन्द्र तक प्रति लीटर 2.00 रु. की दर से परिवहन राशि का भुगतान एजेंसी द्वारा किया जायेगा। प्रदाय एजेंसी द्वारा प्रतिमाह के लिए परिवहन राशि संबंधित परियोजना अधिकारी के खाते में जमा की जावेगी जिसे परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में प्रतिमाह जमा किया जावेगा।

#### 4. मीठे सुगंधित दूध का मूल्य :-

या जन: अन्तर्गत बच्चों को वितरित किए जाने वाले 100 मिली दूध का मूल्य आंगनवाड़ी केंद्र तक परिवहन व्यय एवं समस्त करों सहित रकम रु. 5.25 निर्धारित किया गया है। इसी दर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दूध का प्रदाय किया जावेगा।

#### 5. दूध के प्रदाय की प्रक्रिया :-

5.1 आंगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिमाह हेतु दूध की आवश्यकता का आकलन कर मांग पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त परियोजनाओं से प्राप्त मांग का परीक्षण कर प्रदाय आदेश जिला कलेक्टर के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को दिया जावेगा। प्रदाय आदेश की एक प्रति संचालनालय को भी अनिवार्यतः प्रेषित की जावेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आगामी माह के लिए प्रदाय आदेश प्रदाय एजेंसी को अनिवार्य रूप से दिया जावेगा।

5.2 प्रदाय एजेंसी द्वारा प्रदाय आदेश प्राप्त होने के 15 से 20 दिवस की अवधि में संबंधित बाल विकास परियोजना तक सुरक्षित रूप से पहुंचाकर दूध का प्रदाय अनिवार्य रूप से किया जावेगा। बाल विकास परियोजना स्तर पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदाय आदेश अनुसार दूध की निर्धारित मात्रा प्राप्त की जावेगी। दूध के पैकेट पर निर्माण की तिथि एवं उपयोग करने हेतु अंतिम तिथि (पैकिंग तिथि से 90 दिन) का परीक्षण करने के पश्चात ही पैकेट प्राप्त किए जावें।

5.3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रतिमाह बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आवश्यकतानुसार निर्धारित मात्रा में दूध प्राप्त किया जावेगा तथा स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र तक परिवहन कर ले जाया जावेगा। इस दूध को सुरक्षित एवं ठंडे स्थान पर भण्डारित किया जावेगा।

5.4 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के 3 से 6 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को नाश्ते के बाद सुरक्षित रूप से समक्ष में निर्धारित मात्रा (100 एम.एल.) में दूध पिलाया जावेगा।

5.5 कुछ बच्चों को दूध पीने की आदत न होने के कारण प्रारंभ में उन्हें यह दूध पीने पर असहज महसूस हो सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल डाईटिशियन अथवा चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर संबंधित बच्चे को समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जावे।

#### 6. प्रदायित दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना :-

प्रदाय एजेंसी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत प्रदायित दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी। प्रदायित दूध के देयक के साथ प्रदाय एजेंसी द्वारा प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग संयंत्र की प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट प्रतिमाह देयक के साथ प्रस्तुत की जानी होगी। जिला एवं राज्य स्तर से भी विभाग द्वारा रैंडम आधार पर दूध के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण कराया जा सकेगा। दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का होगा।

7. परियोजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में दूध को सुरक्षित रूप से भण्डारण करना -

प्रदाय किये जाने वाले यू.एच.टी. दूध पूर्ण रूप से स्टलाइज्ड है। अतः इसमें बैक्टीरिया फंगस, चींटी व चूहों द्वारा पैकेट क्षतिग्रस्त करने, छद्म आदि के कारण खराब होने की सम्भावना रहती है। अतः परियोजना एवं आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रदायित दूध को पूर्णतः सुरक्षित रखा जाना है एवं सुरक्षित तरीके से वितरित किया जाना है। बच्चों को दूध पिलाने के पूर्व गिलास साफ धुला हुआ हो। उपयोग के पश्चात् भी गिलास को अनिवार्यतः साफ कर सुरक्षित स्थान पर रखा जावे।

8. प्रदाय किये जाने वाले दूध में शामिल फैट, एस.एन.एफ., प्रोटीन एवं कैल्शियम की मात्रा:-

एजेंसी द्वारा प्रदायित 100 मिली दूध में शामिल निम्न तत्वों का उल्लेख दूध के पैकेट पर होगा:-

क्र.	पोषक तत्व	मात्रा
1	प्रोटीन	3 ग्राम
2	ऊर्जा (Energy)	97 किलो कैलोरी
3	टोटल फैट	3 प्रतिशत
4	एस.एन.एफ.	8.5 प्रतिशत
5	कार्बोहाइड्रेड (टोटल)	14 ग्राम
6	ऐडेड शुगर	10 ग्राम

9. दूध के पैकेट पर दिए गए निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना :-

दूध के उपयोग के पूर्व पैकेट पर अंकित समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी निर्देश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी।

10. मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत प्रदायित दूध की पैकिंग :-

प्रदाय एजेंसी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमों का पालन करते हुए दूध की पैकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

11. योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रदाय एजेंसी को अग्रिम का भुगतान :-

वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार प्रदाय एजेंसी को 2 माह के दूध के मूल्य की राशि अग्रिम में प्रदाय की जा सकेगी। सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अग्रिम का नियमानुसार समायोजन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रत्येक माह की 25 तारीख तक जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रदाय एजेंसी को मासिक भुगतान किया जावेगा।

12. मुख्यमंत्री अमृत योजना के लिए अभिलेखों का संधारण :-

योजना अन्तर्गत प्रदायित दूध का आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर, परियोजना स्तर एवं जिला स्तर पर नियमानुसार अभिलेखों का संधारण किया जावे। प्रतिमाह-10 तारीख के पूर्व संचालनालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट एवं मासिक व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

13. योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण :- आंगनवाड़ी केन्द्र में मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत बच्चों को प्रतिदिन उपस्थिति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मित्रांगन एवं प्रांगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित महतारी पंचायत समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षण परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा संपन्न निरीक्षण पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाये। इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी प्रत्येक माह जिले के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परियोजनाओं का 5-5 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करेगा, बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रत्येक सेक्टर के 5-5 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करेगा तथा पर्यवेक्षक अपने सेक्टर के तहत अपने पास 20 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर मासिकी जतन योजना के तहत प्रदाय किये जाने वाले गर्भ रोजन का अप्लाइकन/निरीक्षण करेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः उपलब्ध करायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा योजना के प्रभावी संचालन हेतु अन्य विभागों के अधिकारियों की समिति गठित कर इस समिति को भी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा जाये। जिला स्तर पर गठित की जाने वाली इस समिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। यह समिति प्रतिमाह कम से कम 5 आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करते हुए दूध की गुणवत्ता आदि की जांच करेगी तथा प्रति तिमाही में अपनी रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

14. आंगनवाड़ी केन्द्र में प्राप्त दूध का सत्यापन :-

पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित महतारी समिति द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप आंगनवाड़ी केन्द्र में प्राप्त दूध का सत्यापन की कार्यवाही की जावेगी।

15. मुख्यमंत्री अमृत योजना का प्रचार-प्रसार :-

15.1 मुख्यमंत्री अमृत योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यावश्यक है। प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रेस विज्ञापन, दीवार लेखन, स्थानीय स्तर पर मुनादी, पाम्पलेट आदि माध्यमों का उपयोग किया जावे।

15.2 योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम, सेक्टर, परियोजना व जिला स्तर से केन्द्र स्तर तक सतत बैठके आयोजित की जावे।

15.3 इस योजना की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत राज-संस्थाओं एवं नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से दी जावे तथा योजना को जनसमुदाय तक पहुंचाने हेतु उनका व्यापक सहयोग प्राप्त किया जावे।

16. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का पालन :- मुख्यमंत्री अमृत योजना अन्तर्गत दूध के प्रदाय की सम्पूर्ण प्रक्रिया में संबंधित प्रदाय एजेंसी द्वारा एवं जिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे।

17. योजना की राशि के नियमानुसार उपयोग से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को अनिवार्यतः प्रेषित किया जावे।

18. राज्य स्तरीय समीक्षा समिति:-

राज्य स्तर पर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संचालक, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जावेगी। इस समिति में प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध वितरण महासंघ मर्यादित, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, एक अशासकीय

संस्था जैसे-यूनिसैफ आदि के प्रतिनिधि एक पोषण आहार विशेषज्ञ (Dietician) खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड के प्रतिनिधि तथा संबंधित शाखा के संयुक्त संचालक सदस्य होंगे। यह समिति प्रत्येक त्रैमास में इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर यथोचित निर्देश जारी किया जावेगा।

19. **जिला स्तरीय समीक्षा समिति :-**

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह योजना संचालित की जावेगी। इस योजना के संचालन के संबंध में समस्त आधारभूत व्यवस्थाएं जैसे-दूध के पैकेट के सुरक्षित भंडारण, परिवहन एवं उपयोग के संबंध में समस्त अनुषांगिक व्यवस्थाएं जिला स्तर से किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिला स्तर पर इस योजना के संचालन की समीक्षा करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समिति का गठन किया जावेगा। यह समिति प्रत्येक दूसरे माह में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही करेगी। अतएव जिला कलेक्टर इस योजना की निरंतर निगरानी एवं समीक्षा करते हुए इस योजना के संचालन में आने वाली कठिनाईयों को त्वरित रूप से निराकृत करे।

मुख्यमंत्री अमृत योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपरोक्तानुसार तत्काल समस्त आवश्यक कार्यवाहियां करने का कष्ट करे। यह योजना माह मई 2016 से प्रभावशील होगी।

(सोममणि बोरा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


महिला बाल विकास विभाग

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

पृ. क्रमांक एफ 3-76/2015/मबावि/50  
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, श्री ..... प्रभारी मंत्री जिला ..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव/संयुक्त सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव, छ.ग. शासन, ..... विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अध्यक्ष, जिला पंचायत जिला ..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
8. महापौर/अध्यक्ष, नगर निगम/नगर पालिका ..... जिला ..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
9. श्री ..... प्रभारी सचिव, जिला ..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
10. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
11. सभागीय आयुक्त रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
12. संचालक, महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13. सचालक, जनसंपर्क रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एव स्थानीय सम्पत्तार पत्रिका प्रकाशनार्थ।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पदाधिकारी, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सचिव राज्य बाल संरक्षण अगण, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
17. निदेशक अधिकारी, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय खाद्य एवं पोषाहार दांडे रायपुर की ओर सूचनार्थ।
18. सचालक, राज्य स्तरीय ससाधन केंद्र रायपुर की ओर सूचनार्थ।
19. उप सचालक, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
20. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, जिला - ..... छ.ग. की ओर सूचनार्थ।



सचिव,  
छ.ग. शासन,  
महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रपत्र "स"

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

दस्तावेज क्र. 0771-2510839, फ़ैवस - 0771-2510839, ई-मेल - jery\_wcd\_cg@nic.in

क्रमांक एफ 3-76/2015/मबावि/50  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

1. कलेक्टर,  
जिला-रामस्त, छ.ग.
  2. जिला कार्यक्रम अधिकारी/  
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला-रामस्त, छ.ग.
- विषय :- आंगनबाड़ी केन्द्र के 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का सप्ताह में 1 दिन मीठा सुगंधित दूध उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अमृत योजना के क्रियान्वयन विषयक ।
- संदर्भ :- सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-76/2015/मबावि/50 नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल, 2016 ।

—00—


विषयांतर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । पत्रानुसार आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत सप्ताह में 1 दिवस मीठा सुगंधित दूध (100 मिली ग्राम प्रति बच्चा) उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं । योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति के गठन एवं सतत समीक्षा का निर्देश दिया गया था । प्रदत्त निर्देश के अनुक्रम में जिला स्तरीय समिति के गठन उपरांत बैठक का आयोजन न किया गया हो तो उसे तत्काल आयोजित करते हुए समिति गठन का आदेश एवं कार्यवाही दिवसन महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल प्रेषित करें । इसके अतिरिक्त समय-समय पर आयोजित विभिन्न बैठकों एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी मुख्यमंत्री अमृत योजना के क्रियान्वयन एवं दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

2. संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुक्रम में विचारोपरांत निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं :-

- (i) मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में प्रतिदिन एक सोमवार 100 मिली ली. मीठे सुगंधित दूध का प्रदाय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा समक्ष में किया जावे । बच्चों को दूध देने के पूर्व विश्वास बढ़ाने के तौर पर **(As a Confidence Building Measure)** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दूध की गुणवत्ता एवं स्वाद को स्वयं चखकर देखें । सही पाये जाने पर ही उसका वितरण बच्चों को किया जावे ।
- (ii) दूध का पैकेट खोलने के बाद यदि दूध बचता है तो उस बचे हुए दूध को तुरंत अन्य बच्चों में आवश्यकता/क्षमता के अनुसार अनिवार्यतः वितरित कर दिया जावे । यहाँ इस बात का विशेष-ध्यान रखा जावे कि बच्चों को उनकी क्षमता एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही अतिरिक्त दूध दिया जावे । उदाहरणार्थ यदि माह के प्रथम सोमवार को किसी आंगनबाड़ी केन्द्र में 27 बच्चे (3 से 6 वर्ष) उपस्थित हैं तो दूध के 3 पैकेट खोले जावें । 27 बच्चों को 100 मिली प्रति बच्चे के मान से 2700 मिली दूध का वितरण करने के उपरांत शेष बचे 300 मिली दूध को उपस्थित बच्चों को मांग/आवश्यकता अनुसार वितरित कर दिया जावे ।

(10) जिला कल्याणकार एवं राज्य अधिकारी निर्देशों के अंगनवाड़ी कर्मों व स्वयंसेवक अंगनवाड़ियों के पर्यवेक्षण एवं अनुभवों के दौरान बच्चों के कल्याण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, नितागतिका खातिर योजना के संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त करे, जिला कल्याणकार एवं अन्य अधिकारी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदाय किये जा रहे गैर सुगठित दल का साथ संवेन करके दूध की गुणवत्ता एवं रखाव भी पत्रों में ।

3 उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावे ।

  
(सोनेप्रणि बोरा)  
सचिव

छ.ग. शासन


महिला एवं बाल विकास विभाग

नया रायपुर, दिनांक १५ जून, 2016

सू. क्रमांक एफ 3-76/2015/मवावि/50

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन.....  
विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. सभागीय आयुक्त रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि योजना की समीक्षा एवं आवश्यक निगरानी हेतु अपने स्तर से भी समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
6. संचालक, महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
8. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना .....  
जिला - .....छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निर्दिष्ट किया जाता है कि मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत उपरोक्त निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित किया जावे ।

  
सचिव

छ.ग. शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

## परिशिष्ट "बारह"

[ तारकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 125) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 (मई 2016) तक की अवधि में बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत स्वीकृत गौण खनिज खदानों से प्राप्त रायल्टी राशि की मामूली विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	प्राप्त रायल्टी राशि (रूपये में)
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 2015-16			
01	तिल्दा	निरंक	निरंक
02	बलौदाबाजार	मुढीपार	10986363
		केशडबरी	1360000
		ढाबाडीह	840000
03	सिमगा	रानीजरौद	20916020
		आमाकोनी	16370671
		बुड़गहन	440000
		खैरवारी	4430000
		सुहेला	1360000
		शिकारीकेसली	500000
		फरहदा	860000
	टेकारी	160000	
वित्तीय वर्ष 2016-17 (मई 2016 तक)			
01	तिल्दा	निरंक	निरंक
02	बलौदाबाजार	मुढीपार	2240000
		केशडबरी	400000
		ढाबाडीह	160000
03	सिमगा	रानीजरौद	5020000
		आमाकोनी	1920000
		बुड़गहन	80000
		खैरवारी	160000

## परिशिष्ट "तेरह"

[ तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 323) की जानकारी ]

मुख्यमंत्री अमृत योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में दिनांक 15.06.2016 तक दूध वितरित किए गए आगनबाड़ी केन्द्रों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	दिनांक 15.06.2016 तक दूध वितरित किए गए आगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	दिनांक 15.06.2016 तक प्रदाय किये गये दूध की कुल लागत राशि (रूपये में)	रिमांक
1	2	3	4	5	6
	बस्तर	बस्तर	202	127050	
		बकावण्ड	260	168525	
		जगदलपुर	71	26775	
	कोण्डागाँव	कोण्डागाँव	782	234675	
		माकड़ी	261	107625	
		फरसगाँव	121	34125	
3	बीजापुर	बीजापुर	191	97650	
		भोपालपटनम	181	43050	
		भैरमगढ़	248	133875	
		उसूर	241	90825	
4	बिलासपुर	बिल्हा	798	353850	
		तखतपुर	191	102375	
		गौरेला	338	115500	
		मरवाही	312	53550	
		चेण्ड्रा	189	68250	
5	मुगेली	पथरिया	304	193673	
6	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	303	83475	
		गीदम	279	80850	
		कटेकल्याण	196	51975	
		कुआकोण्डा	268	63525	
7	सुकमा	सुकमा	211	107625	
		छिन्दगढ़	304	153825	
		कोटा	376	224175	
8	धमतरी	धमतरी	287	239400	
		कुरुद	269	79275	
		मगरलोड	177	187950	
		नगरी	317	102900	
9	दुर्ग	धमधा	339	116077.50	
		पाटन	184	41737.50	
		दुर्ग	691	344767.50	
10	बेमेतरा	बेरला	200	178500	
		बेमेतरा	299	214725	
		साजा	187	153825	

1	2	3	4	5	6
		भामगढ	193	7220	
		बलौदा	184	6735	
		चुकर	115	4235	
		जयसीलाहा	185	6735	
		दौंडी	43	1555	
	होल्दी	जौजैपुर	227	8060	
		मालखरीदा	209	7350	
		बलौदा	213	72918	
		अकलतरा	242	8875	
		पामगढ	255	91840	
		नवागढ	379	128783	
	खण्डपुर	फरसावा	652	202750	
		फरसावा	344	11400	
		फरसावा	645	110250	
	काकोर	काकोर	268	59325	
		वासना	206	53550	
		नरहरपुर	286	64050	
15	काकोर	काकोर	538	280560	
16	होरिया	वैकुण्ठपुर	470	177975	
		खडगवा	412	183225	
17	कबीरधाम	स लोहारा	245	24150	
		पंडरिया	504	215250	
		दोडला	483	174720	
		कवर्धा	383	158550	
18	महासमुंद	महासमुंद	386	277725	
		बागबाहरा	346	168000	
		पिथौरा	341	204750	
		बसना	290	152775	
		सरायपाली	320	155400	
19	नारायणपुर	नारायणपुर	368	99120	
		ओरछा	181	43575	
20	रायगढ	रायगढ	402	135293	
		सारगढ	381	183645	
21	रायपुर	धरसीवा	820	224700	
		तिल्दा	245	23048	
		आरंग	411	131460	
22	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	362	235200	
		भाटापारा	255	129675	
		सिमगा	240	144795	
		कसडोल	177	147525	

1	2	3	4	5	6
		विनाहमड	145	48775	
		किराहवा	309	103425	
		छुसा	318	145425	
		नरवाहड	200	120750	
		अ. चौकी	290	81375	
		राजनांदगाव	492	210000	
		मोसवा	348	171675	
		शानरगाव	240	99750	
		हामनाहड	329	175875	
	सुरवा	-			जिले में दिनांक 15.06 2016 तक किसी भी आवा केन्द्र में दूध वितरित नहीं किया गया है
26	बनवाहड	कुसुमी	254	126000	
		सुरवाहड	333	124425	
27	सुरवाहड	प्रेमनागर	163	84525	
		रामानुजनगर	275	126000	
		योग	26477	10794475.00	

## परिशिष्ट "चौदह"

[ तार्काकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 210) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

कृषकों के सिंचन एवं ए.पी.एल एवं बी.पी.एल परिवारों के घरेलू कनेक्शन के लिए अप्रैल 2016 से लागू बिजली दर की जानकारी

क्र.	परिवार का नाम	कनेक्शन जांच के मापदण्ड	दर भुगतान का विवरण
1	राजीव गांधी ग्रामीण बिजलीकरण योजना / ग्रामीण बिजलीकरण योजना के अंतर्गत ग्राम बिजलीकरण में बी.पी.एल परिवारों को कनेक्शन प्रदान करने बाबत	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान निम्नदाब लाइन से 30 मीटर तक स्थित बी.पी.एल आवास	निःशुल्क
2	मुख्यमंत्री मजदूरों के अंतर्गत बी.पी.एल कनेक्शन प्रदान करने बाबत	ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान निम्नदाब लाइन से 30 मीटर तक स्थित बी.पी.एल आवास	निःशुल्क
3	मुख्यमंत्री शहरी विद्युत योजना के अंतर्गत बी.पी.एल कनेक्शन प्रदान करने बाबत	नगर निगम क्षेत्रों में विद्यमान निम्नदाब लाइन से 30 मीटर तक स्थित बी.पी.एल आवास	निःशुल्क
4	ए.पी.एल घरलू कनेक्शन हेतु	विद्यमान निम्नदाब लाइन से 30 मीटर तक के भीतर आवास होने पर	सिंगल फेस हेतु सर्विस कनेक्शन चार्ज 175 रुपये सुरक्षा निधि 700 रुपये प्रति किलोवाट, 51 रुपये स्टाम्प शुल्क थ्री फेस हेतु सर्विस कनेक्शन चार्ज 575 रुपये सुरक्षा निधि 700 रुपये प्रति किलोवाट, 51 रुपये स्टाम्प शुल्क
5	कृषि पंप हेतु 05 एच.पी. तक	1. विद्यमान निम्नदाब लाइन से 30 मीटर की दूरी पर 2. लाइन विस्तार की आवश्यक होने पर रुपये 75 हजार तक का व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य के अनुदान से 3. संबंधित संभाग में लाइन विस्तार के मद में बचत होने पर रुपये 1 लाख 20 हजार व्यय पर लाइन विस्तार का कार्य अनुदान मद से स्वीकृत 4. लाइन विस्तार हेतु रुपये 75 हजार अथवा रुपये 1 लाख 20 हजार से अधिक व्यय आवश्यक होने पर आधिक्य की राशि का भुगतान उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान।	1. सर्विस कनेक्शन चार्ज सिंगल फेस हेतु 175 रुपये सुरक्षा निधि 150 रुपये प्रति एच.पी. 51 रुपये स्टाम्प शुल्क 2. सर्विस कनेक्शन चार्ज थ्री फेस हेतु 875 रुपये सुरक्षा निधि 150 रुपये प्रति एच.पी. 51 रुपये स्टाम्प शुल्क 3. रुपये 75000/- तक के प्राक्कलित राशि पर क्रमांक 01 अथवा 02 जो भी लागू हो 4. रुपये 75000/- से अधिक के प्राक्कलन पर संभाग स्तर पर प्राक्कलन स्वीकृति के समय बचत राशि होने पर रुपये 1,20,000/- क्रमांक 01 अथवा 02 के अनुसार। रुपये 1,20,000/- से अधिक की शेष राशि आवेदक के द्वारा जमा किये जाने पर।

## प्रपत्र "ब"

कृषकों के सिंचाई पम्प एवं ए.पी.एल. तथा वी.पी.एल. परिवारों के घरेलू कनेक्शन के लिए  
1 अप्रैल 2016 से लागू बिजली दर की जानकारी

क्र.	उपभागा श्रेणी	यूनिट स्लेब	स्थायी प्रभार (रुपये प्रति यूनिट)	उर्जा प्रभार	न्यूनतम स्थायी प्रभार
				(रुपये प्रति यूनिट)	
1.	घरेलू (ए.पी.एल. तथा वी.पी.एल.)	0-40 यूनिट	2.35	1.25	सिंगल फेज - रु0 40 प्रतिमाह
		41-200 यूनिट	2.40	1.30	
		201-600 यूनिट	3.20	2.00	थ्री फेज - रुपये 120 प्रतिमाह
		601 एवं इससे अधिक यूनिट पर	4.75	2.50	
2.	कृषि पम्प	-	रुपये 80 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह	4.10	-
3.	कृषि एलाइड 100 अश्वशक्ति या 75 किलोवाट		रुपये 130 प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अथवा रुपये 175 प्रति किलोवाट प्रति माह	5.10	
4.	कृषि एलाइड मांग आधारित टेरिफ 15 से 75 किलोवाट संविदा मांग के लिये		रुपये 250 प्रति किलोवाट प्रति माह	5.00	

## परिशिष्ट "पंद्रह"

[ तारीकत प्रश्न संख्या 24 (क्र. 97) के भाग (क) की जानकारी ]

बिलारापुर जिला अंतर्गत रेडी टू ईट प्रदाय हेतु अनुबधित किये गये महिला स्व सहायता समूहों की परियोजनावार, स्थानवार व आवृत्ति आगनवाडी केन्द्रों की संख्यावार जानकारी

क्र	बिलारापुर जिला अंतर्गत शासित गांव विकास परियोजना का नाम	परिशिष्ट अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय हेतु अनुबधित किये गए महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	समूह द्वारा रेडी टू ईट फूड निर्माण इकाई स्थापित किये गये स्थान का नाम	समूह को आवृत्ति आगनवाडी केन्द्रों की संख्या
1	2	4	5	6
1	बिलारापुर	मात्रा अम्बे स्व सहायता समूह विगराजपुरा	विगराजपुरा	28
2	बिलारापुर	दीक्षा स्व सहायता समूह विगराजपुरा	विगराजपुरा	21
3	बिलारापुर	मा काली स्व सहायता समूह नारक	नारक	31
4	बिलारापुर	विश्व जगनी स्व सहायता समूह विगराजपुरा	विगराजपुरा	22
5	बिलारापुर	उज्जमा स्व सहायता समूह कुदुदण्ड	कुदुदण्ड	32
6	बिलारापुर	साई स्व सहायता समूह कुदुदण्ड	कुदुदण्ड	28
7	बिलारापुर	अननी स्व सहायता समूह तातापारा	तातापारा	27
8	बिलारापुर	नील स्व सहायता समूह गणेश नगर	गणेशनगर	52
	<b>योग</b>	<b>8</b>		<b>268</b>
9	पेण्ड्रा	एकता स्व सहायता समूह - बचरकर	नवापारा (बचरकर)	27
10	पेण्ड्रा	सखी महिला स्व सहायता समूह - सागर	सागर (द्वारवा)	27
11	पेण्ड्रा	मा चन्द्रहारिणी महिला स्व सहायता समूह - सकोना	सकोना (कोटमी)	29
12	पेण्ड्रा	मा नर्मदा स्व सहायता समूह - गाजरा	गाजरा (बारीसभराव)	28
13	पेण्ड्रा	आरती स्व सहायता समूह - आगराटोना (आमरकण्ड)	आगराटोना (आमरकण्ड)	25
14	पेण्ड्रा	लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह - नुरमुर	नुरमुर (गणेशपुरा)	29
15	पेण्ड्रा	मा महामाया स्व सहायता समूह - झावर	झावर (नवागाव)	24
	<b>योग</b>	<b>7</b>		<b>189</b>
16	बिल्हा	सहेली महिला स्व सहायता समूह, बिल्हा	बिल्हा	23
17	बिल्हा	कल्याणी स्व सहायता समूह, गोडी	गोडी	26
18	बिल्हा	पूर्णिमा स्व सहायता समूह, निफरा	निफरा	26
19	बिल्हा	लक्ष्मी स्व सहायता समूह, बोदरी	बोदरी	25
20	बिल्हा	मा सरस्वती स्व सहायता समूह, मंगला पा	मंगला पा	27
21	बिल्हा	जय मा गायत्री स्व सहायता समूह, वरतारी	वरतारी	26
22	बिल्हा	विश्या मा स्व सहायता समूह, कडार	कडार	25
23	बिल्हा	कृष्णा स्व सहायता समूह, बोदरी	बोदरी	25
24	बिल्हा	महारानी लक्ष्मीबाई स्व सहायता समूह, देवरीखुर्द	देवरीखुर्द	27
	<b>योग</b>	<b>9</b>		<b>260</b>

क्र.	बिलासपुर जिला अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परिष्कार अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय हेतु अनुबंधित किए गए महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	समूह द्वारा रेडी टू ईट फूड निर्माण इकाई स्थापित किये गये स्थान का नाम	समूह को आवंटित जमानचाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	4	5	6
25	तखतपुर	मा भुवनेश्वरी म स्व सहा समूह तखतपुर	तखतपुर	23
26	तखतपुर	श्री गैरी म स्व सहा समूह जोगीदा	जोगीदा	23
27	तखतपुर	इंदिरा गांधी म स्व सहा समूह खटाव	खटाव	27
28	तखतपुर	जगदी म स्व सहा समूह पातो	पातो	28
29	तखतपुर	मा भगमेश्वरी म स्व सहा समूह खपरी	खपरी	24
30	तखतपुर	हेमा महिला स्व सहा समूह टनढन	टनढन	25
31	तखतपुर	कामाक्षा महिला स्व सहा समूह मोह	मोह	25
	<b>योग</b>	<b>7</b>		<b>179</b>
32	कोटा	शुभांगु महिला स्व सहा स कोटा	वाड 5 नदीडा	27
33	कोटा	शिव स्व सहा स जोगीपुर	जोगीपुर	27
34	कोटा	मा नारायणी स्व सहा स पट्टा	पट्टा	29
35	कोटा	जय भा दर्गा स्व सहा स ईनेलीपारा करगीकला	ईनेलीपारा गुभा	33
36	कोटा	मा महामाया स्व सहा स जितिया	जितिया	24
37	कोटा	महामाया लक्ष्मी स्व सहा स कारीडीह	कारीडोह	24
38	कोटा	महामाया दुर्गा स्व सहा स नपारा	नपारा	29
39	कोटा	दुर्देश्वरनाथ महिला स्व सहायता समूह रतनपुर	वाड 9 रतनपुर	28
40	कोटा	लक्ष्मी स्व सहा स बेलगहना	बेलगहना	26
41	कोटा	महामाया भारतमाला स्व सहा स बिटकुली	बिटकुली	28
42	कोटा	सरस्वती महिला स्व सहायता समूह नगोई	नगोई	23
43	कोटा	महानाया दुर्गेश्वरी स्व सहायता समूह बानाबेल	बानाबेल	21
44	कोटा	गातेश्वरी स्व सहायता समूह जाली	जाली	20
	<b>योग</b>	<b>13</b>		<b>339</b>
45	मस्तूरी	आदर्श बहुउद्देशीय स्व सहा स वेदपरसदा	वेदपरसदा	23
46	मस्तूरी	सखी गुरुघायीदास स्व सहा स मुडपार	मुडपार	25
47	मस्तूरी	सखी मिनी माता महिला स्व सहा स टिकारी	टिकारी	25
48	मस्तूरी	अम्ये महिला स्व सहा स केवतरा	केवतरा	29
49	मस्तूरी	कर्मा महिला स्व सहा स ओखर	ओखर	27
50	मस्तूरी	लक्ष्मी महिला स्व सहा स भटचौरा	भटचौरा	26
51	मस्तूरी	सोनू महिला स्व सहा स विनौरी	बिनौरी	28
52	मस्तूरी	शीतला माता महिला स्व सहा स जोधरा	जोधरा	29
53	मस्तूरी	त्रिशला महिला स्व सहा स कोहरौदा	कोहरौदा	28
54	मस्तूरी	मा भवानी स्व सहायता समूह दर्सीघाट	दर्सीघाट	28
	<b>योग</b>	<b>10</b>		<b>268</b>

क्र.	बिलासपुर जिला अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट फूड प्रदाय हेतु अनुबंधित किए गए महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	समूह द्वारा रेडी टू ईट फूड निमाण इकाई स्थापित किये गये स्थान का नाम	समूह को आवंटित अभियानात्मक केन्द्रों की संख्या
1	2	4	5	6
55	गौरेला	नर्मदा स्व सहायता समूह लालपुर	लालपुर	25
56	गौरेला	शांति स्व सहायता समूह, धनांली	धनांली	33
57	गौरेला	नर्मदा महिला स्व सहायता समूह सेमरा	सेमरा	33
58	गौरेला	साई स्व सहायता समूह गौरेला	गौरेला	24
59	गौरेला	नवदीप स्व सहायता समूह गोरखपुर	गोरखपुर	25
60	गौरेला	प्रज्ञा स्व सहायता समूह देवरगांव	देवरगांव	16
61	गौरेला	जय भारत माता स्व सहायता समूह हराडीह	हराडीह	34
62	गौरेला	मां दुर्गा स्व सहायता समूह पीपरखुटी	पीपरखुटी	30
63	गौरेला	महिला स्व सहायता समूह माझापाश बेलपत	बेलपत	44
64	गौरेला	गीताजली स्व. सहायता समूह, सेमरा	सेमरा	17
65	गौरेला	नर्मदा महिला स्व सहायता समूह, पूटा	पूटा	34
66	गौरेला	ओम स्व. सहायता समूह, कुरीपारा	कुरीपारा	23
	<b>योग</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>338</b>
67	सीपत	सखी जय मां सुमिरन स्व सहा समूह हरदाडीह	हरदाडीह	25
68	सीपत	गायत्री महिला स्व सहायता समूह कर्रा	कर्रा	25
69	सीपत	महिला स्व सहायता समूह बधवापारा, कौड़िया	कौड़िया	22
70	सीपत	रीज महिला स्व सहायता समूह दर्राभाठा	दर्राभाठा	26
71	सीपत	साई बाबा स्व सहायता समूह खम्हरिया	खम्हरिया	26
72	सीपत	जय मां संतोषी स्व सहायता समूह कुली	कुली	25
	<b>योग</b>	<b>6</b>		<b>149</b>
73	सरकंडा	गमुना स्व सहायता समूह लिंगियाडीह	लिंगियाडीह	24
74	सरकंडा	कालिका महिला स्व सहायता समूह पौसरा	पौसरा	28
75	सरकंडा	जय अंबे महिला बहु सहकारी समिति टेकर	टेकर	26
76	सरकंडा	श्रद्धा भक्ति स्व सहायता समूह मंगला बिलासपुर	मंगला बिलासपुर	29
77	सरकंडा	महिला जागृति स्व सहायता समूह बेलतरा	बेलतरा	20
78	सरकंडा	श्री शांति महिला स्व सहायता समूह मटियारी	मटियारी	23
79	सरकंडा	भगवती स्व सहायता समूह महमंद	महमंद	26
80	सरकंडा	मां सिद्धेश्वरी स्व सहायता समूह उच्चभट्टी	उच्चभट्टी	18
81	सरकंडा	स्वरूपा स्व सहायता समूह मदनपुर	मदनपुर	27
82	सरकंडा	गौरी महिला स्व सहायता समूह नगोई	नगोई	23
83	सरकंडा	ज्योति महिला स्व सहायता समूह सेंदरी	सेंदरी	20

क्र.	विलासपुर जिला अंतर्गत शामिल वाल विकास परियोजना का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू इट फुड प्रदाय हेतु अनुबंधित किए गए महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता	समूह द्वारा रेडी टू इट फुड निर्माण हेतु स्थापित किये गए केंद्रों का नाम	समूह को आवंटित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या
1	2	4	5	6
	<b>योग</b>	<b>11</b>		<b>170</b>
84	सकरी	जय श्वेताम्बरी स्व. सहा समूह लाखणडी		16
85	सकरी	जय कंरला देवी स्व सहायता समूह कारभठडीकला		23
86	सकरी	सत्या महिला स्व सहा समूह नयरा		24
87	सकरी	मां महामाया ज्योति स्व सहा समूह धुम	अमेरी	24
88	सकरी	मिनीमाता स्व सहा समूह खजुरी नवागाव	काठाकोनी	23
89	सकरी	प्रज्ञा स्व सहा समूह सकरी	अमरा	23
90	सकरी	चौबे महिला स्व सहा समूह सकरी		
91	सकरी	राधे-राधे स्व सहायता समूह देवरी कला	देवरी कला	22
	<b>योग</b>	<b>8</b>		<b>191</b>
92	मरवाही	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह परासी	परासी	30
93	मरवाही	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह चनाडोगरी	चनाडोगरी	29
94	मरवाही	राधिका महिला महामाया स्व सहायता समूह पीपरडोल	पीपरडोल	32
95	मरवाही	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह भरीडाड	भरीडाड	24
96	मरवाही	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह कोलबिरा	कोलबिरा	23
97	मरवाही	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह लरकेनी	लरकेनी	23
98	मरवाही	इंदिरा महिला स्व सहायता समूह मझगावा	मझगावा	25
99	मरवाही	शैलाम्बे महिला स्व-सहायता समूह कोटखरा	कोटाखरा	31
100	मरवाही	अर्चना महिला स्व सहायता समूह पण्डरी	पण्डरी	31
101	मरवाही	जय मां लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह दर मोहली	दरमोहली	29
102	मरवाही	भगवती महिला स्व सहायता समूह बेलझरिया	बेलझरिया	25
	<b>योग</b>	<b>11</b>		<b>312</b>
	<b>महयोग</b>	<b>102</b>		<b>2763</b>

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारंकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारंकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "मोलह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 26) के भाग (क) की जानकारी ]

गौण खनिज मद अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में व्यय राशि की जानकारी

1. विकासखण्ड-सारंगढ़  
वित्तीय वर्ष 2014-15

स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि(लाख में)
1	2
सी.सी.रोड निर्माण	89.979
पुल निर्माण	14.806
बोर खनन	12.293
अहाता निर्माण	2.650
सामुदायिक भवन	4.300
योग	124.029

वित्तीय वर्ष 2015-16

स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि(लाख में)
1	2
सी.सी.रोड निर्माण	28.926
बोर खनन	20.216
.तालाब, पचरी एवं पुलिया निर्माण	18.145
मुक्तिधाम निर्माण	2.00
योग	69.287

2. विकासखण्ड-बरमकेला  
वित्तीय वर्ष 2014-15

स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि(लाख में)
1	2
सी.सी.रोड निर्माण	2.27
बोर खनन	0.98
पाईप लाईन बिछाई	0.32
योग	3.57

वित्तीय वर्ष 2015-16

स्वीकृत कार्य का नाम	व्यय राशि(लाख में)
1	2
निरंक	

3. अन्य 07 विकासखण्ड क्रमशः पुसौर, खरसिया, रायगढ़, लैलूंगा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा एवं तमनार में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

## परिशिष्ट "सत्रह"

[ परिवर्तित अंतरांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 65) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

कोण्डागांव जिले में लोक सुराज अभियान, वर्ष 2016 में प्राप्त आवेदनों की जानकारी

क्र.	विधानसभाखण्ड का नाम	कुल प्राप्त आवेदन			निराकृत आवेदन			शेष आवेदन		
		शिकायत	मांग	योग	शिकायत	मांग	योग	शिकायत	मांग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोण्डागांव	7	89	96	4	22	26	3	67	70
2	माकड़ी	2	79	81	2	50	52	0	29	29
3	फरसगांव	1	48	49	0	25	25	1	23	24
4	केशकाल	11	282	293	5	176	181	6	106	112
5	बड़ेराजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग :-	21	498	519	11	273	284	10	225	235

## परिशिष्ट "अट्ठारह"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 179) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2014 से अब तक  
ग्राम/पारा/टोला/मुहल्ला विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत/पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की  
जानकारी

क्र.	ग्राम का नाम	पारा / टोला / मुहल्ला / बसाहटों के नाम	योजना का नाम	कार्यपूर्णता हेतु निर्धारित तिथि	कार्यपूर्णता की तिथि	कार्य की स्थिति
1	तारसगांव	शेषपारा	मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना	28.12.2015	01.10.2015	कार्य पूर्ण
2	गुमडी	आवासगांव		14.11.2015	20.10.2015	कार्य पूर्ण
3	हवरकोन्दल	खालेपारा		29.02.2016	28.02.2016	कार्य पूर्ण
4	डांगरगांव	भालू पारा		18.03.2016	15.03.2016	कार्य पूर्ण
5	तोड़हुर	शेषपारा		18.03.2016	22.02.2016	कार्य पूर्ण
6	कुरी	उईका पारा		29.06.2016	31.03.2016	कार्य पूर्ण
7	हाटकरा	नदिया पारा		09.09.2016		कार्य प्रगति पर
8	तेलम्मा	नया पारा		23.07.2016		कार्य प्रगति पर
9	कुल्हाड़कट्टा	पारधीपारा		-		निविदा कार्य प्रक्रियाधीन
10	खेड़ेगांव	जवाहर		-		
11	गुलालबोड़ी	तरिया पारा		-		
12	जलहुर	शेषपारा		-		
13	कुआंपानी	नया पारा		-		
14	भीरागांव	भीरागांव मालापारा मंडापारा पूड़डापारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	मार्च 2018		
15	अलवरकला	अलवरकला		मार्च 2018		
16	केवटी	मंडीपारा सडकपारा		मार्च 2018		
17	पारवी	शिकारीपारा		मार्च 2018		
18	हफरा	हफरा		मार्च 2018		
19	खडाका	खडाका		मार्च 2018		
20	नारायणपुर	बसंतनगर		मार्च 2018		
21	कन्हारगांव	कन्हारगांव		मार्च 2018		
22	घोडाबतर	घोडाबतर		मार्च 2018		
23	चोगेल	अवसपारा संजयपारा		मार्च 2018		
24	कराठी	कराठी रोडपारा		मार्च 2018		

कच्छे	छीदपारा		दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	मार्च 2018		निगदा कार्य प्रक्रियाधीन
	डवरीपारा	कच्छे				
26	टेकाधोरा	पटेलपारा		मार्च 2018		
		टेकाटोडा				
27	भानबेडा	अमापारा		मार्च 2018		
		आवासपारा				
		भानबेडा				
28	मुंगवाल	मुंगवाल		मार्च 2018		
29	भैंसकन्हार	भैंसकान्हा		मार्च 2018		
30	नरसिंगपुर	पटेलपारा		मार्च 2018		
31	बैजनपुरी	नेतामपारा		मार्च 2018		
32	डोंगरगाँव	आवासपारा -1		मार्च 2018		
		आवासपारा -2				
33	बारवी	बारवी		मार्च 2018		
		सडकपारा				
34	टेलम्मा	टेलम्मा		मार्च 2018		
35	बासकुहूद	बांसकुंड		मार्च 2018		
		नदिपारा				
36	बनोली	बनोली		मार्च 2018		
37	उपेर टोंका	बाजारपारा		मार्च 2018		
		उपेर टोंका				
38	तारान्दुल	घोटूलपारा		मार्च 2018		
39	कठोली	गुदरापारा		मार्च 2018		
		कठोली				
		मंघूरटोला				
40	सिलिबहार	नयापारा		मार्च 2018		
		सिलिबहार				
41	धनेली	धनेली		मार्च 2018		
		पटेलपारा				
		स्कूलपारा				
42	मचानदुर	रोडपारा-2		मार्च 2018		
43	भरीटोला	ईमलीपारा		मार्च 2018		
44	भीराउंद	मरारपारा		मार्च 2018		
45	कर्रजैसा	आवासपारा-2		मार्च 2018		
		भट्टीपारा-2				
46	अवारी	आवासपारा-1		मार्च 2018		
		आवासपारा-2				

	राज्यटोला	गाँवपारा	दी. नं. वॉल	मार्च 2018	
25	उकापी	स्कूलपारा	उपग्राम गाँव	मार्च 2018	
	गोरखगंडी	गौतलापारा	खोले गाँव	मार्च 2018	
	बाग बागरी	नयापारा		मार्च 2018	
	बधुपुरा	वीरपारा		मार्च 2018	
	पुस्तकवाड़ा	बधुपारा		मार्च 2018	
26	जखनवाडी	नयापारा		मार्च 2018	
	खारथा	भैजरीटोला		मार्च 2018	
27	कमलवाडी	हास्पिटलपारा		मार्च 2018	
28	बागपारा	पारसपारा		मार्च 2018	
	कोटोला	भुक्कृपारा		मार्च 2018	
29	बडेटोला	डूमरपारा		मार्च 2018	
30	तरसगांव	खासपारा		मार्च 2018	
		खासपारा-2			
		खासपारा-3			
		खासपारा-4			
		नयापारा-2			
		तरसगांव			
		इंदिराआवास			
		आवासपारा			
		बडेपारा			
		बडेपारा-2			
		बडेपारा-3			

परिशिष्ट "उन्नीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 216) की जानकारी ]

कबीरधाम जिले में निःशुल्क पुनर्वास योजना अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 03 मई 2016 तक दिव्यांगों के पुनर्वास की वर्षवार, योजनावार तथा विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	कवर्धा			बोड़ला			पण्डरिया			सहसपुर लोहारा		
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
वर्ष 2013-14													
1	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	0.21	0.21	0	2.10	2.10	0	0.42	0.42	0	0	0	0
2	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	1.99	1.99	0	0.53	0.53	0	0.69	0.69	0	1.40	1.40	0
3	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	0.96	0.96	0	0.60	0.60	0	0.35	0.35	0	0.75	0.75	0
4	सामर्थ्य विकास मेला/शिविर योजना	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छ.ग.निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की ऋण	0	0	0	3.65	3.65	0	5.28	5.28	0	2.70	2.70	0
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1.77	1.77	0	12.88	12.88	0	10.99	10.99	0	1.99	1.99	0
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	7.25	7.25	0	30.86	30.86	0	20.02	20.02	0	35.26	35.26	0
	योग	12.43	12.43	0	50.62	50.62	0	37.75	37.75	0	42.10	42.10	0

क्र.	योजना का नाम	कवर्धा			बोड़ला			पण्डरिया			सहसपुर लोहारा		
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>वर्ष 2014-15</b>													
1	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	1.26	1.26	0	0.21	0.21	0	0.84	0.84	0	1.05	1.05	0
2	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	2.08	2.08	0	0.75	0.75	0	1.39	1.39	0	0.47	0.47	0
3	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	0.92	0.92	0	0.65	0.65	0	0.34	0.34	0	0.76	0.76	0
4	सामर्थ्य विकास मेला/शिविर योजना	3.02	3.02	0	2.06	2.06	0	1.77	1.77	0	1.16	1.16	0
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	7.07	7.07	0	4.16	4.16	0	1.20	1.20	0	0.43	0.43	0
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	11.34	11.34	0	43.09	43.09	0	28.08	28.08	0	46.84	46.84	0
	<b>योग</b>	<b>25.69</b>	<b>25.69</b>	<b>0</b>	<b>50.92</b>	<b>50.92</b>	<b>0</b>	<b>33.62</b>	<b>33.62</b>	<b>0</b>	<b>50.71</b>	<b>50.71</b>	<b>0</b>
<b>वर्ष 2015-16</b>													
1	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	0.21	0.21	0	1.89	1.89	0	0	0	0	0	0	0
2	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	2.25	2.25	0	0.59	0.59	0	1.83	1.83	0	2.19	2.19	0
3	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	0.93	0.93	0	0.43	0.43	0	0.28	0.28	0	0.69	0.69	0
4	सामर्थ्य विकास मेला/शिविर योजना	0.29	0.29	0	0.58	0.58	0	0.29	0.29	0	0.34	0.34	0
5	छ.ग. निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम की ऋण	0	0	0	0	0	0	5.40	5.40	0	2.70	2.70	0

क्र.	योजना का नाम	कवर्धा			बोड़ला			पण्डरिया			सहसपुर लोहारा		
		प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	7.99	7.99	0	3.95	3.95	0	1.92	1.92	0	0.96	0.96	0
7	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	7.39	7.39	0	51.03	51.03	0	35.58	35.58	0	54.73	54.73	0
	<b>योग</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>	<b>0</b>	<b>58.47</b>	<b>58.47</b>	<b>0</b>	<b>45.30</b>	<b>45.30</b>	<b>0</b>	<b>61.61</b>	<b>61.61</b>	<b>0</b>
<b>वर्ष 2016-17 (03 मई 2016 तक)</b>													
1	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	0.04	0.04	0	0.02	0.02	0	0	0	0	0.31	0.31	0
2	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	0	0	0	0	0	0	0.06	0.06	0	0	0	0
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1.71	1.71	0	1.02	1.02	0	0.33	0.33	0	0.12	0.12	0
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	0.16	0.16	0	9.49	9.49	0	6.82	6.82	0	7.91	7.91	0
	<b>योग</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	<b>0</b>	<b>10.53</b>	<b>10.53</b>	<b>0</b>	<b>7.21</b>	<b>7.21</b>	<b>0</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>	<b>0</b>
	<b>महायोग</b>	<b>59.09</b>	<b>59.09</b>	<b>0</b>	<b>170.54</b>	<b>170.54</b>	<b>0</b>	<b>123.88</b>	<b>123.88</b>	<b>0</b>	<b>162.76</b>	<b>162.76</b>	<b>0</b>

टीप :- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विकासखण्डों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राशि जारी किया जायेगा।



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

K 14365

यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध प्रदाय हेतु

अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक 04/07/16 को संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग, संचालनालय इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0) जिन्हें इसके पश्चात प्रथम पक्ष कहा जायेगा

एवं

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, उरला पो.आ.बी.एम.वाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) जिन्हें इसके पश्चात द्वितीय पक्ष कहा जायेगा, के मध्य पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 03 से 06 वर्ष आयु समूह के बच्चों को राज्य शासन द्वारा मुख्य मंत्री अमृत योजना अंतर्गत सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक सोमवार) 100 एम. एल. यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध का सुचारु रूप से प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु निष्पादन निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेखित शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादन तिथि से 01 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसका पालन उभयपक्षों के लिये बंधनकारी होगा -

यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध का प्रदाय आगनवाड़ी केंद्र में भ्रम वाले 3 से 6 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को प्रत्येक सोमवार को निर्धारित मात्रा में आगनवाड़ी केंद्र में आगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा किया जावेगा। यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध का प्रदाय, द्वितीय पक्षकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय तक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से पहुंचाकर किया जावेगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय से आगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आगनवाड़ी केंद्र की आवश्यकतानुसार यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध का सुरक्षित रूप से आगनवाड़ी केंद्र तक उठाव किया जावेगा। इस हेतु परिवहन व्यय की राशि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन की जावेगी।

2. आगनवाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रतिमाह हेतु दूध की आवश्यकता का आकलन कर मांग पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा समस्त बाल विकास परियोजनाओं से प्राप्त मांग पत्र का परीक्षण कर जिला कलेक्टर के अनुमोदन से प्रदाय आदेश, द्वितीय पक्षकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को दिया जावेगा। प्रदाय आदेश की एक प्रति संचालनालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आगामी माह के लिये प्रदाय आदेश प्रदाय एजेंसी द्वितीय पक्ष को अनिवार्य रूप से दिया जावेगा।
- (3) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के द्वारा प्रदाय आदेश प्राप्त होने के 15 से 20 दिवस की अवधि में संबंधित बाल विकास परियोजना मुख्यालय तक सुरक्षित रूप से पहुंचाकर अनिवार्यतः दूध का प्रदाय किया जावेगा। द्वितीय पक्ष को प्रदायित दूध की निरंतरता बनाये रखने हेतु समस्त तैयारियाँ पूर्व से की जानी होंगी व सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना स्तर पर दूध का पर्याप्त भण्डारण उपलब्ध रहे। बाल विकास परियोजना स्तर पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदाय आदेश अनुसार दूध की निर्धारित मात्रा प्राप्त की जावेगी। दूध के पैकेट पर निर्माण की तिथि एवं उपयोग करने हेतु अंतिम तिथि (पैकिंग तिथि से 90 दिन) का परीक्षण करने के पश्चात ही पैकेट प्राप्त किये जाकर तदनुसार पावती प्रदान की जावेगी।
- (4) वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार प्रथम पक्षकार की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा द्वितीय पक्षकार प्रदाय एजेंसी को 2 माह के दूध के मूल्य की राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की जा सकेगी जिसका वित्तीय वर्ष के अंत में नियमानुसार समायोजन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य

सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को नियमानुसार देयकों का भुगतान किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में देयकों का भुगतान न होने की स्थिति में भी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के द्वारा दूध का निरंतर प्रदाय जारी रखा जावेगा।

- (5) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के द्वारा यू.एच.टी (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध का प्रदाय, शासन के भण्डार क्रय नियमों एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुये किया जावेगा।
- (6) मुख्यमंत्री अमृत योजनान्तर्गत दूध के प्रदाय की संपूर्ण प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के प्रावधानों तथा FSSAI के मापदण्डों एवं Guidelines का प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी।
- (7) योजनान्तर्गत बच्चों को वितरित किये जाने वाले 100 एम.एल दूध का मूल्य समस्त कर एवं आगनवाड़ी केन्द्र तक परिवहन व्यय सहित राशि रूपये 5.25 (पाच रूपये पच्चीस पैसे मात्र) निर्धारित की गई है। इस दर पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के द्वारा दूध का प्रदाय किया जावेगा। इस राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
- (8) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के द्वारा प्रदाय किये जाने वाले 100 एम.एल. दूध में निम्न पोषक तत्व शामिल होंगे, जिनका उल्लेख योजनान्तर्गत प्रदाय किये जाने वाले दूध के पैकेट पर होगा :-

क्र.	पोषक तत्व	मात्रा
1	प्रोटीन	3 ग्राम
2	ऊर्जा (Energy)	97 किलो कैलोरी
3	टोटल फैट	3 प्रतिशत
4	एस.एन.एफ.	8.5 प्रतिशत
5	कार्बोहाइड्रेट	14 ग्राम
6	एडेड शुगर	10 ग्राम

- (9) मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत आगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किये जाने वाले यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध की संपूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा की अधिकृत प्रयोगशाला में यू.एच.टी.

(अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध के नमूनों का नियमानुसार परीक्षण कराया जावेगा। द्वितीय पक्षकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को देयकों के साथ प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (10) हितग्राहियों को प्रदाय किये जाने वाले 100 एम.एल. यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध में उपर्युक्तानुसार दर्शित मात्रा में पोषक तत्वों का होना अनिवार्य है। यदि प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध में निर्धारित मात्रा में दर्शित मात्रा से कम पोषक तत्व पाये जाते हैं, तो तदनुसार देयकों से अनुपातिक रूप से कटौती की जा सकेगी। द्वितीय पक्षकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण संबंधी शुल्क वहन किया जावेगा।
- (11) प्रदाय किये जाने वाले पैकेट्स की डिजाईन शासन द्वारा अनुमोदित डिजाईन के अनुरूप होनी चाहिए तथा हितग्राहियों को प्रदाय किये जाने वाले दूध के पैकेट्स एवं कार्टन पर दूध के फ्लेवर, बैच नंबर एवं निर्माण तिथि का अनिवार्य रूप से अंकन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।
- (12) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी आवश्यकतानुसार रण्डम आधार पर दूध के नमूने लिये जा सकेंगे एवं अधिकृत प्रयोगशालाओं से जांच कराई जा सकेगी।
- (13) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित डिजाईन में यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध का प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। दूध का प्रदाय द्वितीय पक्ष द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 एवं विनियम 2011 के प्रावधानों का पालन करते हुए हो एवं उक्त पैकिंग छ.ग. राज्य की परिस्थितियों (राज्य में ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान को ध्यान में रखते हुए) के अनुसार दूध 90 दिवस तक पूर्णतः सुरक्षित हो।
- (14) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा प्रति लीटर 2.00 रुपये की दर से बाल विकास परियोजना अधिकारी के खाते में जमा कर परिवहन राशि का भुगतान किया जावेगा। बाल विकास परियोजना के गोदाम से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र की आवश्यकतानुसार दूध प्राप्त किया जावेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परिवहन व्यय की राशि, संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के खाते में उसके द्वारा उठाव किये गये दूध की मात्रानुसार, प्रतिमाह अनिवार्य रूप से जमा की जावेगी। यदि यह राशि परिवहन हेतु पर्याप्त नहीं होगी


तो आतिरिक्त राशि का भुगतान द्वितीय पक्षकार को करना होगा या दूध का प्रत्येक प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र तक पहुँचाकर देना होगा अथवा समानुपातिक रूप से परिवहन की राशि में वृद्धि कर बाल विकास परियोजना अधिकारियों को सफलता कराना होगा ।

- (15) यू.एच.टी (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध की निरंतरता बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को निर्धारित समयावधि में दूध का प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा ।
- (16) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा यू.एच.टी (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध के आपूर्ति 1 लीटर पैक में आगामी 03 माह के लिए न जावेगी । आंगनवाड़ी केन्द्र न 3 से 6 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को सप्ताह में एक दिन (प्रति सोमवार) प्रदाय की जाने वाली दूध की मात्रा 100 एम.एल. है । छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा आगामी 3 माह के पश्चात् यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध की आपूर्ति 100 एम.एल. पैक में किया जाना अनिवार्य होगा । इस समय-सीमा में सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए वृद्धि/कमी का अधिकार राज्य शासन के पास होगा ।
- (17) दूध की गुणवत्ता इस योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी । दूध की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण यदि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति, संकट, अथवा स्थिति निर्मित होती है तो- इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध महासंघ की होगी । प्रत्येक स्तर जैसे-दूध का संग्रहण, पाश्चुराईजेशन, परिवहन, पैकिंग, भण्डारण आदि के दौरान दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दुग्ध महासंघ की होगी ।
- (18) दुग्ध महासंघ द्वारा प्रदाय किये गये दूध का पैकेट यदि खुला, फूला हुआ, खराब पाया जायेगा तो उसे दुग्ध महासंघ को वापस किया जायेगा तथा इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी दुग्ध महासंघ की होगी । इस हेतु कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- (19) योजना के जिला स्तरीय समन्वय हेतु प्रत्येक जिला हेतु दुग्ध महासंघ को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा । साथ ही इस संबंध में प्राप्त शिकायतों/सुझावों के निराकरण हेतु Dedicated Phone/Cell की स्थापना दुग्ध महासंघ द्वारा की जावेगी । प्राप्त शिकायतों/सुझावों की पंजी संधारित करते हुए उनका निराकरण 24 घण्टे में करने का प्रयास किया जावेगा । अधिक समय लगने की स्थिति में पर्याप्त कारण दर्शाते हुए निराकरण किया जायेगा ।
- (20) दूध के वितरण की प्रतिदिन रिपोर्टिंग करने हेतु संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावेगा । दुग्ध महासंघ द्वारा


जिलेवार दूध का परिवहन करने के पूर्व दूध की गुणवत्ता की प्रयोगधारा परीक्षण की जानकारी तथा किस-किस परियोजना में कितनी-कितनी मात्रा में दूध भेजा जा रहा है की जानकारी Whatsapp/e-mail के माध्यम से सचलनान्वय के माध्यम से अधिकारी को देनी होगी ।

- (21) यह अनुबंध वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए किया जा रहा है । मत्स्य दुग्ध महासंघ से मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत दूध का प्रदाय आगामी 03 वर्षों तक करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी जा रही है किन्तु दूध का प्रदाय करने हेतु इतिहास अनुभव पर नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकेगा ।
- (22) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदायित दूध का पैकेट खोलने के परधान 2 घंटे के भीतर दूध का उपयोग किया जाना है अन्यथा दूध खराब हो जाएगा ।
- (23) आगनवाडी केन्द्रों में प्रदायित यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध की गुणवत्ता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित पूर्णतः उत्तरदायी होगा । यदि बच्चों के स्वास्थ्य पर दूध के सेवन से किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का होगा ।
- (24) आगनवाडी केन्द्रों में मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत यू.एच.टी. (अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर) सुगंधित मीठा दूध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जावेगा । इस पर होने वाला व्यय द्वितीय पक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा वहन किया जावेगा ।
- (25) दूध का प्रदाय प्रारंभ करने के पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को संबंधितों को प्रथम पक्ष के समन्वय से अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण देना होगा ताकि योजना का प्रभावी व सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके ।
- (26) प्रदाय किये गये Pack Polythene को उपयोग उपरान्त वापस खरीदने की प्रक्रिया द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्ष की सहमति से अनुबंध के 03 माह के भीतर प्रारंभ करेगा । इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा । उपयोग किये गये Pheno Pack & Buy Back का कार्य बाह्य एजेंसी से Outsource भी किया जा सकेगा ।

- (27) आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रदायित दूध के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के सबध में समय-समय पर End-to-End Study & Evaluation किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था/विश्व विद्यालय से कराई जावेगी। पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष अर्थात् छत्तीसगढ़ राज. सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा वहन किया जावेगा।
- (28) योजना के प्रचार-प्रसार हेतु द्वितीय पक्ष Do's & Dont's के सबध में विज्ञान आदि प्रदेस के मीडिया में समय-समय पर प्रसारित करेगा। साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्रों में इस हेतु आवश्यक उपाय जैसे-पोस्टर्स, पम्पलेट आदि उपलब्ध करायेगा।
- (29) उभय पक्षों के बीच किसी मतभेद या विवाद की स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
- (30) भारत शासन एवं राज्य शासन के निर्देशों के प्रकाश में अनुबंध की शर्तों में उभय पक्षों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकेगा।
- (31) उभय पक्ष द्वारा 02 माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा।
- (32) अनुबंध के प्रावधानों के आधार पर यदि प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसे विवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, जो आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे, को अग्रेषित किये जायेंगे एवं उनके द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम होकर दोनों पक्षों पर बंधनकारी होगा।
- (33) यह कि आर्बीट्रेटर द्वारा लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में केवल रायुपर जिले के लिए अधिकृत न्यायालय ही न्याय क्षेत्र होगा।

  
प्रबंध संचालक

छ.ग. राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित


  
संचालक


महिला एवं बाल विकास

1


2


द्वितीय पक्ष की ओर से  
2 गवाह के हस्ताक्षर

(1) हस्ताक्षर गवाह   
 गवाह का नाम Rajesh Shiv Sharma  
 पद का नाम Dr. Manoj Mangru  
 पूरा पता Raipur Durgah Sahar

(2) हस्ताक्षर गवाह   
 गवाह का नाम Janki Devi  
 पद का नाम अधीनस्थ  
 पूरा पता रा. 101, दुर्ग मंडला

प्रथम पक्ष की ओर से  
2 गवाह के हस्ताक्षर

(1) हस्ताक्षर गवाह   
 गवाह का नाम Nand Lal  
 पद का नाम संयुक्त संचालक  
 पूरा पता संचालकालय महिला  
 एवं बाल विकास इ-रायी मण्डल  
 रायपुर

(2) हस्ताक्षर गवाह   
 गवाह का नाम Janki Devi  
 पद का नाम अधीनस्थ  
 पूरा पता संचालकालय महिला एवं  
 बाल विकास इ-रायी मण्डल, रायपुर  
 (3000)

## परिशिष्ट "इक्कीस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 09 (क्र. 241) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

राज्य सरकार विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अंतर्गत कार्य प्रगति वाले ग्रामों की योजनावार/विकासखण्डवार जानकारी

क्र.सं.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	कार्य प्रगति वाले ग्रामों का नाम
1	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	पुसांग
2	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	लोहण्डीगुड़ा	कापानार
3	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	लोहण्डीगुड़ा	कोरगली
4	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	लोहण्डीगुड़ा	लालागुड़ा
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	सांवगेल
6	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	लोहण्डीगुड़ा	तोयनार
7	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	मरडुम
8	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	बडेमोरठपाल
9	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
10	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
11	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
12	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
13	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
14	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
15	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
16	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
17	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
18	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
19	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
20	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
21	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
22	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
23	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
24	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
25	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
26	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
27	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार
28	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	बास्तानार	कुकानार

## परिशिष्ट "बाईस"

[ परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 306) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क्र.	वर्ष	विकासखंड का नाम					योग
		महासमुंद	बागबाहरा	पिथौरा	बसना	सरायपाली	
1	2012-13	792	449	3012	0	0	4253
2	2013-14	1868	137	7307	141	0	9453
3	2014-15	4671	3762	2021	5079	3505	19038
4	2015-16	301	363	1734	282	23	2703
योग		7632	4711	14074	5502	3528	35447

क्र.	योजना का नाम	सहायता राशि				योग
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना		1,27,54,070		27,35,088	1,54,89,158
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	निरंक	47,61,057	निरंक	0	47,61,057
3	मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना		0		15,12,334	15,12,334
4	मुख्यमंत्री कोटवार, सायकल एवं टार्च सहायता योजना		0		22,80,640	22,80,640
	<b>महायोग</b>	<b>0</b>	<b>1,75,15,127</b>	<b>0</b>	<b>65,28,060</b>	<b>2,40,43,189</b>

## परिशिष्ट "तेईस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 354) के भाग (ख) की जानकारी ]

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-16 से माह 15 जून 2016 तक विद्युत आपूर्ति बाधित होने व ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरण खराब होने संबंधित प्राप्त शिकायतें व उनके निराकरण का निवारण

क्र.	विवरण	विकासखण्ड		कुल	टीप
		बेमेतरा	बेरला		
1	ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरण खराब होने संबंधित प्राप्त शिकायतें	142	196	338	
2	खराब ट्रांसफार्मर एवं अन्य उपकरण बदल कर शिकायत के निराकरण की संख्या	142	196	338	
	(क) 07 दिवस के भीतर	135	196	331	
	(ख) 15 दिवस के भीतर	4	3	7	
	<b>कुल</b>	<b>139</b>	<b>199</b>	<b>338</b>	

## परिशिष्ट "चौबीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 411) के भाग (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

## विकासखण्ड संकती

क्र.	ट्रेड का नाम		प्रशिक्षण प्रारंभ दिनांक		प्रशिक्षण समाप्ति		स्थान		अवधि		व्ही.टी.पी. का नाम		प्रशिक्षण पर व्यय	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	टेलरिंग प्रशिक्षण	-	27/08/2014	-	10/2/2015	-	बोरईडीह	-	270	-	दिशा मल्ली कालाज वायाद्वार	-	202500	-
2	राजमिस्त्री	-	4/5/2015	-	28/09/2015	-	सक्ती	-	500	-	आई.टी.आई सक्ती	-	-	236500
3	-	राजमिस्त्री	-	21/01/2016	-	5/6/2016	-	झरना	-	500	-	छ न अभिनंदन एण्ड वेल्फेयर सांसायटी ताजगीर	-	264096
4	-	टेलरिंग प्रशिक्षण	-	15/02/2016	-	24/04/2016	-	सोती	-	270	-	विजय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र सोती	-	-
5	-	राजमिस्त्री	-	6/2/2016	-	11/6/2016	-	बोरईडीह	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	150000
6	-	राजमिस्त्री	-	10/2/2016	-	15/06/2016	-	बोरईडीह	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	150000
7	-	राजमिस्त्री	-	15/10/2015	-	20/02/2016	-	बोरईडीह	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	300000
8	-	राजमिस्त्री	-	11/11/2015	-	16/03/2016	-	बोरईडीह	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	300000
कुल योग :-												202500	1400596	

01. आई.टी.आई.सक्ती राजमिस्त्री प्रशिक्षण वर्ष 2014-15 में हुआ है प्रशिक्षण में व्यय राशि 236500 का भुगतान वर्ष 2015-16 में किया गया है

प्रपत्र "ब"  
विकासखण्ड बलौदा

क्र.	ट्रेड का नाम		प्रशिक्षण प्रारंभ		प्रशिक्षण समाप्ति		स्थान		अवधि		व्ही.टी.पी का नाम		प्रशिक्षण पर	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	राजमिस्त्री	-	15/09/2014	-	19/12/2014	-	जर्व	-	300	-	राजमिस्त्री संस्थान	-	135000	-
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	-	20/09/2014	-	20/10/2014	-	जर्व	-	120	-	कम्प्यूटर संस्थान	-	54000	-
	-	टेलरिंग प्रशिक्षण		17/10/2015		24/12/2015	-	जर्व	-	270	-	दिव्य महिला सेवा समिति सेमरिया	-	462000
	-	टेलरिंग प्रशिक्षण		18/09/2015		5/12/2015	-	पहरिया	-	270	-	श्री. अभिनंदन एण्ड "प्रकार सोसायटी" ब्राजगीर	-	143040
<b>कुल योग :-</b>												<b>189000</b>	<b>605040</b>	

प्रपत्र "स"  
विकासखण्ड बम्हनीडीह

क्र.	ट्रेड का नाम		प्रशिक्षण प्रारंभ		प्रशिक्षण समाप्ति		स्थान		अवधि		व्ही.टी.पी. का नाम		व्यय पर	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
1	राजमिस्त्री	-	15/09/2014	-	19/12/2014	-	बिरा	-	300	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	190000	-
	प्लंबर प्रशिक्षण	-	10/9/2014	-	25/11/2014	-	बिरा	-	300	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	270000	-
	इलेक्ट्रिशियन	-	20/09/2014	-	20/10/2014	-	तालदेवरी	-	120	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	360000	-
	राजमिस्त्री	-	20/03/2015	-	20/08/2015	-	सारागांव	-	500	-	आई टी.आई. सारागांव	-	211200	-
	-	राजमिस्त्री	-	31/08/2015	-	19/02/2016	-	सारागांव	-	500	-	आई टी आई सारागांव	-	-
	राजमिस्त्री	राजमिस्त्री	-	11/11/2015	-	16/03/2016	-	बिरा	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	300000
	राजमिस्त्री	राजमिस्त्री	-	10/2/2016	-	15/06/2016	-	बिरा	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	150000
	-	प्लंबर प्रशिक्षण	-	10/8/2015	-	14/12/2015	-	अमोदी	-	500	-	ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान	-	607500
	-	टेलरिंग प्रशिक्षण	-	21/03/2016	-	30/05/2016	-	चांपा	-	270	-	महेशराम फाल्गुदेवन चांपा	-	-
	-	राजमिस्त्री	-	11/1/2016	-	15/05/2016	-	पोडीशकर	-	500	-	छ ग अभिनंदन एण्ड गैलरी सोसायटी जाजगीर	-	-
	-	प्लंबर प्रशिक्षण	-	21/02/2016	-	8/7/2016	-	बम्हनीडीह	-	500	-	छ ग अभिनंदन एण्ड गैलरी सोसायटी जाजगीर	-	-
	-	टेलरिंग प्रशिक्षण	-	13/02/2016	-	20/04/2016	-	चांपा	-	270	-	एशाल स्कूल आय. इलिस लैंग्येज	-	145584
	-	इलेक्ट्रिकल	-	9/2/2016	-	11/7/2016	-	चांपा	-	600	-	एशाल स्कूल आय. इलिस लैंग्येज	-	-
	-	टेलरिंग प्रशिक्षण	-	12/4/2016	-	26/06/2016	-	चांपा	-	270	-	जयसोहिदास महिला कल्याण सेवा समिति	-	-
<b>कुल योग</b>													1203084	

## परिशिष्ट "पच्चीस"

[ परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 412) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

01 जनवरी, 2013 से 15 जून, 2016 तक सक्ती विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत नाम खनिज, उत्खनिपट्टा एवं उससे प्राप्त रायल्टी राशि की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर में)	रायल्टी राशि (रूपयों में)
1	2	3	4	5	6
1	सक्ती	नवागांव	चूनापत्थर	0.535	4045475
		सेन्दरी	चूनापत्थर	0.433	
		जगदल्ली	चूनापत्थर	0.303	
		जगदल्ली	चूनापत्थर	0.186	
		मसनियाकला	पत्थर	1.700	
		जगदल्ली	चूनापत्थर	0.855	
		नयाबाराद्वार	चूनापत्थर	0.203	
		रानीगांव	चूनापत्थर	0.810	
		चमरवाह	पत्थर	2.025	
		जगदल्ली	चूनापत्थर	0.975	
		जुड़गा	चूनापत्थर	2.816	
		सक्ती	मिट्टी	0.620	
		पलाडीकला	चूनापत्थर	0.612	
		सिधनसरा	रेत	3.643	
		पलाडीखुर्द		3.643	
2	बम्हनीडीह	कुरदा	चूना पत्थर	2.025	1053900
		कुरदा	चूना पत्थर	1.458	
		चौरिया	मिट्टी	1.256	
		हथनेवरा	रेत	6.072	408000
3	बलौदा	उच्चमिट्टी	रेत	6.000	1529000
		महुदा		6.882	
		कुदरी		15.000	

सक्ती विधानसभा क्षेत्र में गौण खनिज (रेत को छोड़कर) से प्राप्त रायल्टी राशि से  
स्वीकृत कार्यों की जानकारी

क्र	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	सक्ती	बैलाचुआ(जगदल्ली)	सी.सी. रोड निर्माण	200000
		जुडगा	सी.सी. रोड निर्माण	250000
		जुडगा	निर्मलाघाट निर्माण	100000
		जुडगा	निर्मला घाट निर्माण	104000
		मसनियाकला	निर्मलाघाट निर्माण	210000
2	बम्हनीडीह	हनूमता (दर्राबंजर)	सी.सी. रोड निर्माण मेन रोड से कबीर चबुतरा की ओर	11820
		सिवनी च	जनक राठौर के घर से पीपल चौक तक वार्ड क्र. 18, 19	500000
		सिवनी च	चबुतरा निर्माण 03 नग 02 कार्य पूर्ण	500000
		कोसमंदा	सामुदायिक भवन जोखाई तालाब	350000
		कोसमंदा	छतदार चबुतरा निर्माण वार्ड क्र. 5 मनहरण यादव के घर के पास	500000
		जाटा	सी.सी. रोड निर्माण कार्य दूजराम पाटले के घर से उदेराम गबेल के घर तक	500000
		महुदा च	नदिया पारा में पचरी निर्माण कार्य	150000
		महुदा च	नदिया पारा में पचरी निर्माण कार्य	150000
		महुदा च	सी.सी. रोड निर्माण कार्य मण्डलपारा भुडकुडिया तालाब के पास	200000
		महुदा च	लखन घर से देवरामदेव तक सी.सी. रोड निर्माण	590000
		महुदा च	ठाकुरदेव से काली मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण	590000
		कोसमंदा	स्वास्थ्य एवं पंचायत भवन में अहाता निर्माण	600000
		कोसमंदा	हाई स्कूल में अहाता निर्माण	300000
		कमरीद	छोटेलाल के घर से नकछेद के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	600000
		बालपुर	भागीरथी के घर से मोतीलाल के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	300000
		उच्चभिड्टी	बैसाखु के घर से गोवर्धन के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	300000
		महुदा च	भयामनगर में सरकारी दूकान से बूढ़ादेव मंदिर तक सी.सी.रोड निर्माण	500000
	महुदा च	नीम चौक से पटवारी के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	300000	
	कुरदा	धीरज बरेठ के घर से मुर्गावाला के घर तक सी.सी. रोड निर्माण	300000	
	सिवनी च	वार्ड क्र. 12 बैसाखू बरेठ के घर से चंदराम घर तक सी.सी. रोड निर्माण	300000	
	सिवनी च	वार्ड क्र 14 खोरवापारा सी.सी. रोड	300000	

## अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "छब्बीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 59) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

कौण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विद्युतीकरण हेतु पुनः जारी निविदा में सम्मिलित ग्रामों/मजरा-टोला की जानकारी

क्र०	ग्राम का नाम	मजरा टोला का नाम	योजना का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	छोटेबन्जोडा	प्लाटपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	पूर्ण
		माझीपारा		
		स्कूलपारा		
		नयापारा		
		पुजारीपारा		
2	लखनपुरी	बेड़ापारा		पूर्ण
3	फुकागिरोला	आंगबाड़ीपारा		पूर्ण
		भरवाबेड़ा - I		
		भरवाबेड़ा - II		
		पटेलपारा		
		सरपंचपारा		
		स्कूलपारा		
4	निलझी	पुजारीपारा		पूर्ण
		आतुलबेड़ा		
		पटेलपारा		
		कथरीपारा		
5	कतावण्ड	पटेलपारा		पूर्ण
		कटरापारा		
		स्कूलपारा		
		बोरगेलपारा		
6	वनउसरी	नयापारा - I		पूर्ण
		कारावाही		
		मारकेपारा		
		नयापारा - II		
		भोगाड़ापारा		
		किड़ईबेड़ापारा		
		उसरी		
7	उढीदगांव	भट्टीपारा		पूर्ण
		आवासपारा		
		बीचपारा		
		नाकापारा		
		धनकपारा		

8	धारली	खासपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	पूर्ण
		मुटापारा		
		बीचपारा		
		सरपंचपारा		
		मकपारा		
		जोन्दरापारा		
9	कोसाहरदुली	बुडरापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	पूर्ण
		स्कूलपारा		
		नयापारा		
		प्लाटपारा		
10	बाडरा	खासपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	पूर्ण
		गुडरीपारा		
11	बड़ेघोड़सोड़ा	बुचाकोटपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	पूर्ण
		खोटेपारा		
		बड़ेपारा		
		स्कूलपारा		
		बुधनापारा		
12	चिचिपोलंग	आंगनबाड़ी पारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
		अवासपारा		
		नहरपारा		
		पटेलपारा		
13	कोकोडी	अवासपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारंभ
		मरारपारा		
		पटेलपारा		
		धरसुलीपारा		
		गोतुलपारा		
		नयापारा		
		छातापारा		
		कलीपारा		
		छातापारा - 1		
		गायत्री मंदिर		
		गोतुलपारा-2		
		मरारपारा-2		
		मातापारा		
		पटेलपारा-2		
		स्कूलपारा		
		टेंगापखना		
14	जड़ेबेन्दरी	थन्गुड़ीपारा-2	राजीव गांधी ग्रामीण	कार्य अप्रारंभ
		थन्गुड़ीपारा		
		पदरपारा		
15	उमरगांव ब	पुजारीपारा	राजीव गांधी ग्रामीण	कार्य अप्रारंभ
		थन्गुड़ीपारा		

		पुजारीपारा गुडरीपारा अरकलीपारा शिकारीपारा फरसगाववेडा खालेपारा प्रधानपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारम्भ
16	सिधावण्ड	खासपारा डोंगरीपारा अवासपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारम्भ
17	काकडागाव	बाम्हरपारा खासपारा नयापारा पटेलपारा थन्गुडीपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारम्भ
18	तुरेवेडा	तुरेवेडा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारम्भ
19	देवडोंगर	देवडोंगर सरपच पारा थन्गुडीपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारम्भ
20	चिमड़ी	पटेलपारा स्कूलपारा खाले पारा प्लाटपारा आवास पारा कोहीमार पारा पुजारीपारा बोथापारा भीमापारा आवासपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
21	चौडंग	नयापारा स्कूलपारा पटेलपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
22	धनसूली	धनसूली		कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी0पी0एल0 कनेक्सन लंबित)
23	करनपुर	नयापारा सतबहनी पारा मातापदर पटेलपारा		कार्य प्रगति पर
24	मुलमुला	तारावेडा जामपारा		कार्य प्रगति पर

	मुलमुला	पदरपारा नयापारा लेम्पपारा मारीपारा बाजारपारा कतरीपारा खासपारा जामबेड़ा लेमडीखासपारा डोंगरीपारा चाहचीबेड़ा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
25	मालगांव	मालगांव	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य अप्रारंभ (बी0पी0एल0 कनेक्शन लंबित)
26	डोंगरसिलाटी	डोंरगीपारा पदरपारा मोहनबेड़ा जोन्दराबेड़ा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी0पी0एल0 कनेक्शन लंबित)
27	कारसिंग	खासपारा खूटपदर नहरपारा - I नहरपारा - II टेंगनापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति (ट्रांसफार्मर + बी0पी0एल0 कनेक्शन लंबित)
28	तमरावण्ड	टेमरूबेड़ापारा खुटबेड़ापारा मवलीपारा नयापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
29	ओटेण्डा	भरीपारा बाजारपारा प्लाटपारा डोंगरीपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
30	पीढ़ापाल	खासपारा प्लाटपारा बुडरापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
31	मगेदा	उपरपारा हीरापारा पुरानापारा कोष्टापारा पटेलपारा गाण्डापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
32	हाडीगांव	प्लाटपारा पटेलपारा नयापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर

	हाडीगांव	छिखलापारा मदहापखनापारा डोंगरीपारा सड़कपारा अवासप्लाटपारा स्कूलपारा बीजाडीहीपारा रोडपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
33	ओण्डरी	नयापारा बीचपारा प्लाटपारा डोंगरीपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
34	कोकोड़ी	नयापारा बारीपारा पटेलपारा सड़कपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
35	गारे	पसल पारा बरकई पारा प्लाटपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी०पी०एल० कनेक्सन लंबित)
36	ठेमगांव	मारीपारा गुडरीपारा गाण्डापारा नयापारा पटेलपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
37	बागबेड़ा	नयापारा हटेलपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर
38	बेरगांव	चड़ावपारा पुजारीपारा बाण्डीयाबेड़ापारा ओण्डारडोदापारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी०पी०एल० कनेक्सन लंबित)
39	डोंगरी	बाम्हनदईपारा भालूगुड़ापारा बीचपारा डोंगरीपारा बाजारपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी०पी०एल० कनेक्सन लंबित)
40	छोटेरा गा	छोटेसोहंगा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी०पी०एल० कनेक्सन लंबित)
41	बेरली	डोंगरीगुड़ापारा बीचपारा बिजागुड़ापारा मन्नीपारा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (ट्रांसफार्मर + बी०पी०एल० कनेक्सन लंबित)

42	छताड़ा	छताड़ा	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	कार्य प्रगति पर (द्विआकार + बी0पी0एल0 फनक्शन लापता)
43	मथनीवेड़ा	मथनीवेड़ा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य पूर्ण
		पटेलपारा		
		डोंगरीपारा		
44	कोटेलवेड़ा	कोटेलवेड़ा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य पूर्ण
45	हीरामण्डला	मुण्डापारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य प्रगति पर
		नानी डोंगरी		
		भारीपारा		
46	मरवावेड़ा	मरवावेड़ा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य पूर्ण
47	काकड़वेड़ा	पण्डरी डोंगरीपारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य पूर्ण
		जोड़ातरई		
		पदर पारा		
48	केरावाही	पुजारीपारा	मुख्यमंत्री मजराटोला योजना	कार्योदेश जारी
		किड़गिबेड़ा		
		उसरीबेड़ा		
		भगोड़पारा		
49	किलम	किलम- मातागुडीपारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य पूर्ण
		बुरगुमपारा		
		कोराबेड़ापारा एवं घोदूलपारा		
	49	214		

## प्रपत्र "ब"

कोण्डागांव विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम  
ज्योति योजना तथा मुख्यमंत्री मजराटोला योजना में सम्मिलित  
नवीन ग्रामों तथा उनके मजरा/टोला की जानकारी

क्र०	ग्राम का नाम	मजरा टोला का नाम	योजना का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	गधनीबेड़ा	मथनीबेड़ा पटेलपारा डोंगरीपारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	पूर्ण
2	कोटेलबेड़ा	कोटेलबेड़ा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	पूर्ण
3	हीरामण्डला	मुण्डापारा नानी डोंगरी मारीपारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	कार्य प्रगति पर
4	भरवाबेड़ा	भरवाबेड़ा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	पूर्ण
5	काकड़बेड़ा	पण्डरी डोंगरीपारा जोडातरई पदरपारा	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	पूर्ण
6	केरावाही	पुजारीपारा किड़गिबेड़ा उसरीबेड़ा भगोड़पारा	मुख्यमंत्री मजराटोला योजना	कार्यादेश जारी
योग—	6	15		

## परिशिष्ट "सत्ताईस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 79) के भाग (क) की जानकारी ]

जिला कोण्डागांव में वर्ष 2015-16 में रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क	जिला अंतर्गत शामिल विकासखण्ड का नाम	विकासखण्ड अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परियोजना अंतर्गत शामिल परिक्षेत्रों का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट आपूर्तिकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता
1	2	3	4	5
1	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	मां दंतेश्वरी संतोषी समूह डोंगरीपारा कोण्डागांव तह-कोण्डागांव
2			कोण्डागांव-2	मां दंतेश्वरी शीतला समूह नहरपारा कोण्डागांव तह-कोण्डागांव
3			बनियागांव	मों सरई स्व-सहायता समूह माकड़ी तह-कोण्डागांव
4			दहीकोंगा	जय दुर्गा स्व-सहायता समूह दहिकोंगा तह-कोण्डागांव
5			बड़ेकनेरा	मों दन्तेश्वरी महिला स्व-सहायता समूह बड़ेकनेरा तह-कोण्डागांव
6			चिपावंड	छोटी बहना स्व-सहायता समूह उमरगांव "ब" तह-कोण्डागांव
7			मुलमुला	महिला स्व सहायता समूह मुलमुला तह-कोण्डागांव
8			जोबा	मां दंतेश्वरी मोहनी स्व सहायता समूह माकड़ी तह-कोण्डागांव
9			बड़ेभिरावंड	शितला माता स्व सहा. समूह छोटेभिरावंड तह-कोण्डागांव
				9
10		कोण्डागांव-2	मसोरा	मां सखी-सहेली स्व-सहायता समूह मसोरा तह-कोण्डागांव
11			बुनागांव	मों दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह उमरगांव "अ" तह-कोण्डागांव
12			पलारी	मों दुर्गा स्व-सहायता समूह डोंगरीगुडा तह-कोण्डागांव
13			किबईबालेंगा	मों दुर्गा स्व-सहायता समूह किबई बालेंगा तह-कोण्डागांव
14			बयानार	बीपीएल स्व-सहायता समूह घिमडी तह-कोण्डागांव
				5
15		कोण्डागांव-3	सोनाबाल	मों शारदा स्व-सहायता समूह सोनाबाल तह-कोण्डागांव
16			बम्हनी	नींव स्व-सहायता समूह बम्हनी तह-कोण्डागांव
17			मर्दापाल	जय लक्ष्मी स्व-सहायता समूह मर्दापाल तह-कोण्डागांव
18			हसलनार	जय दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह हसलनार तह-कोण्डागांव
19			मर्दापाल-2	मां दंतेश्वरी स्व सहा. समूह बड़ेकुरुषनार तह-कोण्डागांव
				5
20		माकड़ी	बीजापुर	राधा कृष्णा स्व-सहा. समूह हिरलामाटा बीजापुर तह-माकड़ी
21			शामपुर	चांदनी महिला स्व-सहायता समूह शामपुर तह-माकड़ी

जिला कोण्डागांव में वर्ष 2015-16 में रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क.	जिला अंतर्गत शामिल विकासखण्ड का नाम	विकासखण्ड अंतर्गत शामिल बाल विकास परियोजना का नाम	परियोजना अंतर्गत शामिल परिक्षेत्रों का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट आपूर्तिकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता
1	2	3	4	
22			एरला	माँ दन्तेश्वरी जानकी स्व-सहायता समूह अनतपुर तह माकडी
23			हीरापुर	माँ दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह हीरापुर तह-माकडी
24			माकडी	माँ दुर्गा स्व-सहायता समूह माकडी तह-माकडी
25			रांघना	महिला बचत साख स्व-सहायता समूह गुहाबोरण्ड तह माकडी
26			हाडीगांव	शिवशक्ति महिला स्व सहायता समूह हाडीगांव तह-माकडी
27			लुभा	ज्योति स्व सहायता समूह लुभा तह माकडी
28			बरकई	साईनाबा महिला स्व सहायता समूह बरकई तह-माकडी
29			केरावाही	सरस्वती महिला स्व-सहायता समूह केरावाही तह माकडी
30		केशकाल	केशकाल	सत्ती मां स्व सहायता समूह हर्रापड़ाव केशकाल तह-केशकाल
31			केशकाल-2	लक्ष्मी मैया स्व सहायता समूह गौरगांव, तह. केशकाल
32			अडेंगा	सरस्वती स्व सहायता समूह नारना, तह. केशकाल
33			सिंगनपुर	इंदिरा स्व सहायता समूह सिंगनपुर तह. केशकाल
34			बेड़मा	मावली माता स्व सहायता समूह आदनबेड़ा तह. केशकाल
35			बहीगांव	मां संतोषी स्व सहायता समूह मस्सुकोकोड़ा तह. केशकाल
36			बहीगांव-2	शितला मैया स्व सहायता समूह अमोड़ा तह. केशकाल
37			घनोरा	जागृति स्व सहायता समूह घनोरा तह. केशकाल
38			ईरागांव	दुर्गा स्व सहायता समूह ईरागांव तह. केशकाल
39		बड़ेराजपुर	कोरगांव	दुर्गा स्व-सहायता समूह बैजनपुरी तह. बड़ेराजपुर
40			बड़ेराजपुर	माता भवानी स्व सहायता समूह कांकरियापारा बड़ेराजपुर, तह. बड़ेराजपुर
41			सलना	मां लक्ष्मी स्व-सहायता समूह बस्तरबुडरा तह. बड़ेराजपुर
42			बांसकोट	गायत्री स्व सहायता समूह मारंगपुरी बांसकोट तह. बड़ेराजपुर
43			गम्हरी	माँ भवानी स्व-सहायता समूह गम्हरी तह. बड़ेराजपुर

जिला कोण्डागाव में वर्ष 2015-16 में रेडी टू ईट फूड प्रदाय कर रहे महिला स्व सहायता समूहों की जानकारी

क्र	जिला अंतर्गत शामिल विकासखण्ड का नाम	विकासखण्ड अंतर्गत शामिल ग्राम विकास परिषद का नाम	परियोजना अंतर्गत शामिल परिक्षेत्रों का नाम	परिक्षेत्र अंतर्गत रेडी टू ईट आपूर्तिकर्ता महिला स्व सहायता समूह का नाम व पता
1	2	3	4	5
43			विश्रामपुरी	गीताजली स्व सहा समूह पै-झावन तह. बडसगाव
45			कोपरा	जय गंगा मैया स्व सहायता समूह कोरगाव तह. बडसगाव
			<b>योग</b>	<b>7</b>
46		फरसगांव	फरसगांव	मां दन्तेश्वरी स्व-सहा समूह कोरप्लाट फरसगाव तह. फरसगाव
47			फरसगांव-2	मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह परियग कोरगाव तह. फरसगांव
48			लजोडा	गायत्री स्व सहायता समूह लजोडा गिचीपारा तह. फरसगाव
49			जुगानी	मां दंतेश्वरी स्व-सहायता समूह भानपुरी तह. फरसगाव
50			भंडारसिवनी	मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह भंडारसिवनी तह. फरसगाव
			<b>योग</b>	<b>5</b>
51		बडेडोंगर	आलोर	प्रगति स्व-सहायता समूह आलोर तह. फरसगाव
52			बडेडोंगर	मां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह बडेडोंगर तह. फरसगाव
53			देवगांव	मां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह देवगांव तह. फरसगाव
54			कोटपाड	मां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह तोरण्ड तह. फरसगाव
55			कोनगुड	मां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह कोनगुड तह. फरसगाव
56			चिंगनार	छत्तीसगढ़ स्व सहा समूह चिंगनार तह. फरसगाव
			<b>योग</b>	<b>6</b>

## परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 08 (क्र. 126) के भाग (क) की जानकारी ]

विधानसभा क्षेत्र बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत स्थापित सौर संयंत्रों की जानकारी वर्ष 2015-16

(अ) सार्वजनिक स्थल :-

क्र.	विकास खण्ड	स्थल का नाम	क्षमता (किलोवाट में)	संयंत्र का प्रकार	स्थिति
1	बलौदाबाजार	प्राथमिक स्ना केन्द्र रिस्तदा	2	सौर पार प्लाट	कार्यशील
2	बलौदाबाजार	सोनपुरी	1.2	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
3	सिमगा	सीतापुर	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
4	सिमगा	टेकारी	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
5	सिमगा	करहुल	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
6	सिमगा	भलेसर	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
7	सिमगा	पडकीड़ीह	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
8	सिमगा	हरीनभाटा	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
9	बलौदाबाजार	पाहंदा	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
10	बलौदाबाजार	प्रा.स्कूल - भद्रापाली	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
11	बलौदाबाजार	सरकीपार	0.9	सौर ड्युअल पंप	कार्यशील
		कुल क्षमता	11.3		

(ब) निजी हितग्राही के यहाँ स्थापित सौर संयंत्र :-

क्र.	विकासखण्ड	हितग्राही का नाम	पता	क्षमता (किलोवाट में)	संयंत्र	स्थिति
1	बलौदाबाजार	श्री प्रकाश तिवारी	कोकडी	1	सौर संयंत्र	कार्यशील
2	बलौदाबाजार	श्रीमति स्नेहालाल बघेल	लमाही	7	सौर संयंत्र	कार्यशील
3	बलौदाबाजार	श्री उमेश कुमार अग्रवाल	लवन रोड	10	सौर संयंत्र	कार्यशील
4	सिमगा	श्री गोपालसिंह	झिरिया	3	कृषि पंप	कार्यशील
5	सिमगा	श्रीमति रजनी देवी	झिरिया	3	कृषि पंप	कार्यशील
6	सिमगा	श्री राजु गोड	झिरिया	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
7	सिमगा	श्री आर.गोड	झिरिया	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
8	बलौदाबाजार	श्री चन्द्रशेखर वर्मा	अर्जुनी	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
9	बलौदाबाजार	श्री मानसिंह वर्मा	रवान	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
10	बलौदाबाजार	श्री जी.सिंह	झिरिया	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
11	बलौदाबाजार	श्री सुधराम	झिरिया	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
12	बलौदाबाजार	श्री आत्माबोध अग्रवाल	झिरिया	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
13	बलौदाबाजार	श्री अल्का कंसल	केशदा	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
14	बलौदाबाजार	श्री शरदचन्द्रपाल	चन्देरी	3	कृषि पंप	कार्यशील
15	बलौदाबाजार	श्रीमति रजनी अग्रवाल	झिरिया	4.8	कृषि पंप	कार्यशील
			कुल क्षमता (किलोवाट में)	70.2		

निरन्तर...

वर्ष 2016-17 (मई 2016 तक)

(स) सार्वजनिक स्थल :-

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	क्षमता (किलोवाट में)	संयंत्र का प्रकार	स्थिति
1	बलौदाबाजार	प्राथमिक स्वा.केन्द्र लयन	8	सौर संयंत्र	कार्यशील
2	बलौदाबाजार	रवान मेन रोड	0.9	सोलर ड्युअल पंप	कार्यशील
3	बलौदाबाजार	रवान देवार पारा	0.9	सोलर ड्युअल पंप	कार्यशील

(द) निजी हितग्राही के यहाँ स्थापित सौर संयंत्र :-

क्र.	विकासखण्ड	हितग्राही का नाम	पता	क्षमता (किलोवाट में)	संयंत्र	स्थिति
1	बलौदाबाजार	श्री भीखम वर्मा	बरदा	3 एच.पी.	कृषि पम्प	कार्यशील
2	बलौदाबाजार	श्री झगरू	करदा (लवन)	3 एच.पी.	कृषि पम्प	कार्यशील
3	बलौदाबाजार	श्री श्रद्धानंदन अग्रवाल	डोटोपार	3 एच.पी.	कृषि पम्प	कार्यशील
4	सिमगा	श्री झाडूराम वर्मा	दमनबोध	5 एच.पी.	कृषि पंप	कार्यशील

## परिशिष्ट "उन्तीस"

[ अताराकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 208) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

लोक सुराज अभियान 2016 में जिला जांजगीर-चांपा में  
आयोजित जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय शिविर की जानकारी

क्रमांक	शिविर दिनांक	शिविर स्थल	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन	जिला स्तरीय/ खण्ड स्तरीय
1	27/04/2016	अरसिया	118	76	42	जिला स्तरीय
2	30/04/2016	बिरा	177	94	83	जिला स्तरीय
3	02/05/2016	टुण्डी	121	80	41	जिला स्तरीय
4	04/05/2016	पतौरा	245	202	43	जिला स्तरीय
5	06/05/2016	महत	222	178	44	जिला स्तरीय
6	09/05/2016	सकरेलीकला	241	168	73	जिला स्तरीय
7	12/05/2016	कोटमीसोनार	282	282	0	जिला स्तरीय
8	13/05/2016	ठठारी	95	79	16	जिला स्तरीय
9	14/05/2016	छपौरा	525	384	141	जिला स्तरीय
10	16/05/2016	दतौद	571	432	139	जिला स्तरीय
11	20/05/2016	सलखन	230	137	93	जिला स्तरीय
12	24/05/2016	कमरीद	385	281	104	जिला स्तरीय
13	27/04/2016	गढ़गोढ़ी	49	45	4	खण्ड स्तरीय
14	27/04/2016	सकराली	59	57	2	खण्ड स्तरीय
15	28/04/2016	सिवनी	21	14	7	खण्ड स्तरीय
16	28/04/2016	पडरिया	48	48	0	खण्ड स्तरीय
17	28/04/2016	पुटीडीह	26	24	2	खण्ड स्तरीय
18	29/04/2016	करमदा	20	11	9	खण्ड स्तरीय
19	29/04/2016	गौद	32	20	12	खण्ड स्तरीय
20	29/04/2016	हरदी	53	46	07	खण्ड स्तरीय
21	30/04/2016	कुटराबोड़	34	27	07	खण्ड स्तरीय
22	30/04/2016	परसा	166	137	29	खण्ड स्तरीय
23	02/05/2016	लवसरा	146	93	53	खण्ड स्तरीय
24	02/05/2016	खम्हिया	72	53	19	खण्ड स्तरीय
25	03/05/2016	कल्याणपुर	47	47	0	खण्ड स्तरीय
26	03/05/2016	दूठी	61	49	12	खण्ड स्तरीय
27	03/05/2016	खरकेना	292	287	5	खण्ड स्तरीय
28	04/05/2016	दहिदा	54	36	18	खण्ड स्तरीय
29	04/05/2016	जमगहन	380	223	157	खण्ड स्तरीय
30	05/05/2016	पचरी(हेडसपुर)	31	26	05	खण्ड स्तरीय
31	05/05/2016	लखाली	110	75	35	खण्ड स्तरीय
32	05/05/2016	ढिमानी	205	154	51	खण्ड स्तरीय
33	06/05/2016	नवगवां	83	69	14	खण्ड स्तरीय
34	06/05/2016	नगरदा	78	58	20	खण्ड स्तरीय

क्रमांक	शिविर दिनांक	शिविर स्थल	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन	जिला स्तरीय / खण्ड स्तरीय
35	07/05/2016	अमलीपाली	80	80	0	खण्ड स्तरीय
36	07/05/2016	शिलमिली	109	103	06	खण्ड स्तरीय
37	07/05/2016	हसोद	46	35	11	खण्ड स्तरीय
38	09/05/2016	खोरसी	25	20	05	खण्ड स्तरीय
39	09/05/2016	रामभांठा	158	154	4	खण्ड स्तरीय
40	10/05/2016	पकरिया झू	120	120	0	खण्ड स्तरीय
41	10/05/2016	आमनुदला	211	182	29	खण्ड स्तरीय
42	11/05/2016	कुदरी	53	51	2	खण्ड स्तरीय
43	11/05/2016	पामगढ़	35	22	13	खण्ड स्तरीय
44	11/05/2016	डोमाडीह	43	32	11	खण्ड स्तरीय
45	12/05/2016	नवागांव	204	171	33	खण्ड स्तरीय
46	12/05/2016	देवरमाल	129	105	24	खण्ड स्तरीय
47	13/05/2016	केसला	37	24	13	खण्ड स्तरीय
48	13/05/2016	धुरकोट	163	159	4	खण्ड स्तरीय
49	14/05/2016	उदेबंद	378	363	15	खण्ड स्तरीय
50	14/05/2016	पोड़ीकला	92	82	10	खण्ड स्तरीय
51	16/05/2016	तरौद	83	83	0	खण्ड स्तरीय
52	16/05/2016	सपोस	460	453	7	खण्ड स्तरीय
53	17/05/2016	पेण्डी (जां.)	34	23	11	खण्ड स्तरीय
54	17/05/2016	करीबंघा	112	74	38	खण्ड स्तरीय
55	18/05/2016	किरानी	284	254	30	खण्ड स्तरीय
56	18/05/2016	हेडसपुर	175	168	7	खण्ड स्तरीय
57	18/05/2016	गिघोरी	196	184	12	खण्ड स्तरीय
58	19/05/2016	आडेकेरा	99	70	29	खण्ड स्तरीय
59	19/05/2016	देवरी	63	48	15	खण्ड स्तरीय
60	20/05/2016	जुड़गा	104	60	44	खण्ड स्तरीय
61	20/05/2016	परसी	564	517	47	खण्ड स्तरीय
62	21/05/2016	अमोरा	91	91	0	खण्ड स्तरीय
63	21/05/2016	गुडरुकला	138	101	37	खण्ड स्तरीय
64	23/05/2016	जावलपुर	185	163	22	खण्ड स्तरीय
65	23/05/2016	कामता	21	11	10	खण्ड स्तरीय
66	24/05/2016	सोनाईडीह	124	102	22	खण्ड स्तरीय
67	24/05/2016	मिरीनी	1258	1201	57	खण्ड स्तरीय
कुल योग			11153	9298	1855	

## परिशिष्ट "तीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क. 209) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रमत्त "अ"

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृत एवं  
/प्रगतिरत कार्यों की ग्रामवार जानकारी

क्र.सं.	विकासखंड का नाम	ग्राम का नाम	11 के.व्ही. लाईन (कि.मी.)		निम्नदाब लाईन (कि.मी.)		ट्रांसफार्मर		कार्य की वर्तमान स्थिति
			प्रावधान	कार्यपूर्ण	प्रावधान	कार्यपूर्ण	प्रावधान	कार्यपूर्ण	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जैजैपुर	अमोदा	0.25	0.857	0.59	0.347	2	1	कार्य पूर्ण
2	जैजैपुर	दरभिठा	0.26	0.19	0.58	1.397	1	2	कार्य पूर्ण
3	जैजैपुर	देवरघटा	0	0.6	0	0.8	0	1	कार्य पूर्ण
4	जैजैपुर	हरेठीकला	2.627	3.02	5.27	6.979	4	4	कार्य पूर्ण
5	जैजैपुर	कोटेतरा	1.23	0.3	2.01	1.364	3	2	कार्य पूर्ण
6	जैजैपुर	लालमाटी	0.9	0	1.21	0.415	2	1	कार्य पूर्ण
7	जैजैपुर	पण्डी	1.25	0.667	1.24	1.092	2	1	कार्य पूर्ण
8	जैजैपुर	पिसौद	0	0	0	0.3	0	0	कार्य पूर्ण
9	जैजैपुर	चिस्ता	0.71	0.24	0.37	0.64	1	1	कार्य पूर्ण
10	जैजैपुर	दतौद	0.44	0	1.3	0.215	1	0	कार्य पूर्ण
11	जैजैपुर	हसौद	0.44	0.671	0.4	1.872	1	4	कार्य पूर्ण
12	जैजैपुर	वैहागुडरू	0.63	0.2	1.47	1.6	1	1	कार्य पूर्ण
13	जैजैपुर	बरदुली	1.15	0	1.08	0.6	2	2	कार्य पूर्ण
14	जैजैपुर	गुजियाबोड	0.22	0	0.89	0.64	1	1	कार्य पूर्ण
15	जैजैपुर	तुमीडीह	1.05	0.8	1.33	1.3	3	3	कार्य पूर्ण
16	जैजैपुर	अकलसरा	0.24	1.21	0.56	1.709	2	3	कार्य पूर्ण
17	जैजैपुर	भानेतरा	0	0	0.42	1.076	0	1	कार्य पूर्ण
18	जैजैपुर	ककराभाट	0.12	0.12	0.52	1.63	1	1	कार्य पूर्ण
19	जैजैपुर	नंदेली	0.26	0	1.64	2.35	1	2	कार्य पूर्ण
20	जैजैपुर	बेलकरी	0.26	0.26	0.59	0.65	1	1	कार्य पूर्ण
21	जैजैपुर	कुटराबोड	0.97	0.6	2	1.2	2	2	कार्य पूर्ण
22	जैजैपुर	ठठारी	1.61	0.985	4.221	7.811	13	5	कार्य पूर्ण
23	जैजैपुर	परसाडीह	0.76	0.76	0.62	1.55	1	1	कार्य पूर्ण
24	जैजैपुर	छिराडीह	0.44	0	0.58	0	1	0	कार्य पूर्ण
25	जैजैपुर	जोगिया	0.71	0	0.86	0	1	0	कार्य पूर्ण
26	जैजैपुर	हरदीडीह	0.34	0	0.46	0	1	0	कार्य पूर्ण
27	जैजैपुर	बेलादुला	1.14	1	2.61	1.9	3	4	कार्य पूर्ण
28	जैजैपुर	करही	0.54	0.582	1.66	2.143	2	3	कार्य पूर्ण
29	जैजैपुर	किकिरदा	0.71	0.713	1.22	2.252	2	2	कार्य पूर्ण
30	जैजैपुर	कबन्दा	0.89	0.65	3	1.7	3	3	कार्य पूर्ण
31	जैजैपुर	अमकोनी	0.27	1	0.48	1.05	1	1	कार्य पूर्ण

32	जैजैपुर	अगलीडीह	0.22	0.2	1.35	0.45	1	1	कार्य पूर्ण
33	जैजैपुर	खजुरानी	0.81	0.7	1.11	1.98	2	2	कार्य पूर्ण
34	मालखरौदा	अचरीतपाली	0.71	0	0.8	0.5	1	0	कार्य पूर्ण
35	मालखरौदा	छपोरा	0.74	0.572	0.4	1.045	1	3	कार्य पूर्ण
36	मालखरौदा	देवगांव	0.71	0	0.84	1.455	1	0	कार्य पूर्ण
37	मालखरौदा	डोमा	0.63	0.078	0.74	0.868	1	1	कार्य पूर्ण
38	मालखरौदा	मरघट्टी	1.69	1.326	2.21	2.533	3	5	कार्य पूर्ण
39	मालखरौदा	रनपोटा	0.76	1.811	0.84	2.638	1	5	कार्य पूर्ण
40	मालखरौदा	वडेरबेली	0.36	0.113	2.15	2.16	2	3	कार्य पूर्ण
41	मालखरौदा	माहुलदीप	0.44	0	1.14	0.65	1	1	कार्य पूर्ण
42	मालखरौदा	मिरौनी	1.03	0.46	1.45	2.5	2	6	कार्य पूर्ण
43	मालखरौदा	नरियरा	2.03	0.322	3.04	5.9	3	3	कार्य पूर्ण
44	मालखरौदा	आमानदुला	0	0.1	0	2.5	0	2	कार्य पूर्ण
45	मालखरौदा	बरभाटा	0.12	0	0.35	0.37	1	0	कार्य पूर्ण
46	मालखरौदा	भेडीकोना	0	1.32	0	1.17	0	1	कार्य पूर्ण
47	मालखरौदा	जोगीडीपा	0.23	0	0.58	0.78	1	0	कार्य पूर्ण
48	मालखरौदा	मुडपार	0.95	1.11	2.16	1.96	2	2	कार्य पूर्ण
49	मालखरौदा	घोघरी	0.86	0	0.84	2.63	1	1	कार्य पूर्ण
50	मालखरौदा	पिरदा	1.53	0.9	2.02	3.42	3	2	कार्य पूर्ण
51	मालखरौदा	वडंसीपत	0	0.7	0	1.2	0	2	कार्य पूर्ण
52	बम्हनीडीह	मुडपार	1.11	0	1.9	0.877	3	1	कार्य पूर्ण
53	बम्हनीडीह	नकटीडीह	0.94	0.813	2.12	3.706	2	3	कार्य पूर्ण
54	बम्हनीडीह	पचोरी	0.17	1.359	2.14	2.264	1	2	कार्य पूर्ण
55	बम्हनीडीह	पोडीशंकर	4.16	1.497	4.3	6.701	8	9	कार्य पूर्ण
56	बम्हनीडीह	रोहदा	1.47	1.389	2.56	1.278	3	3	कार्य पूर्ण
57	बम्हनीडीह	झार्रा	1.01	0.62	1.72	1.2	2	3	कार्य पूर्ण
58	बम्हनीडीह	पुछेली	0	1.313	0.58	2.305	0	2	कार्य पूर्ण
59	बम्हनीडीह	तालदेवरी	0.68	0.51	0.6	2.2	1	2	कार्य पूर्ण
60	बम्हनीडीह	बरकुट	0	0.552	0.88	1.2	0	1	कार्य पूर्ण
61	बम्हनीडीह	मौहाडीह	0.81	0.035	1.82	1.327	3	2	कार्य पूर्ण
62	बम्हनीडीह	लखुरी	1.28	0.991	1.55	1.702	4	4	कार्य पूर्ण
63	बम्हनीडीह	बसन्तपुर	0.37	0.1	0.28	2.141	1	2	कार्य पूर्ण
64	बम्हनीडीह	देवरहा	0.56	0.612	0.9	0.455	2	1	कार्य पूर्ण
65	बम्हनीडीह	चोरहादेवरी	0	0.04	0.66	1.145	0	1	कार्य पूर्ण
66	बम्हनीडीह	भवरेली	0.83	0.722	0.96	1.446	3	2	कार्य पूर्ण
67	बम्हनीडीह	मोहगांव	0.27	0.166	0.38	0.85	1	1	कार्य पूर्ण
68	बम्हनीडीह	कापारा	0.53	0.62	0.49	0.7	1	1	कार्य पूर्ण
69	बम्हनीडीह	गोविन्दा	0.56	1.42	0.83	1.78	1	3	कार्य पूर्ण
70	बम्हनीडीह	खपरीडीह	0.83	0	0.76	0.32	1	0	कार्य पूर्ण
71	बम्हनीडीह	सिलादेही	1.2	0.4	1.64	1.14	2	2	कार्य पूर्ण
72	बम्हनीडीह	सोनईडीह	0.5	1.4	1.3	1.47	1	3	कार्य पूर्ण

	बम्हनीडीह	लखाली	1.84	0.56	2.69	1.36	3	2	कार्य पूर्ण
74	बम्हनीडीह	कपिस्टा	1.31	1.56	2.68	1.25	2	4	कार्य पूर्ण
75	बम्हनीडीह	करनौद	2.01	0.876	3.34	2.51	6	3	कार्य पूर्ण
	बम्हनीडीह	घरसापाली	2.4	0	2.38	1.55	3	1	कार्य पूर्ण
77	बम्हनीडीह	बिरा	0.74	0	1.14	0.4	1	0	कार्य पूर्ण
78	बम्हनीडीह	सरवानी	1.1	0.2	1.71	1.2	1	2	कार्य पूर्ण
79	बम्हनीडीह	कनकपुर	0.46	0.18	1.42	0.54	2	1	कार्य पूर्ण
80	जैजैपुर	आमापाली	0.72		0.24		1	0	कार्य प्रगति पर
81	जैजैपुर	आमगांव	0.25	0	0.71	0	2	0	कार्य प्रगति पर
82	जैजैपुर	अरसिया	0.96	0	2.06	0	3	0	कार्य प्रगति पर
83	जैजैपुर	बहेराडीह	0.21		0.42		1	0	कार्य प्रगति पर
84	जैजैपुर	बरेकेलखूर्द	0.48	0	1.1	0	2	0	कार्य प्रगति पर
85	जैजैपुर	बर्सा	0.74	0	1.5	0	3	0	कार्य प्रगति पर
86	जैजैपुर	बावनबुडी	0.28		0.3		1	0	कार्य प्रगति पर
87	जैजैपुर	भातमाहुल	0.48		0.92		1	0	कार्य प्रगति पर
88	जैजैपुर	भोथीडीह	1.88	0	2.2	0	4	0	कार्य प्रगति पर
89	जैजैपुर	भोथिया	1.48	0	3.42	0	4	0	कार्य प्रगति पर
90	जैजैपुर	बिछिया	0.84	0	0.74	0	2	0	कार्य प्रगति पर
91	जैजैपुर	बोडसरा	0.48		0.92		1	0	कार्य प्रगति पर
92	जैजैपुर	बोईरडीह	0.82	0	1.74	0	2	0	कार्य प्रगति पर
93	जैजैपुर	छितापण्डरिया	1.04	0	1.84	0	3	0	कार्य प्रगति पर
94	जैजैपुर	चिखलरौंदा	0.48		0.94		1	0	कार्य प्रगति पर
95	जैजैपुर	चोरभट्टी	0.28		0.6		1	0	कार्य प्रगति पर
96	जैजैपुर	देवरीमठ	0.62	0	1.84	0	2	0	कार्य प्रगति पर
97	जैजैपुर	धमनी	1.18	0	2.88	0	4	0	कार्य प्रगति पर
98	जैजैपुर	धनुहारपारा	0.28		0.66		1	0	कार्य प्रगति पर
99	जैजैपुर	डोटमा	0.48		1.36		1	0	कार्य प्रगति पर
100	जैजैपुर	डोमाडीह	0.48		1.94		1	0	कार्य प्रगति पर
101	जैजैपुर	गाडामोर	0.86		1.9		1	0	कार्य प्रगति पर
102	जैजैपुर	गलगलाडीह	0.24		0.52		1	0	कार्य प्रगति पर
103	जैजैपुर	घिवरा	0.4	0	1.52	0	2	0	कार्य प्रगति पर
104	जैजैपुर	घोराडीपा	0.78	0	1.28	0	2	0	कार्य प्रगति पर
105	जैजैपुर	गुचकुलिया	0.6	0	2.02	0	2	0	कार्य प्रगति पर
106	जैजैपुर	गुडरुकला	0.64		0.66		1	0	कार्य प्रगति पर
107	जैजैपुर	हरदी	0.34		0.66		1	0	कार्य प्रगति पर
108	जैजैपुर	हरेठीखूर्द	0.48		1.42		1	0	कार्य प्रगति पर
109	जैजैपुर	जमडी	0.3		1.66		1	0	कार्य प्रगति पर
110	जैजैपुर	जर्व	1.06	0	1.84	0	2	0	कार्य प्रगति पर
111	जैजैपुर	झालरौंदा	1.18	0	2.28	0	2	0	कार्य प्रगति पर
112	जैजैपुर	झरप	0.78	0	2	0	2	0	कार्य प्रगति पर
113	जैजैपुर	जुनवानी	0.3		0.66		1	0	कार्य प्रगति पर

	जैजैपुर	कोपा	1.22	0	2.8	0	2	0	कार्य प्रगति पर
	जैजैपुर	कलमीडीह	0.6		0.9		1	0	कार्य प्रगति पर
	जैजैपुर	करीवाडीह	0.2		0.9		1	0	कार्य प्रगति पर
117	जैजैपुर	हरमनाडीह	0.34		0.66		1	0	कार्य प्रगति पर
118	जैजैपुर	काशीगड	1.72	0	4.8	0	5	0	कार्य प्रगति पर
119	जैजैपुर	खैरगढी	0.78		0.44		1	0	कार्य प्रगति पर
120	जैजैपुर	खानखरीडीह	0.3		0.52		1	0	कार्य प्रगति पर
121	जैजैपुर	श्वहरिया	0.8		1.9		1	0	कार्य प्रगति पर
122	जैजैपुर	कुम्हारी पटान	0.28		0.6		1	0	कार्य प्रगति पर
123	जैजैपुर	लोहाकोट	1.1	0	2.14	0	2	0	कार्य प्रगति पर
124	जैजैपुर	मलनी	0.48		1.96		1	0	कार्य प्रगति पर
125	जैजैपुर	मल्दा कला	1.1	0	3.8	0	2	0	कार्य प्रगति पर
126	जैजैपुर	मुक्ता	0.48		1.6		1	0	कार्य प्रगति पर
127	जैजैपुर	मुरली डीह	0.38		0.84		1	0	कार्य प्रगति पर
128	जैजैपुर	नगारीडीह	0.26		0.9		1	0	कार्य प्रगति पर
129	जैजैपुर	पाडाहरदी	0.88		0.92		1	0	कार्य प्रगति पर
130	जैजैपुर	परसदा	0.64	0	1.38	0	2	0	कार्य प्रगति पर
131	जैजैपुर	पथरा	0.28		0.44		1	0	कार्य प्रगति पर
132	जैजैपुर	रायपुरा	0.78	0	2.48	0	2	0	कार्य प्रगति पर
133	जैजैपुर	रीवाडीह	0.78		0.42		1	0	कार्य प्रगति पर
134	जैजैपुर	सलनी	1.2	0	1.32	0	2	0	कार्य प्रगति पर
135	जैजैपुर	सेमराडीह	0.48		0.42		1	0	कार्य प्रगति पर
136	जैजैपुर	सन्दरी	1.2	0	2.34	0	3	0	कार्य प्रगति पर
137	जैजैपुर	सेन्दुरस	0.92	0	3.28	0	3	0	कार्य प्रगति पर
138	जैजैपुर	शिकारीनार	0.66	0	1.22	0	2	0	कार्य प्रगति पर
139	जैजैपुर	सिरली	0.72	0	1.1	0	2	0	कार्य प्रगति पर
140	जैजैपुर	तलवा	0.98	0	0.42	0	2	0	कार्य प्रगति पर
141	जैजैपुर	तुषार	1.04	0	2.06	0	4	0	कार्य प्रगति पर
142	मालखरोदा	अमलीडीह	0.28		0.3		1	0	कार्य प्रगति पर
143	मालखरोदा	बरभाठा	0.12		0.36		1	0	कार्य प्रगति पर
144	मालखरोदा	बरपाली	0.28		0.82		1	0	कार्य प्रगति पर
145	मालखरोदा	बासीन	0.28		0.42		1	0	कार्य प्रगति पर
146	मालखरोदा	भडारा	0.32		0.42		1	0	कार्य प्रगति पर
147	मालखरोदा	भुतहा	0.82		0.94		1	0	कार्य प्रगति पर
148	मालखरोदा	छोटेरबेली	0.81		1.21		1	0	कार्य प्रगति पर
149	मालखरोदा	कुरदा	1.65	0	1.62	0	2	0	कार्य प्रगति पर
150	मालखरोदा	पीहरीद	0.74		0.89		1	0	कार्य प्रगति पर
151	जैजैपुर	जैजैपुर	0		0		0	0	कार्य प्रगति पर
152	जैजैपुर	दुठी	0		0		0	0	कार्य प्रगति पर
153	जैजैपुर	धौराभाठा	0		0		0	0	कार्य प्रगति पर
154	जैजैपुर	तान्दुलडीह	0	0	0	0	0	0	कार्य प्रगति पर

155	जजैपुर	बोहरडीह	0	0	0	0	0	कार्य प्रगति पर
156	जजैपुर	ओडेकेरा	1.22	0	4.24	0	3	कार्य प्रगति पर
157	मालखरोदा	डोंगरीडीह	0	0	0	0	0	कार्य प्रगति पर
158	मालखरोदा	अमेराडीह	0	0	0	0	0	कार्य प्रगति पर
159	मालखरोदा	कुरुदी	0	0	0	0	0	कार्य प्रगति पर
160	जजैपुर	बरकलकला	0	0	0	0	0	कार्य प्रगति पर
161	बम्हनीडीह	भंवरमाल	1.15	0	1.83	0	4	कार्य प्रगति पर
162	बम्हनीडीह	अगोदी	1.41	0	1.66	0	2	कार्य प्रगति पर
163	बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	3.9	0	5.14	0	9	कार्य प्रगति पर
164	बम्हनीडीह	बरगडी	0.72	0	0.2	0	2	कार्य प्रगति पर
165	बम्हनीडीह	गदरा	0.34	0	0.5	0	2	कार्य प्रगति पर
166	बम्हनीडीह	औराडीह	0.7	0	0.4	0	2	कार्य प्रगति पर
167	बम्हनीडीह	कोनियापाट	0.3	0	0.2	0	1	कार्य प्रगति पर
168	बम्हनीडीह	बन्सूला	1.6	0	0.8	0	5	कार्य प्रगति पर
169	बम्हनीडीह	सेमरिया	2.95	0	3.16	0	5	कार्य प्रगति पर
170	बम्हनीडीह	बनडभरा	0.75	0	0.75	0	7	कार्य प्रगति पर
171	बम्हनीडीह	सोनादाह	1.05	0	2.01	0	4	कार्य प्रगति पर
172	बम्हनीडीह	डभराखुर्द	2.5	0	3.9	0	4	कार्य प्रगति पर
173	बम्हनीडीह	बोरसी	2	0	2.41	0	5	कार्य प्रगति पर
174	बम्हनीडीह	गतवा	2.5	0	3.43	0	5	कार्य प्रगति पर
175	बम्हनीडीह	देवरानी	0.6	0	0.6	0	2	कार्य प्रगति पर

## प्रपत्र "ब"

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत/कार्य प्रगतिरत ग्रामों की जानकारी

क्रमांक	ग्राम का नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	हसौद	विस्तार कार्य हेतु लंबित
2	ठठारी	विस्तार कार्य हेतु लंबित
3	बिरा	विस्तार कार्य हेतु लंबित
4	ओडेकेरा	विस्तार कार्य हेतु लंबित
5	काशीगढ़	विस्तार कार्य हेतु लंबित
6	आमगांव	विस्तार कार्य हेतु लंबित
7	कचन्दा	विस्तार कार्य हेतु लंबित
8	माल्दा	विस्तार कार्य हेतु लंबित
9	पीहरीद	विस्तार कार्य हेतु लंबित
10	बडे सीपत	विस्तार कार्य हेतु लंबित
11	किकिरदा	विस्तार कार्य हेतु लंबित
12	भोथिया	विस्तार कार्य हेतु लंबित
13	पोडी शंकर	विस्तार कार्य हेतु लंबित
14	सीलादेही	विस्तार कार्य हेतु लंबित
15	लखुरी	विस्तार कार्य हेतु लंबित
16	कपिस्दा	विस्तार कार्य हेतु लंबित
17	सेमरिया	विस्तार कार्य हेतु लंबित
18	तालदेवरी	विस्तार कार्य हेतु लंबित

## परिशिष्ट "इकत्तीस"

[ अतारकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 223) की जानकारी ]

प्रश्न संख्या	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परिणामना का नाम	भवन विहीन भागानबाड़ी केन्द्रों की संख्या	आयुक्तिक विभाग के अधीन कार्यवाही केन्द्रों की संख्या	विभाग के अधीन कार्यवाही केन्द्रों की संख्या	विभाग के अधीन कार्यवाही केन्द्रों की संख्या	विभाग के अधीन कार्यवाही केन्द्रों की संख्या
1	कवर्धा	कवर्धा	72	55	121	4	7
2		दशरंगपुर	14	6	80	2	1
3		बोडला	32	37	192	0	6
4		तरंगाव जंगल	12	14	85	3	2
5		चित्फी	6	32	121	2	1
6	सरसपुर लोहार	सरसपुर लोहार	12	62	81	0	1
	योग		148	236	660	9	12

## परिशिष्ट "बत्तौस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 232) के भाग (क) से (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

वर्ष 2014-15

जिसमें राशि स्वीकृत की गई	स्वीकृत राशि रु. में	मद जिनमें व्यय किया गया	व्यय राशि रु. में
1	2	3	4
महिला खेल प्रतियोगिता	100000	विकासखण्ड महिला खेल प्रतियोगिता आयोजन	100000
	80000	जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता	80000
ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	200000	विकासखण्ड ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजन	200000
	125000	जिला स्तर ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन	125000
	750000	राज्य स्तरीय ग्रामीण प्रतियोगिता का आयोजन	750000
	166000	राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता यात्रा भत्ता	166000
मैराथन दौड़	95000	विकासखण्ड मैराथन दौड़ आयोजन	95000
	55000	जिला मैराथन दौड़ का आयोजन एवं राज्य स्तरीय मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता एवं किट वितरण	55000
ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास	945000	विकासखण्ड ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास खेल अभ्यास सामग्री, व्यायाम शिक्षक मानदेय	945000
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	140000	ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	140000
खेल दिवस	25000	राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजन	25000
	75000	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव आयोजन	75000
	50000	जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजन	50000
युवा कल्याण गतिविधि	30000	अंतर शालेय जिला स्तरीय लोकनृत्य/भाषण प्रतियोगिता	30000
	30000	स्वतंत्रता दौड़ आयोजन	30000
	30000	एक शाम शहीदों के नाम राष्ट्रभक्ति गीतों का आयोजन	30000
	11000	राज्य स्तरीय युवा उत्सव लोक नृत्य यात्रा भत्ता	11000
खेल वृत्ति	93000	खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति का भुगतान	93000
खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता	34250	विकासखण्ड स्तर से जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता भुगतान	25800
खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता	63000	विकासखण्ड स्तर से जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता भुगतान	40000
खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता	90000	जिला स्तर से राज्य स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता भुगतान	50000

## वर्ष 2015-16

मद जिसमें राशि स्वीकृत की गई	स्वीकृत राशि रु. में	मद जिनमें व्यय किया गया	व्यय राशि रु. में
1	2	3	4
महिला खेल प्रतियोगिता	100000	विकासखण्ड महिला खेल प्रतियोगिता आयोजन	100000
	84000	जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन	84000
	34250	जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता हेतु यात्रा भत्ता प्रदाय	34250
	41500	राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता हेतु यात्रा भत्ता प्रदाय	25378

	2	3	4
ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	200000	विकासखण्ड ग्रामीण खेल प्रतियोगिता आयोजन	200000
	79000	राज्य स्तरीय ग्रामीण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता प्रदाय	58000
	900000	राज्य स्तरीय ग्रामीण प्रतियोगिता का आयोजन	900000
	214000	राष्ट्रीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, अन्य व्यय	131960
मैराथन दौड़	95000	विकासखण्ड मैराथन दौड़ आयोजन	95000
	51000	जिला स्तरीय मैराथन आयोजन किट एवं राज्य स्तरीय मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता एवं किट वितरण	51000
	15000	राज्य स्तरीय मैराथन दौड़ में खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता	15000
ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास	949800	ग्रामीण क्षेत्र खेल अभ्यास हेतु खेल अभ्यास सामग्री क्रय एवं व्यायाम शिक्षक मानदेय भुगतान	949800
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	140000	ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	140000
	100000	जिम सामग्री का क्रय	100000
खेल दिवस	25000	राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजन	25000
ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	125000	जिला स्तर ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन	125000
युवा कल्याण गतिविधि	75000	विकासखण्ड युवा उत्सव आयोजन	75000
	50000	जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजन	50000
	30000	जिला स्तरीय अंतर शालेय लोक नृत्य, भाषण प्रतियोगिता आयोजन	30000
	30000	स्वतंत्रता दौड़ आयोजन	30000
	40000	राज्य स्तरीय युवा उत्सव यात्रा किराया भत्ता	40000
खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता	34250	विकासखण्ड स्तर से जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा किराया भुगतान	25800
	41500	जिला स्तर से राज्य स्तर महिला खेल प्रतियोगिता यात्रा भत्ता	25378
	63250	विकासखण्ड स्तर से जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का यात्रा भत्ता भुगतान	62930
	74000	जिला स्तर से राज्य स्तर ग्रामीण खेल प्रतियोगिता हेतु यात्रा भत्ता	58000
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने खिलाड़ियों को किट प्रदाय	76400	राष्ट्रीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किट प्रदाय	76400
खेल वृत्ति	78600	खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति का भुगतान	78600

## प्रपत्र "ब"

वर्ष 2014-15

तिथि, जब आयोजन कराया गया	स्थान, जहाँ आयोजन कराया गया	आयोजन का नाम	आयोजन में व्यय राशि
1	2	3	4
17.10.2014	ग्राम साहू वि.ख. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
09.10.2014	शा.उ.मा.वि. बामरा वि.ख. गुण्डरदेही	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
15.10.2014	शा.उ.मा.वि. गुरुर वि.ख. गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
13.10.2014	ग्राम संजारी, वि.ख. डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
19.10.2014	ग्राम कनेवाड़ा वि.ख. बालोद	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
17.12.2014	शा.उ.मा. वि. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	40000
29.11.2014	शा.उ.मा.वि. गुण्डरदेही	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	40000
29.11.2014	शा.उ.मा.वि. गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	40000
29.11.2014	ग्राम भरनागाट, वि.ख. डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	40000
11.12.2014	ग्राम कनेवाड़ा, वि.ख. बालोद	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	40000
05.12.2016	शहीद मैदान दत्तोराजहरा वि.ख. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रति.	19000
24.02.2014	गुण्डरदेही चौक	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रति.	19000
04.10.2014	गुरुर चौक, गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रति.	19000
05.08.2014	संजारी चौक, वि.ख. डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रति.	19000
06.09.2014	झलमला चौक, बालोद	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रति.	19000
07.12.2014	शा.बा.उ.मा.वि. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
02.12.2014	शा.उ.मा.वि. गद्दी, वि.ख. गुण्डरदेही	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
01.12.2014	हाई स्कूल कोचेरा, गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
07.12.2014	पूर्व गा.शा. संजारी मंज, डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
04.12.2014	कनेवाड़ा, वि.ख. बालोद	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000

वर्ष 2015-16

तिथि, जब आयोजन कराया गया	स्थान, जहाँ आयोजन कराया गया	आयोजन का नाम	आयोजन में व्यय राशि
1	2	3	4
26.09.2015	ग्राम ठोरीठोमा, वि.ख. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
16.11.2015	महाविद्यालय अर्जुदा, वि.ख. गुण्डरदेही	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
22.09.2015	शा.उ.मा.वि. गुरुर, वि.ख. गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
24.09.2015	ग्राम खर्गा, वि.ख. डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
21.09.2016	ग्राम कनेवाड़ा, वि.ख. बालोद	विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रति.	20000
10.12.2015	भरीटोला, वि.ख. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	35000
16.12.2015	शा.उ.मा.वि. ईरामुड़ा, वि.ख. गुण्डरदेही	विकासखण्ड स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रति.	35000

1	2	3	4
11.12.2015	शा.उ.मा.वि. गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय प्राथमिक खेल कूद प्रतियोगिता	35000
12.12.2015	ग्राम कदमरा, वि.ख. डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय प्राथमिक खेल कूद प्रतियोगिता	35000
21.12.2015	ग्राम कन्नवाडा, वि.ख. बालोद	विकासखण्ड स्तरीय प्राथमिक खेल कूद प्रतियोगिता	35000
19.09.2015	शहीद मैदान दल्लौराजहान वि.ख. डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता	19000
17.09.2015	गुण्डरदेही चौक	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता	19000
25.09.2015	गुरुर चौक, गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता	19000
18.09.2015	पूर्व मा. शा. गंडेरा मैदान, वि.ख. डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता	19000
22.09.2015	झलमला चौक, बालोद	विकासखण्ड स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता	19000
16.12.2015	शा.उ.मा. वि. भरीटोला, विकासखण्ड डौण्डी	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
22.12.2015	शा.उ.मा.वि. कोडारसंकरी वि.ख. गुण्डरदेही	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
26.12.2015	पूर्व मा.शा. ग्राम पंचायत कोचेरा, विकासखण्ड गुरुर	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
08.12.2015	ओसवाल भवन, डौण्डीलोहारा	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000
09.12.2015	शा.मा.शाला, कन्नवाडा, विकासखण्ड बालोद	विकासखण्ड स्तरीय युवा उत्सव	15000

## परिशिष्ट "तैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 242) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी ]

योजना का नाम	वर्ष 2014-15			वर्ष 2015-16			वर्ष 2016-17 (मई 2016 तक)		
	मद जिसमें राशि आबंटित की गई है	आबंटित राशि रूपयों में	मद जिनमें व्यय किया गया	मद जिसमें राशि आबंटित की गई है	आबंटित राशि रूपयों में	मद जिनमें व्यय किया गया	मद जिसमें राशि आबंटित की गई है	आबंटित राशि रूपयों में	मद जिनमें व्यय किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	180000	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	180000	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर	225000	ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर
युवक कल्याण गतिविधियाँ	विकासखण्ड मैराथन दौड़	133000	विकासखण्ड मैराथन दौड़	खेल दिवस का आयोजन	25000	खेल दिवस का आयोजन			
	जिला मैराथन दौड़	84000	जिला मैराथन दौड़	जिला स्तरीय लोकनृत्य एवं तात्कालिक भाषण	30000	जिला स्तरीय लोकनृत्य एवं तात्कालिक भाषण			
	खेल दिवस का आयोजन	25000	खेल दिवस का आयोजन	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव	155000	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव			
	जिला स्तरीय लोकनृत्य एवं तात्कालिक भाषण	30000	जिला स्तरीय लोकनृत्य एवं तात्कालिक भाषण	देशभक्ति गीत आयोजन	80000	देशभक्ति गीत आयोजन			
	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव	155000	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय युवा उत्सव						
	देशभक्ति गीत आयोजन	80000	देशभक्ति गीत आयोजन						
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	खेल वृत्ति	48000	खेल वृत्ति	विकासखण्ड मैराथन दौड़	133000	विकासखण्ड मैराथन दौड़			
				जिला मैराथन दौड़	59500	जिला मैराथन दौड़			
				खेल वृत्ति	53400	खेल वृत्ति			
महिला खेलकूद प्रतियोगिता	विकासखण्ड एवं जिला महिला खेल प्रतियोगिता	260000	विकासखण्ड एवं जिला महिला खेल प्रतियोगिता	विकासखण्ड एवं जिला महिला खेल प्रतियोगिता	271950	विकासखण्ड एवं जिला महिला खेल प्रतियोगिता			
ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	455000	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता	420000	विकासखण्ड एवं जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता			
	ग्रामीण क्षेत्र खेल अभियान	1323000		ग्रामीण क्षेत्र खेल अभियान	1331400				
सिविल सर्विसेस खेल				सिविल सर्विसेस प्रतियोगिता	50000	सिविल सर्विसेस प्रतियोगिता			

परिशिष्ट "चौंतीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 246) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

रायपुर जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित केन्द्र		स्वयं के भवन विहीन - केन्द्र		स्वयं के भवन विहीन केन्द्रों के संचालन हेतु की गई व्यवस्था					
		आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	किराये के भवनों की संख्या		अन्य शासकीय भवनों की संख्या		सामुदायिक सहयोग के भवनों की संख्या	
						आं.बा. केन्द्रों की संख्या	मिनी आं.बा. केन्द्रों की संख्या	आं.बा. केन्द्रों की संख्या	मिनी आं.बा. केन्द्रों की संख्या	आं.बा. केन्द्रों की संख्या	मिनी आं.बा. केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अभनपुर	347	16	99	12	71	8	0	4	28	0
2	आरंग	371	0	72	0	45	0	21	0	6	0
3	बलौदाबाजार	130	0	18	0	13	0	3	0	2	0
4	धरसीवा	361	0	25	0	14	0	7	0	4	0
5	रायपुर ग्रामीण	233	0	147	0	112	0	8	0	27	0
6	रायपुर दक्षिण	148	0	115	0	104	0	8	0	3	0
7	रायपुर पश्चिम	131	0	108	0	81	0	9	0	18	0
8	रायपुर उत्तर	104	0	97	0	91	0	5	0	1	0
	योग	1825	16	681	12	531	8	61	4	83	0

## परिशिष्ट "पैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 247) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

## सुरक्षा निधि आंकलन के मानदण्ड

(अ) नये उपभोक्ता हेतु नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार आंकलित खपत के आधार पर सुरक्षा निधि प्राप्त करने का प्रावधान है :-

क्र	उपभोक्ता का संवर्ग	30 दिवस की खपत का आंकलन की प्रक्रिया	सुरक्षा निधि की मांग
1	2	3	4
1	घरेलू	140 यूनिट प्रति किलोवॉट तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 250 वॉट अंश के लिए 35 यूनिट प्रति 250 वॉट के मान से	कॉलम (3) में दर्शाये अनुसार आंकलित यूनिटों पर देय बिजली की राशि के समतुल्य राशि
2	गैर घरेलू	140 यूनिट प्रति किलोवॉट तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 250 वॉट अंश के लिए 35 यूनिट प्रति 250 वॉट के मान से	
3	वाटर वर्क्स	150 यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा 110 यूनिट प्रति हॉर्स पावर के मान से	
4	औद्योगिक	270 यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा 200 यूनिट प्रति हॉर्स पावर के मान से	
5	कृषि	120 यूनिट प्रति हॉर्स पावर के मान से	
6	सड़क बत्ती	150 यूनिट प्रति हॉर्स पावर के मान से	
7	अति उच्चदाब	420 यूनिट प्रति किलोवॉट अथवा 380 यूनिट प्रति केव्हीए मान से	

प्रपत्र "ब"

## सुरक्षा निधि आंकलन के मानदण्ड

विद्यमान कनेक्शन अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा नीचे तालिका में उनके समक्ष दर्शाई अवधि के संमान्तर औसत मासिक खपत पर प्रभावशील टेरिफ के मान से उनके समक्ष दर्शाई अवधि हेतु आंकलित राशि की समतुल्य राशि सुरक्षा निधि के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान है :-

क्र	उपभोक्ता का संवर्ग	खपत की अवधि	टीप
1	2	3	4
1	कृषि सिंचाई पम्प	90 दिन	अतिरिक्त सुरक्षा निधि की मांग उपभोक्ता को माह नवंबर में जारी विद्युत देयक में सम्मिलित की रहती है।
2	स्टोन क्रशर एवं हॉट मिक्स प्लांट	90 दिन	
3	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के स्वामित्व के पुष्टि हेतु विधि सम्मत रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करते हैं।	90 दिन	
4	अन्य उपभोक्ता जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित नहीं	60 दिन	

नोट— उपरोक्तानुसार आंकलित सुरक्षा निधि की राशि यदि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के पास जमा सुरक्षा निधि से 20 प्रतिशत अधिक होने पर आधिक्य राशि की मांग की जाती है और 20 प्रतिशत से कम होने पर सुरक्षा निधि की राशि वापस की जाती है।

परिशिष्ट "छत्तीस"  
[ अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 251) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

क्रं.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त दुर्घटना से मृत्यु के प्रकरण की संख्या	दुर्घटना में चिकित्सा हेतु प्राप्त प्रकरण की संख्या
01	जगदलपुर	जगदलपुर	1	निरंक
		बकावण्ड	1	
02	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक
03	कांकेर	कांकेर	निरंक	01
04	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक
05	कोण्डागांव	कोण्डगांव	01	निरंक
06	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक
07	दन्तेवाड़ा	गीदम	02	
	योग		05	01

प्रपत्र "ब"

क्र.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त दुर्घटना से मृत्यु के प्रकरण की संख्या	व्यय			दुर्घटना में चिकित्सा हेतु प्राप्त प्रकरण की संख्या	व्यय
				मुआवजा राशि	अत्येष्टि सहायता	योग		
01	जगदलपुर	जगदलपुर	1	1,00,000	5,000		निरंक	
		बकावण्ड	1	1,00,000	0			
02	बीजापुर	निरंक						
03	कांकेर	कांकेर	निरंक				01	3,358
04	नारायणपुर	निरंक						
05	कोण्डागांव	कोण्डागांव	01	1,00,000	5,000		निरंक	
06	सुकमा	निरंक						
07	दन्तेवाड़ा	गीदम	02	2,00,000	10,000			
	<b>योग</b>		<b>05</b>	<b>5,00,000</b>	<b>20,000</b>		<b>01</b>	<b>3,358</b>

## परिशिष्ट "सैंतीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 254) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

## प्रदेश में संचालित शासकीय विद्युत संयंत्र की क्षमतावार सूची

क्रमांक	विद्युत संयंत्र का नाम एवं पता	क्षमता	शासकीय
01.	मेसर्स एनटीपीसी कंपनी लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा, जिला-कोरबा	2600 मेगावाट	केन्द्र शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
02.	मेसर्स सीपत सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी लिमिटेड सीपत, जिला-बिलासपुर	2980 मेगावाट	केन्द्र शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
03.	मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई पीपी-1	51 मेगावाट	केन्द्र शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
04.	मेसर्स एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई पीपी-2	74 मेगावाट	केन्द्र शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
05.	मेसर्स एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई पीपी-3	500 मेगावाट	केन्द्र शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
06.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, कोरबा, जिला कोरबा	440 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
07.	डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, मेसर्स राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, बुधवारी, कोरबा, जिला कोरबा	500 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
08.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पश्चिम, कोरबा, जिला कोरबा	1340 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
09.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, मडवा, जिला- जांजगीर चांपा	500 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (थर्मल कोयला आधारित)
10.	मेसर्स कवर्धा को-जनरेशन प्रायवेट लिमिटेड, भोरमदेय, जिला-कवर्धा	06 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (कोजेन-थर्मल)
11.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, गंगरेल, जल विद्युत संयंत्र, जिला-धमतरी	10 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (जल विद्युत)
12.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, सिकासार, जल विद्युत संयंत्र, गरियाबंद	07 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (जल विद्युत)
13.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पश्चिम, लघु जल विद्युत गृह कोरबा	1.7 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (जल विद्युत)
14.	मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र, माघाटोली कोरबा	120 मेगावाट	राज्य शासन के अंतर्गत (जल विद्युत)
15.	मेसर्स केडा सोलर पॉवर प्लांट, मंत्रालय, नया रायपुर	1.1 मेगावाट	शासकीय (सोलर पावर प्लांट)

प्रपत्र "ब"

प्रदेश में मिलियन यूनिट में उत्पादित बिजली की संस्थावार, वर्षवार जानकारी

क्र	विद्युत संयंत्र का नाम एवं पता	क्षमता	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल उत्पादन (मि.यू.)
1.	मेसर्स एनटीपीसी कंपनी लिमिटेड, जमनीपाली, कोरबा, जिला-कोरबा	2600 मेगावाट	17,867.46	19,429.97	18,720.10	18,997.59	75,015.12
2.	मेसर्स सीपत सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी लिमिटेड सीपत, जिला-बिलासपुर	2980 मेगावाट	14,127.57	18,155.54	20,500.47	20,833.73	73,617.31
3.	मेसर्स भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई पीपी-1	51 मेगावाट	184.58	195.50	169.32	172.71	722.11
4.	मेसर्स एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई पीपी-2	74 मेगावाट	611.21	600.16	526.45	377.61	2,115.43
5.	मेसर्स एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी प्रायवेट लिमिटेड, भिलाई पीपी-3	500 मेगावाट	4,029.76	1,864.63	2,920.73	3,549.64	12,364.76
6.	मेसर्स डेवा सोलर पॉवर प्लांट, मन्ना, रायपुर	1.1 मेगावाट	0.72	1.61	1.59	1.48	5.4
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन संयंत्र	2924.70 मेगावाट	12,465.98	12,863.54	15,931.29	15,603.91	56,864.72
		कुल	49,287.28	53,110.95	58,769.95	59,536.67	2,20,704.85

## परिशिष्ट "अड़तीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 255) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति तथा विभागीय जांच के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

भारतीय प्रशासनिक सेवा

क0	अधिकारी का नाम	अभियोजन स्वीकृति	विभागीय जांच
1.	श्री एन. एस. मण्डावी भा.प्र.से.		श्री एन.एस. मण्डावी के विरुद्ध विभागीय जांच दिनांक 08.04.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् शारान द्वारा अन्तिम निर्णय सहायति हेतु प्रकरण दिनांक 15.06.2015 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा श्री मण्डावी के अभ्यावेदन पर निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 21.07.2015 को वापिस किया गया। अभ्यावेदन पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

## प्रपत्र "ब"

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध स्वीकृति तथा विभागीय जांच के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

## क- अभियोजन स्वीकृति

क्र.	अधिकारी का नाम	अभियोजन स्वीकृति
1.	श्री राजेश कुमार चंदेले (भा.व.से. : 2004)	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर द्वारा अभियोजन स्वीकृति सितम्बर-2015 में चाही गई है। राज्य शासन द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

## विभागीय जांच :-

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रकरण में की गई कार्यवाही
1.	श्री राकेश चतुर्वेदी (भा.व.से. : 1985)	श्री राकेश चतुर्वेदी एवं श्री एस.एस.डी. बड़गैया के विरुद्ध विभागीय जांच दिनांक 30.07.2011 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड के संबंध में लिये गये अनंतिम निर्णय पर अंतिम निर्णय प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 03.12.2014 को प्रेषित किया गया। आयोग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करने के लिये राज्य सरकार को प्रकरण वापस किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलन में है।
2.	श्री एस.एस.डी. बड़गैया (भा.व.से. : 1997)	विभागीय जांच दिनांक 28.07.2011 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड के संबंध में लिये गये अनंतिम निर्णय पर अंतिम निर्णय प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 03.12.2014 को प्रेषित किया गया। आयोग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करने के लिये राज्य सरकार को प्रकरण वापस किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलन में है।
3.	श्री हेमंत कुमार पण्डेय (वर्तमान में सेवा निवृत्त)	विभागीय जांच दिनांक 02.08.2011 को पूर्ण होने के होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित दण्ड के संबंध में लिये गये अनंतिम निर्णय पर अंतिम निर्णय प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 03.12.2014 को प्रेषित किया गया। आयोग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करने के लिये राज्य सरकार को प्रकरण वापस किया गया है। प्रकरण पर कार्यवाही प्रचलन में है।
4.	श्री अमरनाथ प्रसाद (भा.व.से. : 1998)	विभागीय जांच दिनांक 02.03.2016 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रकरण में अनंतिम निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5.	श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल (भा.व.से. : 1983)	विभागीय जांच दिनांक 09.07.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रकरण में अनंतिम निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6.	श्री एम. गोविन्द राव (भा.व.से. : 1999)	विभागीय जांच दिनांक 09.07.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रकरण में अनंतिम निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.	श्री एस.सी. रहटगांवकर (भा.व.से. : 1987)	<p>विभागीय जांच दिनांक 13.12.2010 को पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा लिये गये अनंतिम निर्णय पर अंतिम निर्णय प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को दिनांक 03.06.2013 को प्रेषित किया गया। प्रस्ताव पर आयोग द्वारा आपत्ति लिये जाने पर आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः दिनांक 14.08.2014 को प्रेषित किया गया। जिसमें आयोग द्वारा पुनः आपत्ति लिये जाने पर पुनरीक्षित प्रस्ताव दिनांक 03.12.2014 को आयोग के समक्ष अभिमत हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर पुनः आयोग के निर्देश पर दिनांक 09.04.2015 को परिमार्जित जांच प्रतिवेदन प्राप्त पुनः दिनांक 06.02.2016 अभिमत हेतु प्रस्तुत किया गया। आयोग द्वारा प्रकरण के कुछ बिन्दुओं पर पुनः आपत्ति लेते हुए पत्र दिनांक 07.03.2016 के माध्यम से संपूर्ण प्रकरण वापस किया गया। आपत्तियों के पश्चात् प्रस्तावित दंड के संबंध में अनंतिम निर्णय लेते हुए अंतिम निर्णय भारत सरकार से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।</p>
----	--	--

प्रपत्र "स"

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति तथा विभागीय जांच के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

### भारतीय पुलिस सेवा

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का कोई अभियोजन स्वीकृति/विभागीय जांच संबंधी प्रकरण प्रक्रियाधीन नहीं है।

## परिशिष्ट "उनचालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 258) के भाग (क) की जानकारी ]

विधानसभ अतारंकित प्रश्न क्रमांक - 258 ]

लोक सुराज अभियान, 2016 में प्राप्त, निराकृत शिकायतों की जानकारी

क्रमांक	जिला का नाम	शिकायतों की जानकारी		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित
1	बस्तर	0	0	0
2	उ.ब.कांकेर	159	41	118
3	द.ब.दंतेवाड़ा	8	3	5
4	कोण्डागांव	21	14	7
5	बीजापुर	0	0	0
6	नारायणपुर	1	0	1
7	सुकमा	4	0	4
8	धिलासपुर	481	374	107
9	मुंगेली	96	34	62
10	कोरबा	410	104	306
11	जंजगीरचाम्पा	711	302	409
12	रायगढ़	290	74	216
13	रायपुर	77	16	61
14	बलौदाबाजार भाटापारा	283	126	157
15	गरियाबंद	132	29	103
16	दुर्ग	1672	698	974
17	बालोद	12	3	9
18	बेमेतरा	93	32	61
19	कबीरधाम	87	70	17
20	महासमुंद	223	168	55
21	राजनांदगांव	747	569	178
22	धमतरी	28	9	19
23	सरगुजा	26	26	0
24	सूरजपुर	595	469	126
25	बलरामपुर रामानुजगंज	129	66	63
26	कोरिया	386	116	270
27	जशपुर	75	66	9
	कुल योग :-	6746	3409	3337

## परिशिष्ट "चालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 259) के भाग (क) की जानकारी ]

क्रमांक	जिले का नाम	प्रदेश में संचालित आगनवाड़ी कन्ट्रा की संख्या जो विद्युत विहीन है
1	2	3
1	बालोद	1110
2	बलौदाबाजार	1400
3	बलरामपुर	1487
4	बस्तर	1787
5	बेमेतरा	922
6	बीजापुर	1033
7	बिलासपुर	2239
8	दंतेवाड़ा	853
9	धमतरी	77
10	दुर्ग	718
11	गरियाबंद	1017
12	जाजगीर	1714
13	जशपुर	2878
14	कांकेर	1344
15	कवर्धा	1349
16	कोण्डागोव	1242
17	कोरबा	2192
18	कोरिया	1300
19	महासमुंद	207
20	मुंगेली	769
21	नारायणपुर	192
22	रायगढ़	2281
23	रायपुर	1300
24	राजनांदगोव	1536
25	सरगुजा	1510
26	सुकमा	818
27	सूरजपुर	1090
योग		34365

## परिशिष्ट "इक्वालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 263) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क	जिला का नाम	जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगत प्रतिवेदन के आधार पर)
1	बालोद	13559
2	बलोदाबाजार	25867
3	बलरामपुर	25830
4	बस्तर	30389
5	बेमेतरा	14523
6	बीजापुर	11504
7	बिलासपुर	35209
8	दंतेवाड़ा	7966
9	धमतरी	7105
10	दुर्ग	23315
11	गरियाबंद	14649
12	जांजगीर	27624
13	जशपुर	20437
14	कांकर	13961
15	कवर्धा	23656
16	कोण्डागांव	19899
17	कोरबा	22732
18	कोरिया	9106
19	महासमुन्द	20711
20	मुंगेली	15413
21	नारायणपुर	4203
22	रायगढ़	28803
23	रायपुर	29589
24	राजनांदगांव	34010
25	सरगुजा	13762
26	सुकमा	12452
27	सूरजपुर	20451

## प्रपत्र "ब"

क.	जिले का नाम	विधानसभा का नाम	वर्ष 2014-15 में		वर्ष 2015-16 में	
			आबंटित राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)	आबंटित राशि (रुपये में)	व्यय राशि (रुपये में)
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1091243	863418	1689719	1546300
2		डोंगरगढ़	1566648	1406591	1807315	1706303
3		डोंगरगांव	1442844	1361190	1533743	1479684
4		खुज्जी	1784766	1497230	2410578	2214579
5		खैरागढ़	994048	745081	1169275	1020242
6		मोहला-मानपुर	2058292	1728139	2477688	2243192
योग			8937841	7601649	11088318	10210300

## परिशिष्ट "बयालीस"

[ अतारकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 284) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

प्रदेश में संचालित अशासकीय वृद्धाश्रम एवं हितग्राहियों की संख्या

क्र.	जिला का नाम (जहां वृद्धाश्रम संचालित है)	वृद्धाश्रमों की संख्या	हितग्राही संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	02	58
2	बिलासपुर	01	60
3	दुर्ग	01	38
4	राजनादगांव	02	74
5	रायगढ़	02	87
6	बस्तर	01	12
7	जांजगीर-चांपा	01	25
8	दतेवाड़ा	01	19
9	बेमेतरा	01	08
10	कांकेर	01	12
11	कबीरघाम	01	10
12	कोरिया	01	10
13	कोरबा	01	28
14	सरगुजा	01	21
15	बालोद	01	10
16	धमतरी	01	12
	<b>योग</b>	<b>19</b>	<b>484</b>

वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धों को दी जाने वाली सुविधाएं एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्थाएं

वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाएं :-

1. अन्तःवासियों को चाय-नाश्ता, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, दवाईयां, तेल, साबुन आदि।
2. मनोरंजन, खेल, पत्र-पत्रिकाएं, टेलीविजन आदि सुविधाएं।
3. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
4. प्रत्येक अन्तःवासी के लिए पृथक-पृथक बिस्तर, पलंग, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था।
5. वृद्धाश्रम भवन परिसर में बगीचा।
6. वृद्धाश्रम में पुरुष एवं महिला अन्तःवासियों के लिए पृथक बाधारहित टॉयलेट।
7. वृद्धाश्रम में अन्तःवासियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
8. भवन में पर्याप्त रोशनी, शीतल जल एवं बैठने के लिए आराम दायक फर्नीचर।
9. अन्तःवासी की मृत्यु पर उनके धर्म के अनुसार अन्त्येष्टी की जा सकेगी, बशर्ते उनके परिवार का कोई भी सदस्य मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर शव प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होते।

संयुक्त/उप संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उक्त सुविधाओं की मॉनिटरिंग की जाती है।

## परिशिष्ट "तिरालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 287) के भाग (ख) की जानकारी ]

क्रं.	विकासखंड का नाम	सामान्य मृत्यु के प्रकरण	दुर्घटना से मृत्यु के प्रकरण	शेष
1	बलौदाबाजार	534	01	535
2	भाटापारा	69	00	69
3	बिलाईगढ	1301	02	1303
4	कसडोल	776	0	776
5	पलारी	274	01	275
6	सिमगा	50	00	50
	कुल	3004	04	3008

## परिशिष्ट "चवालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 299) के भाग (क) की जानकारी ]

आरंग विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत घरेलू/कृषि कार्य हेतु सोलर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्वीकृति के संबंध में

सोलर सिंचाई पंप

क्र.	वर्ष	हितग्राही/संस्था	विकास खंड	जिला	विधानसभा क्षेत्र	उपयोग	क्षमता (कि.वा.)	स्थिति
1	2014-15	श्री. राजेश चक्रे जलन केन्द्र, सराभा रायपुर	तेल्हा	रायपुर	बलीदावाजार	सार्वजनिक उपयोग	3	कार्यशील
2	2015-16	श्री. लक्ष्मणराव अग्रवाल ग्राम-गोशाली, आरंग रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
3	2015-16	श्री. चन्द्रा चन्दाकर ग्राम-मुजगहन, रंजवहार रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
4	2015-16	श्रीमती नीलिमा मंडीया, मंदिरहसौद, आरंग रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
5	2015-16	श्रीमती माया जसवानी, धनसुली	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
6	2015-16	श्री. राजेश अग्रवाल, ग्राम-दुसरा, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
7	2015-16	श्री. किशोर चन्दाकर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
8	2015-16	श्री. लालकृष्ण कुमार साहू, ग्राम-भिलाई, आरंग रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	4.8	कार्यशील
9	2015-16	श्री. पवन कुमार टाक, ग्राम-गिधवा, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	4.8	कार्यशील
10	2015-16	श्रीमती साधना चन्दाकर ग्राम-पारागाव	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	4.8	कार्यशील
11	2015-16	श्री. युगबोध अग्रवाल, ग्राम-मुनगी, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	कार्यशील
12	2015-16	श्री. मंगलराम डीवर, ग्राम चरोदा	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	4.8	कार्यशील
13	2015-16	श्रीमति सपना द्विवेदी, ग्राम झोडी	आरंग	रायपुर	आरंग	कृषि कार्य हेतु	3	संयंत्र स्थापनाधीन

सोलर पावर प्लांट

क्र.	वर्ष	हितग्राही/संस्था	विकास खंड	जिला	विधानसभा क्षेत्र	उपयोग	क्षमता (कि.वा.)	स्थिति
1	2013-14	ग्राम-कटिया, आरंग रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	घरेलू उपयोग	1	कार्यशील
2	2013-14	मेसर्स हेमंत कुमार, आरंग, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	घरेलू उपयोग	1	कार्यशील
3	2013-14	मेट्रस टॉवर, आरंग, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	वाणिज्यिक उपयोग	100	कार्यशील
4	2014-15	श्री. द्वारिका दास गुरु, भंडारपुरी, आरंग, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	घरेलू उपयोग	1	कार्यशील
5	2014-15	श्री. रोशन फनडे, ग्राम-गोडी मंदिरहसौद, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	घरेलू उपयोग	1	कार्यशील
6	2015-16	श्री. तारकेश्वर वर्मा, म.नं. 291, भाटापार आरंग नरदहा, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	घरेलू उपयोग	2	कार्यशील
7	2015-16	श्री. महेश कुमार देवांगन, नेताजी चौक, आरंग, रायपुर	आरंग	रायपुर	आरंग	घरेलू उपयोग	1	कार्यशील

## परिशिष्ट "पेंतालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 300) के भाग (क) की जानकारी ]

आरंग विधानसभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युतीकरण हेतु शामिल ग्रामों के बसाहटों की सूची

ग्राम का क्र.	ग्राम का नाम	जनगणना कोड	बसाहटों के क्र.	बसाहटों का नाम	जनगणना कोड
1	परसवानी	444422	1	परसवानी	444422-001
2	लन्जा	444423	2	लन्जा	444423-001
3	मजितहा	444424	3	मजितहा	444424-001
4	खोरसी	444425	4	खोरसी	444425-001
5	करमा	444427	5	करमा	444427-001
6	अछोली	444428	6	अछोली	444428-001
7	भैंसा	444429	7	भैंसा	444429-001
8	सेजा	444437	8	सेजा	444437-003
9	भंदर	444439	9	डबरीपारा	444439-003
10	केसला	444462	10	खासबस्ती	444462-002
11	चकवे	444466	11	खासबस्ती	444466-002
12	परसट्टी-1	444473	12	परसट्टी-1	444473-001
13	कलई	444487	13	कलई	444487-001
14	सोनपैरी-1	444523	14	खासबस्ती	444523-002
15	दरबा-1	444535	15	खासबस्ती	444535-001
16	कुरुद-2	444536	16	खासबस्ती	444536-001
17	गुजरा	444556	17	खासबस्ती	444556-002
18	रीवाँ	444559	18	डंगचगहापारा	444559-002
			19	खासबस्ती	444559-003
19	बरभाटा	444563	20	खासबस्ती	444563-001
20	गौरभाट	444584	21	गौरभाट	444584-001

## परिशिष्ट "छियालीस"

[ अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 308) के भाग (ख) की जानकारी ]

महासमुन्द जिले में स्थापित सोलर पावर प्लांट के टावरों एवं तारों के लिए मुआवजे के भुगतान की सूची

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
1	महेश राम नागवंशी	15000.00
2	नानक सिंह	15000.00
3	वेदराम निमार	30000.00
4	वेदराम निमार	30000.00
5	प्रीतम बाई	11500.00
6	सी.पी.चन्द्राकर	15000.00
7	इंद्रजीत साहू	15000.00
8	प्रेम साहू	15000.00
9	शेर सिंह भारती/कुदन चन्द्राकर	20000.00
10	रामप्रताप चन्द्राकर	100000.00
11	नरेश कुमार सिंह	15000.00
12	नेतराम बघेल	15000.00
13	घासू केवट	30000.00
14	ठाकुर राम डउसेना	30000.00
15	यशवंत मारकण्डे	12500.00
16	लक्ष्मीकांत निषाद	10000.00
17	सुंदर लाल इंसेना/दिनेश इंसेना	25500.00
18	परमानंद इंसेना	15000.00
19	भुवनेश्वर लाल	12000.00
20	दिनानाथ सोनवानी	11000.00
21	बसेत कुमार जांगड़े	16000.00
22	नाथूराम दीवान	11000.00
23	सतानंद कौसरिया	13000.00
24	भाबरमति साहू	9000.00
25	जगदीश राम साहू	18500.00
26	परसराम निषाद	15000.00
27	घनश्याम कुमार सेन	30000.00
28	दीपक कुमार अजय	20000.00
29	तिरथ कौसरिया	20000.00
30	जीतराम पटेल	15000.00
31	कोमल प्रसाद दीवान	12000.00

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रुपये में)
32	धनाराम दीवान	10000.00
33	नदाकुमार पटेल	13500.00
34	गौरसिंह पटेल	12000.00
35	रामेश्वरी बाई	16000.00
36	रिखीराम दीवान	10000.00
37	शंकर लाल दीवान	13500.00
38	तेनूराम साहू	50000.00
39	दिलीप कुमार साहू/भूषण लाल साहू	17000.00
40	जोगूराम साहू/सुनिता साहू/भुजबल यादव	19000.00
41	नाथूराम साहू/चुन्नीलाल साहू	18000.00
42	तुका राम साहू/लखन साहू	15000.00
43	सोनूराम साहू	13000.00
44	फगुनी बाई	13000.00
45	पंचराम कुमार	13000.00
46	सकुन बाई	16000.00
47	साहेबदास साहू	14000.00
48	युवराज राजपूत	15000.00
49	डुमार सिंह दीवान	7000.00
50	लुकेश कुमार दीवान	11000.00
51	योगेश दीवान/मानस दीवान/अंजली बाई	15500.00
52	प्यारेलाल दीवान	10000.00
53	चोपन दीवान	9500.00
54	छुन्नूराम/मानसिंग	8000.00
55	रामाधार निर्मलकर	13000.00
56	किसन/बलीकुमार	7000.00
57	हरिदर्शन मानकपुरी	7000.00
58	केशवराम निर्मलकर	11500.00
59	हिरजराम	5000.00
60	मो. नजीर/ब्यालराज/मो. रियाज	17000.00
61	रामनाथ चन्द्राकर/युवराज चन्द्राकर	13500.00
62	मुवन लाल साहू	7000.00
63	पानसिंह	12000.00
64	भरतलाल यादव	9000.00
65	पुष्कर बाई	10500.00

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
66	चिन्ताराम साहू/ जोहार लाल	9000.00
67	कतराम	1500.00
68	दशरथ दीवान	8200.00
69	सुखीबाई दीवान	7200.00
70	धनीराम निर्मलकर	13400.00
71	नाथूराम दीवान	14500.00
72	रमेश राम साहू	16000.00
73	रुखमणी दीवान	7000.00
74	नरेश राम साहू	11700.00
75	महेन्द्र साहू	9000.00
76	नागेशैया दीवान	12600.00
77	मनोज सिंह कंवर	11500.00
78	कुलेश्वर इंसेना	11700.00
79	प्रतिमा बाई	9500.00
80	राजेन्द्र सतनामी	9000.00
81	बलीकुमार दीवान	15300.00
82	डुमार दीवान	13100.00
83	नरेश दीवान	15200.00
84	इंद्रकुमार	11200.00
85	मनोहर दीवान	15000.00
86	निजाम दीवान	21800.00
87	घासीराम बैन	18800.00
88	हमीन बाई	15500.00
89	रिसी कुमार/ प्रेमलाल	14400.00
90	शोभा दीवान	17900.00
91	मुकेश दीवान	11600.00
92	पवन कुमार सरिया/ मरीज चौनबाई/ थानू दीवान	5700.00
93	प्रेमसिंह बेलदार	25300.00
94	धरमसिंह बेलदार	6800.00
95	नारायण राम	7800.00
96	अमेशी बाई	7300.00
97	ओमप्रकाश दीवान	8200.00
98	सगुन दीवान	3800.00
99	जानकी बाई	4800.00

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
100	चतुरसिंह साहू	24000.00
101	गोपाल कुमार दीवान	3200.00
102	नंदकुमार दीवान	1500.00
103	इंद्रकुमार दीवान	4800.00
104	गोपाल दीवान	2700.00
105	रिसी कुमार दीवान	2800.00
106	मनोहर दीवान	3000.00
107	निजाम दीवान	3500.00
108	गणेशी बाई	4900.00
109	कु. निषाद	5500.00
110	महेत्तर साहू	3800.00
111	पवन कुमार सहिस्त	7200.00
112	प्रीतम बाई	3500.00
113	सेवक राम दीवान	6400.00
114	पम्पी बाई	5400.00
115	जानकी बाई	9000.00
116	कन्हैया दीवान	5400.00
117	किसन दीवान	6600.00
118	सतबाई	3300.00
119	भगवान दीवान	8000.00
120	जगन्नाथ दीवान	16700.00
121	ओमप्रकाश दीवान	4600.00
122	पानसिंह	1500.00
123	चिन्ताराम साहू	16000.00
124	रानूलाल साहू	19000.00
125	गोपीनाथ दीवान	4000.00
126	मोकरन पटेल	13000.00
127	नकुल साहू	24000.00
128	जोहार लाल साहू	7500.00
129	जोहार लाल साहू	18000.00
130	प्रवीण डउसेना	4000.00
131	राजू गोड	6000.00
132	रवि धुव	3500.00
133	घासू निषाद	15000.00

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
134	अश्वनी चन्द्राकर	8000.00
135	मोदित धुव	1500.00
136	कांताप्रसाद	4000.00
137	नरोत्तम चन्द्राकर	1000.00
138	छमन लाल निषाद	4000.00
139	पुरुषोत्तम डडसेना	6000.00
140	अशोक ठाकुर	21000.00
141	दिसहत सतनामी	2000.00
142	ईश्वरी साहू	13000.00
143	कुदन धुवशी	3000.00
144	पवन डडसेना	28000.00
145	ईश्वरी राम साहू	1500.00
146	यशवत मारकण्डे / शैलेन्द्र मारकण्डे	2500.00
147	चुडामनी इसेना	2000.00
148	नंदकुमार	2500.00
149	शंकर लाल दीवान	2500.00
150	लोमूराम साहू	1500.00
151	सुनिता साहू	2000.00
152	तुका राम साहू	3500.00
153	महेश राम साहू	2500.00
154	महादेव दीवान	1200.00
155	अंजनी बाई	2000.00
156	ललित दीवान	4000.00
157	युवराज दीवान	3000.00
158	तोलेराम दीवान	1000.00
159	गोपीराम	900.00
160	मानसिंह	1200.00
161	धमरू	700.00
162	नारायण बेरिया	700.00
163	देबलाल	1500.00
164	धुरउलाल साहू	1500.00
165	नेत्रराम	1500.00
166	रामलखन साहू	500.00
167	पोनोराम	1000.00

क्रमांक	भूस्वामी का नाम	मुआवजा भुगतान की राशि (रूपये में)
168	शैलेश साहू	1500.00
169	पुष्पेन्द्र साहू	1000.00
170	भारत लाल यादव	2000.00
171	लकरवरी बाई	1400.00
172	सुरभल कंवर	1300.00
173	भारत लाल यादव	800.00
174	गोहन कंद	800.00
175	सुखराम	1500.00
176	धनश राम साहू	1100.00
177	बालोराम साहू	1200.00
178	चिन्ताराम साहू/जोहार लाल	1000.00
	योग	187200.00

## परिशिष्ट "सैंतालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 328) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी ]

## प्रपत्र "अ"

क्र.	जिले का नाम	कुल कितने कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया
1	बस्तर	13851
2	बालोद	13039
3	बलौदाबाजार	17371
4	बलरामपुर	16175
5	बेमेतरा	8765
6	बीजापुर	3617
7	बिलासपुर	9534
8	दन्तेवाड़ा	4364
9	धमतरी	4431
10	दुर्ग	15153
11	गरियाबंद	11308
12	जॉजगीर	16383
13	जशपुर	17380
14	काकर	9085
15	कबीरधाम	14096
16	कोण्डागांव	13786
17	कोरबा	11563
18	कोरिया	7884
19	महासमुद	15245
20	मुंगेली	4565
21	नारायणपुर	3557
22	रायगढ़	19050
23	रायपुर	18600
24	राजनादगांव	17769
25	सरगुजा	17140
26	सुकमा	8385
27	सूरजपुर	13863
	योग	32596

## प्रपत्र "ब"

सारल क्र.	हितग्राही का प्रकार	आयु वर्ग	प्रदायित पोषण आहार का नाम	पोषण आहार प्रदाय करने वाली संस्था का नाम	कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन (सप्ताह में छः दिन हेतु) प्रदाय की जाने वाली मात्रा (ग्राम में)	प्रति हितग्राही प्रदायित पोषण आहार का मूल्य (रूपये में)	प्रति कि.मी. ग्राम दर (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु प्रावधान	6 माह से 3 वर्ष	रेडी टू ईट	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	211	6.29	29.80
			मुरा लड्डू	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	40	2.00	50.00
		3 से 6 वर्ष	नाश्ता मेन्यू अनुसार	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	54 (औसत)	2.23	41.30 (औसत)
			गर्म भोजन	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	105	2.91	27.71
			रेडी टू ईट (अतिरिक्त रूप से)	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	85	2.53	29.80
			सुगंधित मीठा दूध	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित	100 एम.एल. (सप्ताह में एक दिन)	5.25	52.50 (समस्त कर सहित प्रति लीटर)
2.	सामान्य तथा मध्यम कुपोषित बच्चों हेतु प्रावधान	6 माह से 3 वर्ष	रेडी टू ईट	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	135	4.02	29.80
			मुरा लड्डू	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	20	1.00	50.00
		3 से 6 वर्ष	नाश्ता मेन्यू अनुसार	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	54 (औसत)	2.23	41.30 (औसत)
			गर्म भोजन	महिला स्वसहायता समूहों द्वारा	105	2.91	27.71
			सुगंधित मीठा दूध	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित	100 एम.एल. (सप्ताह में एक दिन)	5.25	52.50 (समस्त कर सहित प्रति लीटर)

## परिशिष्ट "अड़तालीस"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 346) के भाग (क) की जानकारी ]

वर्ष 2015 में प्राप्त शिकायत एवं उक्त शिकायतों में से दिनांक 20.06.2016 तक की स्थिति में लंबित मामलों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	प्राप्त शिकायतें	लंबित शिकायतें
1	रायपुर	149	87
2	महासमुंद	16	2
3	धमतरी	12	1
4	बलौदाबाजार	15	3
5	गरियाबंद	8	2
6	बिलासपुर	56	30
7	जाजगीर--चांपा	32	8
8	रायगढ़	38	8
9	कोरबा	24	2
10	मुंगेली	11	4
11	दुर्ग	77	30
12	राजनांदगांव	27	14
13	बालोद	24	7
14	बेमेतरा	4	3
15	कबीरघाम	11	5
16	सरगुजा	15	7
17	सूरजपुर	11	5
18	कोरिया	19	3
19	बलरामपुर	6	0
20	जशपुर	17	3
21	जगदलपुर	16	6
22	कांकेर	14	6
23	कोण्डागांव	9	5
24	नारायणपुर	1	1
25	दन्तेवाड़ा	7	4
26	सुकमा	4	2
27	बीजापुर	1	1
	कुल	624	249

## परिशिष्ट "उन्चास"

[ अतारकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 418) के भाग (क) की जानकारी ]

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की रिथति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रमाण प्रतिवेदन के आधार पर)
1	जाजगीर	सक्ती	सारागांव 1	1
2			सारागांव 2	0
3			सारागांव 3	0
4			सारागांव 4	0
5			सारागांव 5	2
6			सारागांव 6	0
7			सारागांव 7	2
8			सारागांव 8	0
9			सारागांव 9	0
10			देवरी 1	3
11			देवरी 2	2
12			अफरीद 1	2
13			अफरीद 2	2
14			अफरीद 3	2
15			अफरीद 4	2
16			सोटी 4	0
17			पिपरदा	16
18			सोटी 1	0
19			सोटी 2	0
20			सोटी 3	4
21			हथनेवरा 1	2
22			हथनेवरा 2	7
23			हथनेवरा 3	5
24			झरना 1	6
25			झरना 2	8
26			गिघौरी	11
27			मोहाडीह 1	11
28			मोहाडीह 2	10
29			कचदा	13
30			खमिया	12
31			कडारी 1	10
32			कडारी 2	5
33			मोडीकला	11
34			झीका	18
35			भुरकाडीह	7
36			दारंग 1	3
37			दारंग 2	2
38			लछनपुर 1	10
39			लछनपुर 2 मिनी	6

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
40			हनुमता	6
41			दरीबजर	13
42			पेटफोरवा	11
43			पोडीखुर्द	8
44			कडारी	6
45			हराभांठा	16
46			सरहर 1	5
47			सरहर 2	8
48			सरहर 3	6
49			भागोडीह	6
50			अमरूवा 1	6
51			अमरूवा 2	9
52			कुम्हारीखुर्द	9
53			बघौदा	8
54			कुम्हारीकला	6
55			नवागांव	17
56			सोनियपाठ	7
57			दरी	8
58			रिस्ता	3
59			परसापाली	5
60			कुम्हारीकला	3
61			चोरिया 1	4
62			चोरिया 2	4
63			चोरिया 3	4
64			चोरिया 4	3
65			चोरिया 5	2
66			चोरिया 6	5
67			चोरिया 7	0
68			संजयग्राम 1	0
69			संजयग्राम 2	1
70			संजयग्राम 3	0
71			दुरपा 1	1
72			दुरपा 2	0
73			दुरपा 3	1
74			दुरपा मिनी	0
75			सौंठी 1	32
76			सौंठी 2	22
77			नावापाराकला	15
78			नवापाराकला मिनी	12
79			सिंघनसरा 1	31
80			सिंघनसरा 2	12
81			सिंघनसरा मिनी	9

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाडी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
82			हरटी	27
83			रियपाहामुडा मिनी	4
84			दर्रा मिनी	4
85			भाटापारा	11
86			पारथा 1	9
87			पारथा 2	4
88			सराईपाली मिनी	14
89			आभवा	7
90			मल्दी	15
91			सुधाडरा	7
92			पासीड	14
93			पासीड 2 मिनी	9
94			सराईपाली	14
95			भुरसोडाह	12
96			भाजूडा	13
97			डोडकी	18
98			बगबुडवा	10
99			नन्दली	15
100			बोईरडीह	16
101			लिमतरा	9
102			लिमतरा मिनी	5
103			असौदा 1	15
104			असौदा मिनी	18
105			सुन्दरेली 1	17
106			सुन्दरेली मिनी	7
107			गतवा	21
108			गतवा मिनी	15
109			जर्वे 1	16
110			जर्वे 2	28
111			जर्वे मिनी हरिजनपारा	30
112			जर्वे मिनी भाटापारा	23
113			धनपुर	10
114			गुडवा	28
115			सोनगुडा	12
116			बहेरा	19
117			सकरेलीखुर्द 1	29

क्र. सं.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आमनवाडी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या	15 जून 2016 के मासिक प्रयोगे प्रतिबन्धन के आधार पर
118			सकरेलीखुर्द 2	22	
119			सकरेलीखुर्द 3	9	
120			बोकरामुड़ा	13	
121			कुधरीखर	7	
122			नगरदा 1	36	
123			नगरदा 2	38	
124			नगरदा 3	15	
125			पानिकपुर मिनी	8	
126			कुरदा 1	23	
127			कुरदा 2	16	
128			सेन्दरी 1	26	
129			सेन्दरी 2	25	
130			चौराबरपाली	28	
131			पुटेकेला	21	
132			जिरलाडाह मिनी	17	
133			तुरी	13	
134			खरा	14	
135			बासीन	17	
136			बुढनपुर	5	
137			नवापाराखुर्द	15	
138			नवापाराखुर्द मिनी	9	
139			टोहिलाडीह	26	
140			जाजग 1	36	
141			जाजग 2	28	
142			जाजग 3	8	
143			जाजग मिनी	9	
144			बैलाचुआ	11	
145			जगदल्ली	14	
146			डगबोरा	22	
147			पाली	7	
148			बोरदा	20	
149			तेन्दूटोहा	27	
150			सरवानी	25	
151			सकरेलीकला 1	29	
152			सकरेलीकला 2	19	
153			आमपाली	34	

क.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
154			भंडापाली	21
155			पुजेरीपाली-	0
156			जुडगा 1	7
157			जुडा	8
158			अ.रामली	35
159			गारी मिनी	15
160			पतरापाली खुर्द	11
161			करापाली	17
162			रीवापाली मिनी	5
163			अर्जुनी	24
164			सर्जुनी	9
165			जगदल्ला	28
166			ढोलनार मि.आ.	12
167			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 1	32
168			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 2	17
169			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 3	14
170			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 4	31
171			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 5	17
172			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 6	9
173			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 7 केन्द्र 1	6
174			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 7 केन्द्र 2	10
175			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 8 केन्द्र 1	3
176			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 8 केन्द्र 2	6
177			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 9 केन्द्र 1	6
178			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 9 केन्द्र 2	4
179			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 10 केन्द्र 1	14
180			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 10 केन्द्र 2	15
181			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 11 केन्द्र 1	8
182			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 11 केन्द्र 2	7
183			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 12	14
184			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 13	18
185			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 14	8
186			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 15 केन्द्र 1	6
187			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 15 केन्द्र 2	10
188			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 16	5
189			न. पा. सक्ती वार्ड क्र. 17	24

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
190			न पा. राक्ती वार्ड क्र. 18	15
191			कंचनपुर	14
192			टेमर 1	17
193			टेमर 2	27
194			टेमर 3	15
195			टेमर 4	5
196			रगजा 1	29
197			रगजा 2	23
198			रगजा भांटापारा मिनी	8
199			गढगोदी 1	18
200			गढगोदी 2	3
201			अमलडीहा	15
202			रतनपाली मिनी	11
203			खुसरुडेरा मिनी (अमलडीहा)	27
204			अमलीटीकरा	3
205			कांदानारा	27
206			मरकामगोदी	26
207			परसदाखुर्द 1	31
208			परसदाखुर्द 2	17
209			हरदा	9
210			गौरमुड़ा	14
211			केरीबंधा :	17
212			केरीबंधा मिनी	4
213			सपनईपाली	3
214			कनेटी	8
215			चारपारा	9
216			मसनियाकला	26
217			हरिजनपारा मिनी (मसनियाकला)	16
218			मसनियाखुर्द	20
219			जोंगरा	9
220			भांटापारा मिनी (जोंगरा)	1
221			मुड़भांठा मिनी (जोंगरा)	3
222			चमरवाह	16
223			खजूरडीह मिनी (जोंगरा)	3
224			नन्दौर खुर्द 1	8
225			नन्दौर खुर्द 2	10

क्र. सं.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (ग्राहक नई 2016 के मासिक प्रयोग प्रतिक्रमन के आधार पर)
226			गन्दार कला 1	24
227			गन्दार कला 2	31
228			अचानकपुर	23
229			डडाई	26
230			देवरमाल 1	28
231			देवरमाल 2	9
232			मोहगाव	13
233			बोधरा	11
234			बरपाली कला 1	26
235			बरपाली कला 2	9
236			खरीपारा मिनी	11
237			ऋषभतीर्थ	3
238			बासीनपाट मिनी	3
239			रैनखोल	8
240			सलिहाभांटा	17
241			घुईचुवा	13
242			नवाडीह मिनी	13
243			नवागाव मिनी	6
244			गहरीनमुडा	15
245			जोंबा मिनी	8
246			छिन्दमुडा	19
247			जामचुवा	17
248			पतेरापाली कला	20
249			जुनपानी मिनी	14
250			टेम्पाभांटा मिनी	4
251			डीहीपारा मिनी	7
252			जामपाली	12
253			देवरी	10
254			देवरी, मिनी	12
255			उपकाचुवा	8
256			सकरली (बा.) 1	9
257			सकरली (बा.) 2	7
258			सकरली (बा.) 3	3
259			सकरली (बा.) 4	3
260			केसला	11
261			आमादहरा	15

क्र. सं.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
262			मिनी 1	17
263			किरासी 2	14
264			गुडराडह मिनी	0
265			रेडा 1	14
266			रेडा 2	17
267			खुटादहरा	3
268			जेडा	13
269			जेडा मिनी	5
270			भक्तूंडरा मिनी	3
271			भद्रीपाली	12
272			परसदाकला 1	15
273			परसदाकला 2	16
274			लवसरा 1	34
275			लवसरा 2	21
276			बेल्हाडीह	15
277			रानीगांव	7
278			डेरागढ़ 1	18
279			डेरागढ़ 2	22
280			डेरागढ़ 3	11
281			डूमरपारा 1	11
282			डूमरपारा 2	10
283			डूमरपारा 3	16
284			बिजराभांठा मिनी	3
285			धनेलीभांठा	5
286			लहंगा	11
287			बस्ती (बारा) 1	22
288			बस्ती (बारा) 2	21
289			बस्ती (बारा) 3	35
290			बस्ती बाराद्वार 4	16
291			सरवानी 1	0
292			सरवानी 2	12
293			पलाड़ीकला 1	8
294			पलाड़ीकला 2	8
295			पलाड़ीकला मिनी	9
296			पलाड़ीखुर्द 1	6
297			पलाड़ीखुर्द 2	20

क.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
298			जोगीडिपा मिनी	8
299			न.प. बाराद्वार गांधी चौक	0
300			न.प. बाराद्वार लक्ष्मी बाई	2
301			न.प. बाराद्वार राम मंदिर	0
302			न.प. बाराद्वार सुभाष चौक	0
303			न.प. बाराद्वार दुर्गा मंदिर	0
304			न.प. बाराद्वार जवाहर चौक	25
305			न.प. बाराद्वार काली मंदिर	0
306			न.प. बाराद्वार राजेन्द्र प्रसाद	0
307			न.प. बाराद्वार सर. भगत सिंह	0
308			न.प. बाराद्वार चन्द्रशेखर	0
309			न.प. बाराद्वार इंदिरागांधी	20
310			न.प. बाराद्वार भीमराव अवे.	22
311			न.प. बाराद्वार गुरु घासी दास	9
312			न.प. बाराद्वार राजा हरिगुजर	11
313			न.प. बाराद्वार ठाकुर मंदिर	6
314			सिवनी 1	11
316			सिवनी 2	14
317			सिवनी 3	7
318			सिवनी 2	20
319			सिवनी 5	13
320			सिवनी 6	8
321			सिवनी 7	17
322			सिवनी 8	9
323			सिवनी (बाजार पारा)	4
324			सिवनी (खोनवापारा)	5
325			कुरदा 1	17
326			कुरदा 2	21
327			कुरदा 3	13
328			कुरदा 4	12
329			कुरदा हरिजन मोहल्ला	20
330			कुरदा तेलीपारा	3
331			कुरदा देवांगन पारा	15
332			महुदा 1	22
333			महुदा 2	26
334			सबरिया डेरा 3	4

क्र.	जिला का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	15 जून 2016 की स्थिति में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों की संख्या (माह- मई 2016 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर)
335			बालपुर	23
336			इन्द्रावास	20
337			उच्चमिभट्टी	44
338			अमझर	22
339			कोसमदा 1	25
340			कोसमदा 2	23
341			कोसमदा 3	20
342			कोसमदा 4	26
343			कोसमदा 5	22
344			कोसमदा 6	20
345			कोसमदा 7	20
346			कोसमदा अमरैयापारा	12
347			कोसमदा ठाकुदिया पारा	7
348			कोसमदा फंदाहीपारा	11
349			कमरीद 1	3
350			कमरीद 2	2
351			कमरीद 3	7
352			कमरीद 4	18
353			कमरीद उपरभाठापारा	7
354			कमरीद गुडीचौक	10
355			जाटा 1	18
356			जाटा 2	8
357			बहेराडीह	15
				<b>4393</b>

## परिशिष्ट "पचास"

[ अतारंकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 432) के भाग (क) की जानकारी ]

प्रपत्र "अ"

कांकेर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विद्युत लाईन के व्यवधान से विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की विकासखण्डवार एवं ग्रामवार जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	गांव का नाम
1	कांकेर	भैराडीह
2	कांकेर	गोवर्धन
3	कांकेर	मलांजकुंडुम
4	कांकेर	नारा
5	कांकेर	सिदेसर
6	कांकेर	तामोडार
7	कांकेर	कोकडी
8	कांकेर	चिवरांज
9	कांकेर	गोतपुर
10	कांकेर	दूराखार
11	कांकेर	मुड़पार
12	कांकेर	नाथियानवागांव
13	कांकेर	पेटोली
14	नरहरपुर	रावस
15	नरहरपुर	सिलयारपानी
16	नरहरपुर	आभापानी
17	नरहरपुर	कन्हनपुरी
18	नरहरपुर	लारगांव
19	नरहरपुर	नरकाटोला
20	नरहरपुर	भनसुली
21	नरहरपुर	जामगांव
22	नरहरपुर	डोमपट्टर
23	नरहरपुर	कुरना
24	नरहरपुर	डेकुना
25	नरहरपुर	रामपुर

प्रपत्र "ब"

विफल ट्रांसफार्मरों के खराब होने की विकासखण्डवार/ग्रामवार जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	गांव का नाम
1	कांकेर	धनेलीकन्हार
2	कांकेर	बाबूदबेना
3	कांकेर	बाबूदबेना
4	कांकेर	अण्डी
5	कांकेर	माकड़ीखूना
6	कांकेर	डुमाली
7	कांकेर	माकड़ीखूना
8	कांकेर	भैराडीही
9	कांकेर	पेटोली
10	नरहरपुर	गंवरसिल्ली
11	नरहरपुर	मुसुरपुट्टा
12	नरहरपुर	बांगबारी
13	नरहरपुर	सोनपुर
14	नरहरपुर	डबबीपानी
15	नरहरपुर	अमोड़ा
16	नरहरपुर	भैसमुण्डी
17	नरहरपुर	चवाड़
18	नरहरपुर	ढेकुना
19	नरहरपुर	सरोना
20	नरहरपुर	आंछीडोंगरी
21	नरहरपुर	भैसमुण्डी
22	नरहरपुर	दुघावा
23	नरहरपुर	गंवरसिल्ली
24	नरहरपुर	लेण्डारा
25	नरहरपुर	बतबनी
26	नरहरपुर	नरहरपुर
27	नरहरपुर	लिलवापहर
28	नरहरपुर	देवगांव
29	नरहरपुर	आंखीहरा
30	नरहरपुर	डुमरपानी
31	नरहरपुर	कोचवाही
32	नरहरपुर	कुरना